बीस सूत्री कार्यक्रम
1986
उद्देश्य और नीतियां

निर्धनता उन्मूलन योजना

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार

20 सूत्री कार्यक्रम–1986

उद्देश्य और नीतियां

निर्धनता उन्मूलन योजना

NIEPA DC
D04714

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
भारत सरकार

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4719
Date 30.6.89

प्रस्तावना

बीस-सूत्री कार्यक्रम– 1986, जिसे 20 अगस्त,1986 को संसद के दोनों सदनों को सभापटल पर रखा गया था, को 1987-88 की वार्षिक योजना के साथ-साथ पहली अप्रैल, 1987 से लागू किया गया । प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी के निर्देशों के अनुसार तैयार किए गए बीस-सूत्री कार्यक्रम– 1986 में कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया गया है जिनमें से देश में गरीबी को खत्म करने पर विशेष बल दिया है। विरासत में मिली तीन द्वेषपूर्ण समस्याओं–गरीबी, अज्ञानता और बीमारी–को खत्म करने के लिए जोरदार अभियान चलाया गया है तथा गरीबों के लिए बनाई गई योजना को नई दिशा दी गई है । स्वच्छ पीने के पानी का प्रावधान, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवार नियोजन को स्वीकार करना, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं को समानता का अधिकार, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को न्याय दिलाने, युवकों के लिए नए अवसर प्रदान करने, समाज के शोषित वर्गों के लिए आवास मुहैया करने, गंदी बस्तियों का सुधार और पर्यावरण की सुरक्षा जैसे सामाजिक चिंतन के मुख्य क्षेत्रों को इसकी परिधि में लाने के लिए बीस-सूत्री कार्यक्रम के क्षेत्र को बढ़ाया गया है । गरीबी को खत्म करने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में कृषि उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना, आय असमानताओं को कम करना, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को दूर करना तथा सामान्यतः जीवन स्तर को ऊपर उठाने जैसे अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करने है । इस प्रभावी प्रलेख में बीस-सूत्री कार्यक्रम– 1986 के उद्देश्यों, नीतियों और कार्यक्रमों का वर्णन है और उसके कार्यान्वयन के अनुश्रवण को योजना का भी उल्लेख है । आशा है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से सम्बद्ध सभी लोगों के लिए यह एक उपयोगी और संदर्भ पुस्तिका के रूप में सहायक सिद्ध होगी ।

(पी. शिव शंकर)
योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयन,
विधि एवं न्याय मंत्री

भूमिका

गरीबी को समाप्त करने के कार्यक्रमों को लागू करना आज भारत की योजनाबद्ध विकासनीति का सबसे प्रमुख मुद्दा है। यह उद्देश्य इसलिए रखा गया है, क्योंकि अब यह स्पष्ट हो गया है कि विकासवादी अर्थशास्त्र का यह सिद्धान्त अकसर गलत सिद्ध हुआ है कि कुल राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि और गरीबी का लगातार बढ़ना परस्पर विरोधी बातें हैं। इसीलिए 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी ने गरीबी दूर करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया था। यह विशेष कार्यक्रम भारत का पहला बीस सूत्री कार्यक्रम था, जिसमें पूरे देश के करोड़ों गरीबों की आशायें और आकांक्षायें शामिल थीं। इसके बाद हमने कई क्षेत्रों में लक्ष्य प्राप्त किये, देश के आर्थिक और सामाजिक जीवन में कई परिवर्तन आये और नई चुनौतियां हमारे सामने आयीं। इसलिए यह जरूरी हो गया कि इस कार्यक्रम को नये सिरे से बनाया जाय। संशोधित बीस सूत्री कार्यक्रम की घोषणा 14 जानवरी 1982 को की गई।

2. किसी भी कार्यक्रम में नयी शक्ति और उत्साह लाने के लिए यह जरूरी है कि उसे समय-समय पर जांचा-परखा जाय और संशोधित किया जाय। हालांकि बीस सूत्री कार्यक्रम ने दस करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी, लेकिन 1983-84 के आकलनों के अनुसार 27 करोड़ 10 लाख लोग, यानि आबादी का 37.4 प्रतिशत हिस्सा, अभी भी गरीबी की रेखा से नीचे है। इसलिए इस बात की जरूरत महसूस हुई कि गरीबी के खिलाफ और मजबूती से सीधा संघर्ष करने के लिए नये उपाय किये जायें, और आर्थिक नीति में कारगर परिवर्तन किये जायें। यह काम प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के व्यक्तिगत मार्गदर्शन और निर्देशों पर किया गया। उन्होंने ही 1986 के बीस सूत्री कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया। यह सिर्फ इरादों की घोषणा नहीं है बल्कि गरीबों के लिए मुक्ति का अधिकारपत्र है। 1986 का बीस सूत्री कार्यक्रम सातवीं पंचवर्षीय योजना का अभिन्न अंग है। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से व्यवस्था की उन बड़ी विसंगतियों पर ध्यान केन्द्रित किया गया है, जिनकी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था की कृषि, उद्योग और टेक्नोलोजी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बावजद गरीबी समाप्त नहीं की जा सकी है। यह कार्यक्रम 20 अगस्त 1986 को संसद के दोनों सदनों में रखा गया।

3. 1986 के बीस सूत्री कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत सी ऐसी योजनाओं को शुरू करना है, जिनका मुख्य जोर गरीबी को समाप्त करने पर होगा। इस कार्यक्रम का कार्यक्षेत्र और व्यापक कर दिया गया है और इसके दायरे में समाज की अधिकांश समस्याएं शामिल कर ली गयी हैं। इनमें ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम, पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था, सबके लिए स्वास्थ्य, दो बच्चों का आदर्श, शिक्षा का विस्तार, अनुसूचित जातियों और जनजातियों की न्याय प्रदान करना, महिलाओं के लिए समानता, युवकों के लिए अधिक अवसर, लोगों के लिए मकान, गन्दी बस्तियों का सुधार, पर्यावारण संरक्षण, और उपभोक्ता के हितों का ध्यान रखना शामिल है। 1986 के बीस सूत्री कार्यक्रम में 91 उप-शीर्षक हैं। इनमें से बहुत से उप-शीर्षकों में एक से अधिक मुद्दे शामिल हैं। सभी शीर्षकों पर छोटी-छोटी टिप्पणियां भी तैयार की गयी हैं जिनमें इनके उद्देश्य, कार्यप्रणाली, कार्यक्रम और निगरानी को शामिल किया गया हैं। ऐसा इसलिए किया गया है, ताकि इनमें से प्रत्येक शीर्षक और उपशीर्षक का उद्देश्य तथा महत्व सभी की स्पष्ट रूप से समझ में आ सके और देश से गरीबी मिटाने का महत्वपूर्ण कार्य पूरा किया जा सके। ये सारे विवरण इस सुविधाजनक संकलन में प्रस्तुत किये गये हैं। यह संकलन 1986 के बीस सूत्री कार्यक्रम से संबंधित जानकारी तुरन्त उपलब्ध कराने वाले एक संदर्भग्रंथ के रूप में उपयोगी होगा।

4. कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय इस कार्यक्रम की लगातार नियमित रूप से निगरानी करेगा। पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न मुद्दों पर मासिक कार्यान्वयन रिपोर्ट तैयार की जायेगी। मासिक प्रगति की रिपोर्ट संबंधी सूचना सभी राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सीधे भेजेंगे। तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट भी तैयार की जायेगी जिनमें मासिक रिर्पोटों के साथ-साथ उन रिर्पोटों को भी शामिल किया जायेगा जिनका केवल गुणात्मक मूल्यांकन किया जा सकता है। इन रिर्पोटों में सामान्य प्रगति और खर्च संबंधी विवरण होगा। विकास के विविध पहलुओं से सम्बद्ध विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की यह भी जिम्मेदारी होगी कि वे अपनी तिमाही/वार्षिक रिर्पोटें बनाकर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को भेजें। सभी राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों को सुझाव दिया गया है कि वे ब्लॉक/ताल्लुका, जिला व राज्य मुख्यालय स्तर पर कार्यान्वयन व निगरानी समितियां गठित करें। केन्द्रीय मंत्रालय/विभागों से भी अनुरोध किया गया है कि वे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए निचले स्तरों पर स्वयंसेवी संस्थाओं को भी शामिल करें।

5. मुझे और मेरे मंत्रालय के सहयोगियों को इस बात पर गर्व और प्रसन्नता है कि हम गरीबी के विरुद्ध लगातार संघर्ष में दूरगामी परिणामों वाले इस कार्य से जुड़े हैं। मुझे आशा है कि 1986 का बीस सूत्री कार्यक्रम सभी सरकारी और गैर-सरकारी संस्थाओं को इस बात की प्रेरणा देगा कि वे इस नये युग का निर्माण करने वाले राष्ट्रीय प्रयास में पूरी शक्ति से सम्मिलित हों।

(सुखराम)

नई दिल्ली

कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्यमंत्री

हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई को प्राथमिकता देंगे। पिछले पांच वर्षों में 10 करोड़ से अधिक लोगों को निर्धनता की रेखा से ऊपर उठाया जा चुका है।

गरीबी का उन्मूलन और रोजगार के ज्यादा अवसर उपलब्ध कराना हमारा लक्ष्य है।

20-सूत्री कार्यक्रम निर्धनता खत्म करने की योजना है। इस कार्यक्रम को अपने अनुभवों, उपलब्धियों और सातवीं योजना के लक्ष्यों की बुनियाद पर नया रूप दिया गया है। नया कार्यक्रम हमारी निम्न प्रतिबद्धताओं को दोहराता है:

—गरीबी का उन्मूलन ;

—उत्पादन बढ़ाना ;

—आय की विषमताओं को घटाना;

—सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को दूर करके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना।

20—सूत्री कार्यक्रम

		पृष्ठ
1.	गरीबी के खिलाफ लड़ाई	1
2.	वर्षा पर निर्भर कृषि का विकास	5
3.	सिंचाई के पानी का बेहतर इस्तेमाल	8
4.	उन्नत कृषि-अधिक उत्पादन	11
5.	भूमि सुधार	16
6.	ग्रामीण मजदूरों के लिए विशेष कार्यक्रम	19
7.	पीने का साफ पानी	21
8.	सभी के लिए स्वास्थ्य	24
9.	दो बच्चों का आदर्श परिवार	29
10.	शिक्षा का विस्तार	32
11.	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये न्याय	36
12.	महिलाओं के लिए समानता	40
13.	युवा वर्ग के लिये नये अवसर	43
14.	लोगों के लिए आवास सुविधाएं	46
15.	तंग बस्तियों का सुधार	48
16.	बानिकी के लिए नई नीति	50
17.	पर्यावरण की रक्षा	53
18.	उपभोक्ता कल्याण	56
19.	गांवों के लिए ऊर्जा	59
20.	उत्तरदायी प्रशासन	61

1. गरीबी के खिलाफ लड़ाई

हम:

- *सुनिश्चित करेंगे कि गरीबी दूर करने के कार्यक्रम प्रत्येक गांव में सभी निर्धन परिवारों तक पहुंचें।*
- *ग्रामीण मजदूरी रोजगार कार्यक्रमों और क्षेत्र विकास तथा मानव संसाधन विकास कार्यक्रमों के बीच तालमेल करेंगे तथा राष्ट्रीय और सामुदायिक सुविधाओं जैसे स्कूल भवनों, सड़कों, टैंकों और ईंधन तथा चारे के भंडारों का-निर्माण करेंगे*
- *विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को;*
  —उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने तथा
  —ग्रामीण रोजगार बढ़ाने से जोड़ेंगे
- *हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्वरोजगार के लिये दक्षता में सुधार करेंगे*
- *पंचायतों, सहकारी समितियों और स्थानीय संस्थाओं को नयी दिशा देंगे*

उद्देश्य

गरीबी दूर करने के लिये शुरू किये गये कार्यक्रमों को लागू करने से पिछले 6 वर्षों के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे गुजरबसर कर रहे निर्धन परिवारों की संख्या 48 प्रतिशत से घटकर 37 प्रतिशत हो गयी है। योजना का लक्ष्य 1995 तक ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का प्रतिशत घटाकर दस तक लाना है। अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आज भी भारत की एक तिहाई से अधिक जनसंख्या गरीबी के बोझ से दबी हुई है। अनुमान है कि 1984-85 में करीब 27 करोड़ 27 लाख लोग घोर गरीबी का जीवन बिता रहे थे। प्रत्येक गांव में प्रत्येक निर्धन परिवार के जीवन में आशा की किरण लाने के लिये यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई न कोई योजना देश के प्रत्येक निर्धन परिवार तक पहुंचे।

नीति

2. आमदनी वाली योजनाओं को व्यापक रूप से दो श्रेणियों में बांटा गया है– (1) स्व-रोजगार योजनायें और; (2) मजदूरी से रोजगार देने वाली योजनायें। पहली श्रेणी की योजनाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण तथा लघु उद्योगों को बढ़ावा देने तथा स्व-रोजगार के लिये विभिन्न कार्यक्रमों का प्रशिक्षण देने के कार्यक्रमों के अंतर्गत लागू किया जा रहा है। दूसरी श्रेणी की योजनायें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और राज्यों में इसी तरह के रोजगार कार्यक्रमों के अंतर्गत लागू की जा रही है। राज्यों में, ऐसी ही योजनाएं हैं-महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी योजना, कर्नाटक की अंत्योदय योजना, आंध्र प्रदेश की विशेष रोजगार योजना, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की विशेष रोजगार योजनायें तथा उड़ीसा की निर्धनों को आर्थिक राहत और पुनर्वास योजनायें।

3. स्व-रोजगार योजनाओं का उद्देश्य आमदनी के जरिए को लक्षित निर्धन परिवारों के हाथों में सौंपना है। इनमें प्रत्येक सहायता प्राप्त क्षेत्र में उत्पादकता और उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की नीति और उत्पादकता में एक घनिष्ठ संबंध

है, क्योंकि इसके अंतर्गत लाभान्वित परिवारों को दी गयी सुविधाओं से माल और सेवाओं में वृद्धि होती है, जिससे आय बढ़ती है।

4. मजदूरी से जुड़े रोजगार कार्यक्रमों का उद्देश्य उत्पादक सुविधाओं की स्थापना और ग्रामीण क्षेत्रों में मानव संसाधनों की क्षमताओं में सुधार करना है।

5. प्रत्येक गांव में, सभी निर्धन परिवारों तक पहुंचने के लिये यह जरूरी है कि घर-घर जाकर विस्तृत सर्वेक्षण से उनका पता लगाया जाये। इस समय ऐसे सर्वेक्षण किये जा रहे हैं, जिनमें ऐसे लोगों की गांववार सूची बनाई जाय, जो छठी योजना सें सहायता मिलने के बावजूद गरीबी की रेखा से ऊपर नहीं आ सके और जिन पर बिलकुल ही ध्यान नहीं दिया गया।
यद्यपि गरीबी की रेखा का अर्थ 6 हजार चार सौ रुपये या उससे कम की सालाना आमदनी है और सहायता देने की सीमा रेखा प्रति परिवार चार हजार आठ सौ रुपये की वार्षिक आमदनी रखी गयी है फिर भी सबसे गरीब लोगों यानि ऐसे परिवारों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है जिनकी सालाना आमदनी साढ़े तीन हजार रुपये या उससे कम है। ऐसे परिवारों से सबसे पहले सम्पर्क करके उन्हें सहायता देना जरूरी है।

कार्यक्रम

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

6. सातवीं योजना में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिये 23 अरब 59 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसमें केन्द्र और राज्यों का हिस्सा आधा-आधा है। इसका उद्देश्य आमदनी वाली सुविधाओं के जरिये ग्रामीण निर्धन परिवारों को सहायता देना है। इनमें काम शुरू करने के लिए पूंजी देना शामिल है। इस सहायता में अनुदान और संस्थागत ऋण दोनों शामिल है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के लिये 24 अरब 87 करोड़ रू० और राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के लिये 17 अरब 44 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गई है। इन दोनों कार्यक्रमों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प-रोजगार प्राप्त लोगों के लिये रोजगार के अतिरिक्त अवसर जुटाना है। इसके अलावा इन कार्यक्रमों से सामुदायिक रूप से ऐसी उत्पादक सुविधायें भी जुटाई जाती हैं, जिनका निर्धन परिवारों को प्रत्यक्ष और लगातार लाभ मिलता है और गांवों का आर्थिक और सामाजिक ढांचा मजबूत होने के साथ-साथ गांवों के गरीबों के जीवन-स्तर में भी सुधार होता है। ये दोनों ही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के खर्च में केन्द्र और राज्यों का हिस्सा आधा-आधा है, जब कि राष्ट्रीय भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में केन्द्र पूरा खर्च उठाती है। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत रियायती दरों पर खाद्यान्न वितरित किया जाता है। ये दरें सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दरों से कम होती हैं और इसके लिये सहायता राशि पूरी तरह केंद्र सरकार देती है। इस तरह गरीबी दूर करने के तीनों आय सर्जक कार्यक्रमों के लिये कुल 65 अरब 90 करोड़ रूपये दिए गए हैं।

मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखा क्षेत्र कार्यक्रम और जनजातीय उपयोजना

7. इसके अलावा राज्यों के विशेष रोजगार कार्यक्रमों की अन्य कार्यक्रमों सें भी जोड़ा जाएगा। ये कार्यक्रम हैं-मरुस्थल विकास कार्यक्रम, सूखापीड़ित क्षेत्र कार्यक्रम और जनजातीय उप योजना आदि। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत किये गये प्रावधानों की भी गरीबों की आय बढ़ाने, और क्षेत्र विशेष की योजनाओं तथा मानव संसाधन विकास के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

8. बंजर भूमि और भूमि सुधारों के अंतर्गत बांटी गई सीमांत भूमि के विकास, पुराने तालाबों के

सुधार, बड़े पैमाने पर मछली पालन का विकास, ईंधन और ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिये पेड़ लगाने, चारागाह और चारा विकास कार्यक्रमों सहित सामाजिक वानिकी को प्राथमिकता दी जाएगी। इनमें लक्षित समूहों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी ताकि क्षेत्र विकास की गतिविधियों और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों में तालमेल रखा जा सके।

हथकरघा, हस्तशिल्प, ग्रामीण और लघु उद्योग

9. देश भर में, बड़ी संख्या में निर्धन परिवार हथकरघा वस्त्रों, हस्तशिल्प, और अन्य ग्रामीण और लघु उद्योगों के जरिये अपनी गुजरबसर कर रहे हैं। इसलिये हथकरघा, हस्तशिल्प तथा अन्य ग्रामीण और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के कार्यक्रमों की गरीबों की स्थिति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका है। सिर्फ हथकरघा क्षेत्र से ही एक करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिलता है, जिनमें से अधिकांश गरीबी की रेखा से नीचे हैं। हस्तशिल्प क्षेत्र में, तीस लाख दस्तकारों और अन्य ग्रामीण तथा लघु उद्योगों में ढाई करोड़ व्यक्तियों को रोजगार मिलता है।

10. हथकरघा विकास की नीति हथकरघा बुनकरों की सहकारी संस्थाओं की स्थापना पर निर्भर है। इसका उद्देश्य उन्हें बिचौलियों के शिकंजे से मुक्त कराना है। यह कार्यक्रम जनता कपड़ा योजना लागू करने पर भी निर्भर है जिसका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों की सस्ती और रियायती दरों पर कपड़ा उपलब्ध कराना और हथकरघा बुनकरों को लगातार रोजगार देना है। 1985-86 के दौरान जनता कपड़ा योजना के अंतर्गत 71 करोड़ 30 लाख रूपये का अनुदान दिया गया। नयी कपड़ा नीति के अंतर्गत करघों के आधुनिकीकरण और हथकरघा उत्पादों की उत्पादकता, गुणवत्ता और बुनावट सुधारने के लिये तकनीकी तथा अन्य साज-सामान उपलब्ध कराने की योजना बनायी गयी है।

11. प्रशिक्षण, कच्चा माल उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता और विपणन की सुविधायें जुटाना, बेहतर डिज़ाइनों का विकास और वित्तीय व्यवस्था को युक्ति-संगत बनाना आदि हथकरघा, हस्तशिल्प और अन्य ग्रामीण और लघु उद्योगों के विकास कार्यक्रमों के मुख्य अंग हैं। चुने हुए ग्रामीण युवकों की प्रशिक्षण संस्थानों और पुराने उस्ताद दस्तकारों की देख-रेख में, स्व-रोजगार के लिये प्रशिक्षित करने की "ट्राईसेम" योजना के अंतर्गत भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के बाद इन युवाओं को, अपना धंधा शुरू करने के लिये सहायता दी जाएगी और उन्हें अपनी सहकारी संस्थायें बनाने के लिये प्रोत्साहन दिया जाएगा।

सहकारी समितियां और पंचायती राज संस्थाएं

12. गरीबों तक उद्देश्यपूर्ण और कारगर ढंग से पहुंचने में सहायक संस्थाओं को कारगर बनाया जाएगा। पंचायतों, सहकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों जैसी बुनियादी संस्थाओं में नयी चेतना का संचार करके, इन्हें गरीबों का जीवनस्तर बेहतर बनाने में कारगर भूमिका निभाने के लिये पूरी तरह सक्षम बनाया जाएगा। देश में, 2 लाख 6 हजार 364 ग्राम पंचायतें,4 हजार 76 पंचायत समितियां और 310 जिला परिषदें हैं। कई राज्यों में, इसके लिए अभी चुनाव बहुत दिनों से नहीं हुए है। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इन संस्थाओं के लिए नियमित रूप से चुनाव हों तथा उन्हें पर्याप्त प्रशासनिक अधिकार और वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराये जायें, ताकि वे विकास प्रक्रिया में जन-सामान्य की भागीदारी के सक्रिय साधन बन सकें।

निगरानी

13. गरीबों की जीवन दशा सुधारने में उपरोक्त कार्यक्रम तभी प्रभावशाली हो सकते हैं, जब उन्हें पूरी निष्ठा के साथ कारगर ढंग से लागू किया जाय। अतः कड़ी निगरानी बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्व

निर्धारित लक्ष्यों के लिये निम्नलिखित ढंग से लगातार निगरानी रखी जायगी:

क्रम सं०	कार्यक्रम	लक्षित ईकाई	अवधि
1.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लाभार्थी (क) पुराने (ख) नये	परिवारों की संख्या	मासिक
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	दिहाड़ियां	मासिक
3.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम		

राज्यों के विशेष रोजगार कार्यक्रम, "ट्राईसेम" के अंतर्गत प्रशिक्षण, हथकरघा, हस्तशिल्प और ग्रामीण तथा लघु उद्योग कार्यक्रम, पंचायतों, सहकारी संस्थाओं और स्थानीय निकायों को मजबूत करने जैसे कार्यक्रमों की निगरानी तिमाही आधार पर की जायेगी। हर तिमाही में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अंतर्गत जुटाई सुविधाओं और प्रत्येक कार्यक्रम में किये गए खर्च की भी समीक्षा की जायेगी।

इस सूत्र के लिये ग्रामीण विकास विभाग, मुख्य एजेंसी का काम करेगा।

2. वर्षा पर निर्भर कृषि का विकास

हम :

* *मिट्टी में नमी बनाये रखने की तकनीक में सुधार करेंगे और जमीन तथा जल संसाधनों का बेहतर प्रबंध सुनिश्चित करेंगे*
* *उपयुक्त और उन्नत किस्म के बीज विकसित करके उनका वितरण करेंगे*
* *सूखे की आशंका वाले क्षेत्रों और सूखा राहत कार्यों में उपयुक्त परिवर्तन के जरिए सूखे की आशंका को कम करेंगे*

उद्देश्य

भारत में, कुल कृषि क्षेत्र में से करीब 70 प्रतिशत भूमि में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और इसमें केवल 40 प्रतिशत खाद्यान्नों की उपज होती है। दलहनों (91.6 प्रतिशत), तिलहनों (86.3 प्रतिशत), धान (58.3 प्रतिशत), मोटे अनाज (91.3 प्रतिशत) और औद्योगिक फसलों जैसे कपास (72.3 प्रतिशत) की खेती अधिकांश क्षेत्र में वर्षा पर निर्भर है। छोटे और सीमांत किसान अधिकांशतः बारानी भूमि में खेती करते हैं, जो गुजरात में 46 प्रतिशत से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार में 87 प्रतिशत तक है। इन क्षेत्रों में, उत्पादन बहुत कम है और वर्षा की मात्रा के अनुसार यह उत्पादन घटताबढ़ता रहता है। बारानी भूमि क्षेत्रों में फसलों की उपज में अनिश्चितता और खतरा तो है ही, इसके अलावा कृषि विकास के उपायों में अधिक उत्पादन के लिए सिंचित क्षेत्र पर अधिक ध्यान दिया जाता है जिसके कारण, बारानी क्षेत्र और सिंचित क्षेत्रों में असमानतायें बढ़ गयी हैं। बारानी भूमि क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बेरोजगारी और अल्परोजगार की समस्या है। जिसका मुख्य कारण एक ही फसल की बुआई और मौसम का बदलते रहना है। खेती से सम्बद्ध खतरों और कम आमदनी के कारण इन क्षेत्रों के किसान आधुनिक टेक्नोलोजी का लाभ उठाने के लिये पर्याप्त धन खर्च नहीं कर पाते। और इसी कारण बारानी भूमि में खेती करने वाले किसानों को संस्थागत ऋण भी बहुत कम मात्रा में मिल पाते हैं। इसलिए बारानी भूमि/वर्षा पर निर्भर खेती वाले क्षेत्र अधिक खतरे, कम निवेश, पुरानी टेक्नोलोजी और कम उत्पादकता के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। अतः खाद्यान्नों, विशेषकर मोटे अनाजों, दलहन, तिलहन और कपास के उत्पादन में लगातार वृद्धि तथा गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असमानतायें दूर करने के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बारानी भूमि/वर्षा पर निर्भर खेती का विकास महत्वपूर्ण है और इस पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है।

नीति

2. जमीन की नमी बनाये रखने की टैक्नोलोजी में सुधार और वर्षा पर निर्भर/बारानी भूमि क्षेत्रों में उसके उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके लिये पानी के समुचित उपयोग, बीज और उर्वरकों तथा उन्नत किस्म के कृषि उपकरणों के वितरण, और अधिक क्षेत्र में उन्नत किस्म के और सूखे का मुकाबला करने में सक्षम बीजों के उपयोग, खाद और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल, पौध संरक्षण उपायों के प्रयोग, और सूखे की आशंकावाले क्षेत्रों में फसल बुआई की व्यवस्था और फसलों की किस्मों में उपयुक्त परिवर्तन के जरिये सूखे की आशंका में कमी करने के उपाय किये जायेंगे। सोलह राज्यों के करीब 99 जिलों में वर्षा पर निर्भर/बारानी भूमि क्षेत्रों के विकास की मुख्य

नीति जलग्रहण क्षेत्र विकास के सिद्धान्त पर आधारित है जिसमें भूमि और नमी के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया है। इसमें (अ) भूमि की क्षमता और वर्षा का विस्तृत विश्लेषण (ब) जमीन के नक्शे तैयार करना (स) जल ग्रहण क्षेत्रों में भूमि की क्षमता पर आधारित इकाइयों में बांटना (द) भूमि को समतल करने, इंजीनियरी और जैविक पद्धतियों के जरिये नमी बनाये रखने के उपाय लागू करना शामिल है।

इस कार्यक्रम में (1) विशेष परिस्थितियों के बीजों का भंडारण और पौधों तथा फसल पद्धतियों पर आधारित घास आदि के वितरण (2) प्रशिक्षण (3) छोटे और सीमांत किसानों के खेतों में परीक्षण और (4) खेतों में इस्तेमाल के लिये वैज्ञानिक विधियों और प्रचार सामग्री तैयार करना भी शामिल है। इस कार्यक्रम की अधिक प्रभावशाली बनाने के लिये क्षेत्र विकास के आधार पर समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जायेगा।

कार्यक्रम

3. 1986-87 के दौरान 14 हजार 15 जल-ग्रहण क्षेत्रों के विकास का लक्ष्य रखा गया है। चूंकि जल ग्रहण क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया कई वर्षों में पूरी होती है, इसलिए इस लक्ष्य में उन क्षेत्रों की शामिल किया गया है, जो या तो कम विकसित हैं या जहां 1986-87 के दौरान विकास कार्य शुरू किया गया है।

4. हालांकि इन जल ग्रहण क्षेत्रों को विशेष विकास के लिए वर्षा पर निर्भर क्षेत्रों में से चुना गया है, जहां, भूमि और मिट्टी का उपचार कठिन है, फिर भी वर्षा पर निर्भर उन्नत खेती को प्रमुख रूप से ऐसे क्षेत्रों में अपनाया जा रहा है, जहां यह उपचार कठिन नहीं है। इन क्षेत्रों में उपज बढ़ाने की नीति में बीच-बीच में फसलें लेने और एक के बाद दूसरी फसल लेने तथा सूखे का मुकाबला करने में सक्षम अधिक उपज देने वाली फसलों की बुआई शामिल है। इन किस्मों में, बाजरे के लिये एन एच बी-180, मंडुए के लिए इनडेफ-8 और 9, पी आर-202, तथा अरहर के लिए के.पी.एल-87, पी टी-221, टी और बी-7 शामिल है।

5. क्षेत्र विशेष की कृषि और जलवायु संबंधी परिस्थितियों के अनुरूप अच्छी किस्म का बीज उपलब्ध कराना सबसे जरूरी है। यह कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके लिए कई कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसे बीज विधायन संयंत्र लगाना, बीज फार्मों का विकास, बीज परीक्षण प्रयोगशालाओं की मजबूत बनाना और भंडारण की अतिरिक्त क्षमता की व्यवस्था करना आदि। विभिन्न राज्यों में बीज की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिये राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा बीजों का भंडार और राज्य सरकारों द्वारा बीजों का सुरक्षित भंडार बनाने का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया जायेगा। 1986-87 के दौरान 65 लाख 59 हजार क्विंटल और सातवीं योजना के अंतिम वर्ष यानी 1989-90 में एक करोड़ 17 लाख 30 हजार क्विंटल प्रामाणिक और उन्नत किस्म का बीज वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे इस अवधि के दौरान अधिक उपज देने वाली किस्मों के अंतर्गत कृषि क्षेत्र 5 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर से बढ़ कर 7 करोड़ हैक्टेयर हो जायेगा।

सूखापीड़ित क्षेत्र-कार्यक्रम

6. 1970-71 में ग्रामीण निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत कई योजनायें शुरू की गयीं थीं, जिनका उद्देश्य सूखे की विकटता कम करने और सूखा पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की स्थायी व्यवस्था करना था। दीर्घकालिक नीति की आवश्यकता को देखते हुए इस कार्यक्रम को नई दिशा दी गयी और सूखा पीड़ित क्षेत्र-कार्यक्रम के अंतर्गत उल्लेखनीय परिवर्तन किये गये। ये कार्यक्रम 1973 के ग्रामीण-निर्माण-कार्यक्रम की समन्वित क्षेत्र विकास का रूप देने के लिये उसके स्थान पर शुरू किया गया। इस कार्यक्रम में मिट्टी और जल संसाधनों तथा कार्यक्रम के क्षेत्रों की कृषि और जलवायु परिस्थितियों के आधार पर बारानी भूमि में कृषि उपज बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया।

भूमि के उचित इस्तेमाल के उपायों जैसे-फार्म वानिकी और बागवानी की बढ़ावा देने के कार्यक्रम शुरू किये गये। इस कार्यक्रम की सफलता के मुख्य संकेत हैं:
(अ) मिट्टी और नमी के संरक्षण के लिये उपचारित क्षेत्र।
(ब) सिंचाई क्षमता की व्यवस्था,
(स) वृक्षारोपण और चारागाह विकास।
कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले अनुभव और भावी कार्यक्रमों के आधार पर व्यावहारिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। आवश्यक दिशा-निर्देश तैयार करके बांटे जायेंगे।

7. सूखे का प्रभाव प्रकट होने में कुछ समय लगता है। इस अवधि में, योजना के अंतर्गत प्रभावित लोगों की तात्कालिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने का समय मिल जाता है। आमतौर पर सूखा राहत कार्यों पर धन ऐसी सुविधाओं के विकास की ध्यान में रखकर खर्च किया जाता है, जो भविष्य में, सूखे के प्रभाव को कम करने में सक्षम हो। इसलिये पर्याप्त जांच-पड़ताल के बाद प्रत्येक जिले में समय रहते योजनाएं बना ली जानी चाहिये ताकि जरूरत पड़ते ही उन्हें लागू किया जा सके। ऐसी योजनाओं का उद्देश्य मिट्टी और जल संरक्षण, वृक्षारोपण, सिंचाई के बेहतर प्रबंध, फसल पद्धति में परिवर्तन और मवेशी संसाधनों में विकास के जरिये - उस क्षेत्र में, पर्यावरण का संतुलन फिर कायम करना होगा। उपरोक्त लक्ष्यों के लिये प्रत्येक मद में केंद्रीय सहायता दी जाती रही है और आगे भी दी जाती रहेगी। खासतौर पर सामाजिक वानिकी के लिये कम से कम 25 प्रतिशत सहायता निश्चित की जानी है।

सूखा राहत कार्यों के लिये केंद्रीय सहायता देते समय स्थायी उपयोग की पेयजल परियोजनाओं को महत्वपूर्ण स्थान दिया जायेगा। आठवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप राज्यों की योजनाओं में प्रतिवर्ष 2 अरब 40 करोड़ 75 लाख रूपये की राशि उपलब्ध करायी जायेगी और इस में केन्द्र इतना ही अंशदान देगा।

निगरानी

8. उपरोक्त कार्यक्रमों की तिमाही आधार पर निगरानी की जायेगी। जल-ग्रहण-क्षेत्र विकास कार्यक्रमों की समीक्षा निम्नलिखित प्रमुख विषयों के संदर्भ में की जायेगी:—
(1) भूमि विकास "कन्टूर फार्मिंग"
(2) खेतों में, जल संरक्षण और भंडारण सुविधाओं का निर्माण
(3) बीज, उर्वरक और उन्नत किस्म के कृषि औजारों का वितरण तथा
(4) उन्नत किस्म के, सूखे का मुकाबला करने में सक्षम बीजों और सामान्य मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग तथा जरूरत पड़ने पर समय रहते पौध संरक्षण उपाय।

जल ग्रहण-क्षेत्र-विकास कार्यक्रम की परिधि के बाहर की बारानी भूमि पर खेती के मामले में बारानी खेती के सुधरे हुए तरीकों, और उन्नत किस्म के बीजों के वितरण की निगरानी की जाएगी। सूखा पीड़ित क्षेत्र-कार्यक्रम के अंतर्गत ऊपर दिये गये तीन प्रमुख विषयों की निगरानी की जायेगी। तिमाही के दौरान किये गये खर्च का ब्यौरा भी दिया जायेगा।

इस काम के लिये कृषि विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में काम करेगा।

3. सिंचाई के पानी का बेहतर इस्तेमाल

हम

* *जल प्रवाह क्षेत्रों का विकास करेंगे और घाटियों और डेल्टाओं में जल निकासी व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे*
* *कमांड क्षेत्रों में, सिंचाई का प्रबंध बेहतर करेंगे*
* *पानी इकठ्ठा होने, खारापन और पानी की बरबादी को रोकेंगे*
* *सतही और भूमिगत जल के इस्तेमाल में तालमेल करेंगे*

उद्देश्य

विभिन्न कार्यों के लिये पानी की बढ़ती हुई मांग के कारण इसकी कमी भी बढ़ती जा रही है। इसकी सबसे अधिक खपत सिंचाई में होती है। इस समय उपलब्ध 17 करोड़ 80 लाख हैक्टेयर-मीटर सतही जल में से केवल 6 करोड़ 70 लाख हैक्टेयर-मीटर पानी ही सिंचाई के काम आ रहा है। करीब 4 करोड़ 20 लाख हैक्टेयर-मीटर भूमिगत जल का भी उपयोग किया जा सकता है। सिंचाई क्षमता पैदा करने में बहुत अधिक धन खर्च होता है। अक्सर इस तरह तैयार क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाता। तैयार क्षमता और उसके उपयोग के बीच की खाई से बड़ी मात्रा में संसाधन बच जाते है और इनका उपयोग सिंचाई के पानी के कारगर प्रबंध में अवश्य किया जाना चाहिये। यह बात इसलिये और भी महत्वपूर्ण है कि इस शताब्दी के अंत तक देश की एक अरब जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिये सीमित भूमि से ही खाद्यान्नों का उत्पादन 60 प्रतिशत अर्थात् 9 करोड़ टन बढ़ाना होगा। इसलिये पानी का उपयुक्त इस्तेमाल ही खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादनों की हमारी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने की कुंजी है।

नीति

2. परियोजना बनाते समय, फालतू पानी बहने में कटौती करने, उपलब्ध जल संसाधनो के संरक्षण और मिट्टी को बहने से रोकने के लिये जल-प्रवाह क्षेत्र की देखभाल पर विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा। इसके लिये विशाल परियोजनाओं की स्वीकृति देते समय उनकी कड़ी जांचपड़ताल की जायेगी। जल निकासी की व्यवस्था में रुकावट की समस्या को हल करने के लिये नये जल मार्गों का विकास और प्राकृतिक जल निकासी व्यवस्था की मौजूदा निकासी क्षमता में सुधार किया जायेगा। सिंचित जल क्षेत्रों में जल भरने और मिट्टी में खारेपन की समस्या से निपटने तथा इस प्रकार की समस्या वाली भूमि को सुधार कर सामान्य बनाने के उपायों को कारगर ढंग से लागू किया जायेगा। "कमांड" क्षेत्रों में जल-प्रबंध और सिंचाई क्षमता में सुधार के प्रयास किये जायेंगे। इसके अलावा भूमिगत और सतही जल के मिलेजुले इस्तेमाल की परियोजना का अभिन्न अंग बनाया जायेगा।

कार्यक्रम

जल प्रवाह क्षेत्र विकास

3. राज्य सरकारें मौजूदा परियोजनाओं के जल प्रवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण और वृक्षारोपण

गतिविधियां शुरू कर रही है। इनके साथ-साथ केंद्र द्वारा दो योजनायें चलाई जा रही हैं– (1) नदी घाटी परियोजनाओं के जल प्रवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण (27 क्षेत्रों में) और (2) बाढ़ की आशंकावाली नदियों के जल प्रवाह क्षेत्रों में जल-ग्रहण क्षेत्रों का समन्वित विकास (8 जल-ग्रहण क्षेत्रों में)।

निकासी

4. पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और असम के सपाट मैदानों तथा ओड़ीसा और आंध्र प्रदेश के डेल्टा क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या प्रमुख है। पश्चिम बंगाल में, दामोदर जैसी नदियों में मिट्टी जमा हो जाने और तटबंधों के बढ़ जाने के कारण नदी में जल प्रवाह क्षमता कम हो गयी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा और उसकी सहायक नदियों में बार-बार की बाढ़ से बहुत मिट्टी जम गयी है जिसके कारण सहायक नदियों से मुख्य नदी की ओर सामान्य जल प्रवाह सें बाधा पड़ती है। असम में भी ब्रहमपुत्र और उसकी सहायक नदियों में एक साथ बाढ़ आने पर ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती है। ओड़िसा में नदियों और समुद्र के मुहाने, आड़ी तिरछी धाराओं के बन जाने,नदी के मुहाने पर मिट्टी जमा हो जाने तथा ज्वार भाटा में रूकावट के कारण जल प्रवाह में बाधा पड़ती है। आंध प्रदेश में, पूर्वी घाट से निकल कर तटवर्ती क्षेत्र से होकर गुजरने वाली प्रमुख नदियों का जल कोलारी झील में सिमट कर रह जाता है, क्योंकि पानी के प्रवाह की क्षमता अपर्याप्त है और किनारे की भूमि जलमग्न हो जाती है।

5. देश के विभिन्न भागों में जल निकासी की समस्या आम रूप से और सिंचाई के कारण उत्पन्न रूकावट की समस्या विशेष रूप से बहुत गंभीर हो गयी है। कुछ राज्य सरकारों ने इस दिशा में प्रयास शुरू किये हैं। लेकिन राज्य विशेष की और विभिन्न राज्यों को प्रमाणित करने वाली जल-निकासी की समस्याओं सें निपटने के लिये अलग योजनायें बनायी जायेंगी।

सिंचाई प्रबंध में सुधार

6. कमांड क्षेत्र विकास, राष्ट्रीय जल प्रबंध तथा कर्मचारियों के प्रशिक्षण के कार्यक्रमों को तेजी से लागू किया जायेगा। कमांड क्षेत्र विकास, केंद्र द्वारा समर्थित ऐसा कार्यक्रम है, जिसमें विभिन्न परियोजनाओं द्वारा तैयार सिंचाई क्षमता के अधिकतम उपयोग पर, खेतों में नालियों, भूमि के समतलीकरण तथा बाड़ाबंदी की व्यवस्था के जरिए विशेष ध्यान दिया जाता है। राष्ट्रीय जल प्रबंध कार्यक्रम में, नहरों के अलावा जल के समान वितरण के लिये कार्य योजनायें बनाना शामिल है। इस कार्यक्रम के मुख्य अंग हैं नहरों की पक्का करना और उनकी नयी धारायें निकालना तथा अतिरिक्त क्षेत्रों में सिंचाई सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये जलप्रवाह नियंत्रण व्यवस्थाओं का निर्माण करना। जल के बेहतर प्रबंध के लिये, कर्मचारियों के प्रशिक्षण की इस कार्यक्रम में अहम भूमिका है। कई राज्यों में जल और भूमि प्रबंध संस्थान स्थापित किये गये हैं। और कुछ प्रशिक्षण संस्थान भी काम कर रहे हैं। जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, रूड़की, जैसी शिक्षण और अन्य संस्थानों में उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं का भी उपयोग किया जा रहा हैं। प्रशिक्षण के लिये एक समग्र योजना बना कर, इसे सोच समझ कर लागू किया जायेगा।

जल का जमाव और खारापन

7. इस समय, जल का जमाव और खारेपन की समस्या से ग्रस्त क्षेत्रों के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस समस्या सें पीड़ित क्षेत्रों का पता लगाने और इससे निपटने के लिये उपाय सुझाने के वास्ते एक समिति बनायी गयी है। समिति की सिफारिशों के आधार पर ऐसी नीति बनायी जायेगी, जिसमें रोकथाम और उपचार दोनों तरह के उपाय किये जायेंगे और उपचार के उपायों की प्रगति पर नजर रखी जायेगी।

भूमिगत जल और सतही जल का समन्वित उपयोग

8. भूमिगत जल और सतही जल का समन्वित उपयोग अब सरकार की घोषित नीति बन गयी है और भविष्य में बनायी जाने वाली योजनाओं का यह अभिन्न अंग होगी। जो परियोजनायें पूरी हो

चुकी हैं या जिन पर काम चल रहा है या जिन्हें स्वीकृति दी जानी है, उनमें भूमिगत जल के समन्वित उपयोग की सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जायेगा। इस कार्यक्रम में, भूमिगत जल के जरूरत से अधिक इस्तेमाल की रोकथाम शामिल है। विभिन्न क्षेत्रों में भूमिगत जल की उपलब्धता और उपयोग के बारे में व्यापक सर्वेक्षण किया जायेगा ताकि विभिन्न स्थानों पर भूमिगत जल के उपयोग के लिए ठोस नीति बनायी जा सके।

इसमें भूमिगत जल के उपयोग और पूर्ति की परियोजनाओं आदि का नियमन शामिल होगा।

निगरानी

9. नदी घाटी परियोजनाओं और बाढ़ की आशंका वाली नदियों के जल प्रवाह क्षेत्रों में लागू किये जा रहे विभिन्न मृदा संरक्षण और जल प्रबंध कार्यक्रमों की निगरानी की जायेगी। प्रत्येक परियोजना/राज्य के लिए वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। और हर तिमाही उनकी प्रगति की समीक्षा की जायेगी। जल निकासी कार्यक्रमों के लिए राज्यवार वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे। वित्तीय और अन्य प्रकार की प्रगति की प्रति वर्ष संबद्ध राज्य सरकारों के साथ मिलकर समीक्षा की जायेगी। विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों में तालमेल बैठाया जायेगा और प्रति वर्ष उनकी निगरानी होगी। भूमिगत जल और सतही जल के समन्वित उपयोग की प्रगति दर्शाने वाले उपयुक्त मानक तैयार किये जायेंगे और उसी के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करके प्रति वर्ष उनकी प्रगति की निगरानी की जायेगी।

इस सूत्र के लिये जल संसाधन मंत्रालय मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

4. उन्नत कृषि – अधिक उत्पादन

हम:

* *पूर्वी क्षेत्र और कम उत्पादकता वाले अन्य क्षेत्रों में चावल के उत्पादन में क्रांति ला देंगे*
* *खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेंगे*
* *और अधिक दालों का उत्पादन करेंगे*
* *फलों और सब्जियों की पैदावार में और वृद्धि करेंगे*
* *कृषि-उत्पादकों के भंडारण, रखरखाव और बिक्री की सुविधाएं बढ़ायेंगे*
* *पशुपालन करने वाले और डेरी चलाने वाले किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में मदद करेंगे*
* *मछली-पालन और समुद्र से मछली पकड़ने की सुविधाओं का विकास करेंगे*

उद्देश्य

कृषि आज भी हमारी अर्थव्यवस्था का आधार-स्तंभ है। कृषि और संबधित गतिविधियों से देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद का लगभग 37 प्रतिशत प्राप्त होता है। देश की 61 प्रतिशत श्रमशक्ति कृषि में ही लगी है। दुखद बात यह है कि अन्य देशों की उपलब्धियों से तुलना करने पर भारत में कृषि उत्पादकता बेहद कम है। केवल गेहूं की खेती में ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं। इसलिए कृषि क्षेत्र में कम उत्पादकता के दुष्चक्र में उबरना देश के आर्थिक कार्यक्रम का बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है।

देश में भंडारण, परिवहन और बिक्री की स्थिति बहुत पिछड़ी हुई है जिससे इन प्रक्रियाओं के दौरान कृषि उत्पादों का बहुत नुकसान ही जाता है इस प्रकार स्थिति और खराब हो जाती है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण की उन्नत टैक्नोलोजी का बहुत कम इस्तेमाल होने से फसलों के तैयार होने के बाद का नुकसान और भी बढ़ जाता है।

2. आय में 5 प्रतिशत वार्षिक की निर्धारित वृद्धि और बेहतर पोषण के प्रति जागरूकता बढ़ने से फलों और मांस-मछली की मांग बढ़ेगी जिसे पूरा करने के लिये उत्पादकता बढ़ानी होगी।

नीति

3. इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिये जरूरी है कि अच्छे बीजों और उचित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग किया जाए, सिंचाई की उचित व्यवस्था की जाय, पौधों के संरक्षण के समय रहते उपाय किये जायें, फसलों के काटे जाने के बाद उचित टैक्नोलोजी का प्रयोग हो और समुचित मूल्य व्यवस्था सुनिश्चित की जाये। साथ ही चुने हुए तरीकों से कृषि योग्य भूमि का क्षेत्रफल बढ़ाया जाये। इन उपायों से उपज में वृद्धि हो सकती है। कृषि भूमि के क्षेत्र को बढ़ाने का मुख्य तरीका साल में दो फसलें व मिश्रित फसलें उगाना है इस नीति में जल-ग्रहण-क्षेत्र प्रबंध द्वारा सूखी जमीन में और अधिक नमी बढ़ाई जा सकती है ताकि कृषि उत्पादन को लगातार बढाया जा सके। बारानी खेती और तिलहनों तथा दालों के उत्पादन के विकास की उच्च प्राथमिकता दी जायेगी। छोटे और सीमांत किसानों को कृषि उत्पादनों से आमदनी बढ़ाने के उद्देश्य से लघु सिंचाई योजनाओं और ज्यादा जमीन को फसल योग्य बनाने के उपाय किये जायेंगे तथा अधिक उत्पादक किस्मों के "मिनीकिट" बांटे जायेंगे।

कार्यक्रम

चावल उत्पादन

4. असम, बिहार, मध्यप्रदेश, ओड़िसा, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में देश की चावल की खेती वाला दो तिहाई हिस्सा शामिल है। लेकिन इस पूरे क्षेत्र में कुल उत्पादन का सिर्फ 50 प्रतिशत ही चावल होता है। इन प्रदेशों में लंबे समय से चावल का उत्पादन बिलकुल नहीं बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल को छोड़कर अन्य सभी प्रदेशों में उत्पादन राष्ट्रीय औसत से कम है। पूर्वी क्षेत्र में उत्पादन का औसत कम होने के कारण हैं:– अधिक उत्पादकता वाली किस्मों का कम प्रयोग, उर्वरकों का कम इस्तेमाल, मानसून पर बड़ी मात्रा में निर्भरता और मूलभूत सुविधाओं की कमी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों–त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम आदि से भी चावल की उत्पादकता कम है। इसमें वृद्धि भी नहीं हो पा रही है क्योंकि मूलभूत सुविधायें विकसित नहीं हैं और किसान के पास साधनों की कमी होने से वह उत्पादन के लिये जरूरी उपाय नहीं कर पाता।

5. स्थान विशेष पर अधिक पैदावार देने वाले किस्मों का क्षेत्रफल बढ़ाने के उपाय किये जा रहे है। किसानों को चावल का उत्पादन बढ़ाने की उन्नत तकनीक का प्रयोग करने को प्रेरित किया जा रहा हैं। उर्वरकों के कुशल और अधिक प्रयोग का प्रचार, आवश्यकता के अनुसार कीट नाशकों के इस्तेमाल और मूलभूत सुविधाओं के विकास पर बल दिया जा रहा है। अनुमान है कि सातवीं योजना के अंत तक चावल का उत्पादन 7 करोड़ 30 लाख टन से 7 करोड़ 50 लाख टन तक हो जाएगा। इससे पहले अधिकतम उत्पादन 6 करोड़ 90 हजार टन हुआ था। करीब एक करोड़ 73 लाख टन की उत्पादन वृद्धि इन्हीं 6 राज्यों में होगी जिनके 430 परियोजना ब्लॉकों में करीब 60 लाख टन अधिक चावल की पैदावार होने की आशा है। परियोजना ब्लाकों का उत्पादन स्तर 1989-90 में 1,915 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो जाने की आशा है जब कि 1984-85 के दौरान यह 1,116 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर था। पूरे देश के लिये 1989-90 में उत्पादन का औसत 1,680 किलोग्राम प्रति हैक्टेयर हो जाने की आशा है।

तिलहनों का विकास

6. देश के 17 राज्यों के 180 जिलों में तिलहन विकास कार्यक्रम राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। 1989-90 में तिलहनों का उत्पादन एक करोड़ 80 लाख टन करने के लिये अप्रैल 1986 में एक प्रौद्योगिकी अभियान (टैक्नोलोजी मिशन) शुरू किया गया। 1984-85 में तिलहनों का उत्पादन एक करोड़ 80 लाख टन था। उत्पादन में इस वृद्धि के लिये उत्पादन तथा फसल तैयार होने के बाद बहुत बड़े स्तर पर टैक्नोलोजी का प्रयोग जरूरी है। टैक्नोलोजी में सुधार, जरूरी संसाधनों का उत्पादन और आपूर्ति, प्रदर्शन तथा टैक्नोलोजी को लोगों तक पहुंचाने के तौर तरीकों, उचित कीमतों, भंडारण और प्रोसेसिंग के क्षेत्र में समयबद्ध लक्ष्यों की प्राप्ति के लिये एक समन्वित योजना का प्रारूप बनाया गया है।

दलहन

7. दालें प्रोटीन का एक प्रचुर स्रोत हैं और ज्यादातर लोगों के भोजन का मुख्य हिस्सा है। दालों की विभिन्न किस्मों का उत्पादन रबी और खरीफ दोनों फसलों के दौरान होता है। रबी के मौसम की महत्वपूर्ण दालों में चना, मसूर, मटर आदि शामिल हैं। खरीफ की फसल के दौरान अरहर, हरा चना, काला चना, और मोठ उगाई जाती है। वर्ष 1989-90 के लिये दलहन के उत्पादन का लक्ष्य एक करोड़ 60 लाख टन रखा गया है। वर्ष 1985-86 के दौरान दलहन उत्पादन एक करोड़ 35 लाख टन रहा। सातवीं योजना के दौरान दलहन उत्पादन बढ़ाने के लिये दो तरीके इस्तेमाल किये जायेंगे। पहला तरीका, उत्पादन योग्य भूमि का क्षेत्रफल 2 करोड़ 27.3 लाख हैक्टेयर से बढ़ाकर 2 करोड़ 60 लाख हैक्टेयर कर देना हैं। दूसरे तरीके में उत्पादकता को बढ़ाकर 537 किलोग्राम प्रति

हैक्टेयर से 603 किलोग्राम करने की योजना हैं। दलहन फसल वाली जमीन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिये रबी के मौसम में, चावल के लिए परती रखी गई जमीन में कम समय में पैदा होने वाली मूंग जैसी दालें उगाई जा सकती है। सिंचित भूमि में, इन दालों की गर्मी की फसल के तौर पर उगाया जा सकता है। कम समय में तैयार हो जाने वाली अरहर की फसल की पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे गेहूं उत्पादक राज्यों में, गेहूं के साथ हेर-फेर करके उगाने में सफलता मिली है। दालों की उत्पादकता बढ़ाने के लिये अच्छी किस्म का बीज इस्तेमाल करना, फंफूद नाशकों का प्रयोग, फॉस्फेट उर्वरकों का प्रयोग, पौधों की रक्षा की व्यवस्था आदि उपाय किये जाएंगे। राष्ट्रीय दाल विकास परियोजना उत्पादन तकनीकों की प्रदर्शित करती है, बड़े पैमाने पर दालों के मिनीकिट उपलब्ध कराती है, अच्छी सम्भावना वाले सिंचित क्षेत्रों में जल्दी तैयार होने वाली अरहर और गर्मियों में तैयार होने वाली मूंग के लिये अतिरिक्त जमीन जुटाती है, राइजोबियम कल्चर की सुविधायें उपलब्ध कराती है, दाल मिलों की स्थापना करती है और किसानों को बेहतर मूल्य दिलाने की व्यवस्था करती है।

बागवानी

8. केंद्र और राज्यों द्वारा फलों और सब्जियों के विकास के लिये कई योजनायें शुरू की गयी है। इन योजनाओं में मुख्य रूप से पौधों का उत्पादन और वितरण तथा उन्नत किस्म के बागवानी के तरीकों का प्रदर्शन शामिल है। बड़े शहरों के आस पास सब्जियों की गहन खेती के लिये केंद्र सरकार का सातवीं योजना के दौरान एक कार्यक्रम शुरू करने का विचार है।

फसल कटने के बाद के उपाय

9. फसल कटने के बाद अनाजों और फलों-सब्जियों के नुकसान को कम करने के लिये भंडारण, प्रोसेसिंग, और बिक्री की सुविधायें जुटाने के कार्यक्रमों का विस्तार किया जायेगा तथा इन्हें कुशलता से लागू किया जायेगा। बड़े पैमाने पर भंडारण सुविधायें उपलब्ध कराने वाले इस समय देश में सार्वजनिक क्षेत्र के तीन उपक्रम हैं। ये हैं-भारतीय खाद्य निगम (एफ सी आई), केन्द्रीय गोदाम निगम (सी.डब्ल्यू.सी.), राज्यों के 16 गोदाम निगम (एस.डब्ल्यू.सी.)। छठी योजना में इनकी कुल भंडारण क्षमता 51 लाख टन (अनाजों के लिए 38 लाख टन) थी। वर्ष 1985-86 के दौरान सोलह लाख टन भंडारण क्षमता बढ़ायी गयी। इन उपक्रमों की भंडारण क्षमता चालू वर्ष के दौरान दस लाख टन तथा 1987-88 के दौरान ग्यारह लाख टन और बढ़ जायेगी। गेहूं की प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित किया जायेगा और चावल मिलों की आधुनिक बनाया जायेगा। उपउत्पादों के प्रयोग पर ध्यान दिया जायेगा। पश्चिम बंगाल में आई.आई.टी., खड़गपुर, की सहायता से धान की भूसी से तेल निकालने के लिये एक समन्वित योजना शुरू की जाएगी। खाद्य पदार्थों और सब्जियों की प्रोसेसिंग सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर दिया जायेगा ताकि इन खराब हो जाने वाले पदार्थों का भारी नुकसान कम किया जा सके। हालांकि प्रोसेसिंग की क्षमता 1980 से 1985 के बीच दो लाख टन से चार लाख टन हो गयी है लेकिन अभी भी ये देशों में फलों और सब्जियों के कुल उत्पादन का केवल एक प्रतिशत है।

राज्य सरकारों और सहकारी उपक्रमों की फलों तथा सब्जियों की प्रोसेसिंग इकाइयां शुरू करने में आवश्यक वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने के लिए योजना में, तीन करोड़ रूपये का प्रावधान है। राज्य सरकार के निर्देशन में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय फलों की प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रोसेसिंग और पोषण केंद्र खोले जायेंगे।

सहकारी संस्थायें फसलों के कटने के बाद की विभिन्न सुविधायें किसानों को उपलब्ध कराकर उनके हितों को सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पिछले कुछ वर्षों से सहकारी संस्थाओं द्वारा भंडारण क्षमतायें उपलब्ध कराने का एक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। ताकि ये सहकारी संस्थाएं कृषि उत्पादन की बिक्री कर सकें और कृषि में काम आने वाले संसाधनों और जरूरी वस्तुओं का सदस्यों को बड़े पैमानों पर वितरण कर सकें। 1985-86 के अंत तक सहकारी संस्थाओं ने 84.9

लाख टन भंडारण क्षमता प्राप्त कर ली थी। इसमें वर्ष 1986-87 के दौरान 6 लाख टन, और 1987-88 के दौरान 5.5 लाख टन की और वृद्धि होने की आशा है। कृषि उत्पादों की बिक्री में सहकारी संस्थाओं की भूमिका में लगातार विस्तार हो रहा है। सहकारी संस्थायें केंद्रीय सहकारी एजेंसियों (जैसे भारतीय खाद्य निगम, भारतीय कपास निगम, भारतीय जूट निगम आदि)से अनाज प्राप्त करने में, महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ ऐसी प्रमुख केंद्रीय एजेंसी है, जो तिलहनों, दलहन और मोटे अनाजों की बिक्री संबंधी काम हाथ में लेती है और आलू और प्याज जैसी जल्दी खराब हो जाने वाली चीजों के मामले में, बाजार में हस्तक्षेप करके इनकी सुरक्षा के उपाय करती है सहकारी संस्थाओं द्वारा बिक्री किये गये कृषि उत्पादों का कुल मूल्य 1986-87 के दौरान 42 अरब रूपये और 1987-88 के दौरान 44 अरब रूपये हो जाने की आशा है। सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है और उन्हें कृषि उत्पादों की प्रोसेसिंग इकाइयों, (चावल मिल, रूई तैयार करने, विभिन्न प्रकार की तेल निकालने और फलों सब्जियों की प्रोसेसिंग इकाइयां) आदि को खोलने में सहायता दी जा रही है। राज्यों की योजना के अंतर्गत दी गयी सहायता के अतिरिक्त राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम द्वारा परियोजना के आधार पर वित्तीय सहायता देने का भी प्रावधान है।

10. उत्पादक को उसके कृषि उत्पादों का उचित मूल्य मिले और इस दौरान होने वाली बेइमानी समाप्त की जा सके, इस उद्देश्य के लिए कृषि पदार्थों के बाजार के नियंत्रण को बढ़ाया जायेगा। नियंत्रित बाजार में, व्यावसायिक महत्व के अन्य पदार्थों को भी शामिल किया जायेगा, जैसे फल तथा सब्जियां, मांस, वनों से प्राप्त होने वाली वस्तुएं आदि। नियंत्रित तथा अन्य ग्रामीण बाजारों के ढांचें के विकास के लिये वित्तीय सहायता देने के और प्रबंध किये जा रहे हैं।

11. ऋण केंद्रों की स्थापना, कृषि उत्पादों के बिक्री योग्य अधिशेष के बारे में सर्वेक्षण और बाजार के कार्यकर्ताओं की प्रशिक्षण देने की जरूरत जैसे कार्यक्रमों की भी लागू किया जायेगा। वर्तमान प्रोसेसिंग इकाइयों में, तकनीकी, तथा वित्तीय प्रबंध जैसे कारणों से क्षमता का पूरा उपयोग न होने की समस्याओं का भी समाधान किया जायेगा।

पशुधन

12. पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था में, विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों और कृषि मजदूरों के लिये, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ ही यह पोषक भोजन, दूध, अंडे, और मांस का भी मुख्य स्रोत है। पशुपालक और डेरी चलाने वाले किसानों को उत्पादकता बढ़ाने में मदद करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। पशुधन के क्षेत्र में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा कई योजनाए चलाई जा रही हैं। वर्ष 1989-90 तक दूध का उत्पादन पांच करोड़ दस लाख टन और अंडों का 19 अरब 90 करोड़ 10 लाख करने का लक्ष्य रखा गया है।

मछली उद्योग

13. मछली तथा मछली उत्पाद उच्च कोटि के प्रोटीन वाले भोजन के मुख्य स्रोत हैं। मछली उद्योग के विकास से पिछड़े और कमजोर वर्ग के लोगों को और अधिक रोजगार मिलेगा। इसके साथ ही समुद्री उत्पादों से काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी प्राप्त होगी। 1989-90 में समाप्त होने वाली 5 वर्ष की अवधि तक मछलियों का उत्पादन 34 लाख टन तक बढ़ा दिया जायेगा। मछली पालन और समुद्र से मछली पकड़ने का कार्य महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्रों में जहां मछलियों के प्राकृतिक आवास, नदी, समुद्र आदि नहीं है, वहां मछलियों के "सीड फार्म" बनाए जाएंगे। गांवों में मछली पालन की बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक क्षेत्रों की तरह मछली उद्योग क्षेत्रों का विकास किया जायेगा। समुद्र से मछली पकड़ने के मुख्य कार्यक्रम के अंतर्गत गहरे समुद्र में मछलियां पकड़ने वाला जहाजी बेड़ा बनाया जायेगा, मशीनी नौकाओं में सुधार किया जायेगा, परम्परागत तरीके से मछली पकड़ने के स्थान पर इस काम का यंत्रीकरण किया जायेगा और मछलियां पकड़ने के लिए समुद्री अड्डे बनाये जायेंगे।

निगरानी

14. चावल, तिलहन और दलहन के उत्पादन तथा उत्पादन के लिये जरूरी साधनों की सप्लाई की साल में दो बार निगरानी की जायेगी। यह निगरानी पहले से निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार खरीफ और रबी की फसलों के दौरान कराई जाएगी। बागवानी, पशुपालन, और मछली उद्योग के क्षेत्रों में, निगरानी साल में एक बार की जाएगी। भंडारण, प्रोसेसिंग, और बिक्री की आधुनिक सुविधाओं की भी सालाना निगरानी की जायेगी। हर तीन महीने के बाद कार्यक्रम के हर क्षेत्र में हुई प्रगति और खर्च का मूल्यांकन करने के लिये भी निगरानी की जायेगी।

इस सूत्र के लिए कृषि विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

5. भूमि सुधार

हम:

* *भूमि संबंधी रिकार्डों को पूरा करेंगे*
* *कृषि भूमि अधिकतम सीमा प्रावधानों को कार्यान्वित करेंगे*
* *अतिरिक्त भूमि भूमिहीनों में वितरित करेंगे*

उद्देश्य

भूमि सुधार, गरीबी दूर करने तथा कृषि के आधुनिकीकरण और उत्पादकता में वृद्धि लाने, दोनों के लिए ही अत्यन्त आवश्यक है। "कृषक को भूमि" स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही सरकारी नीति का मुख्य लक्ष्य रहा है, और इस ध्येय की प्राप्ति ग्रामीण इलाकों में गरीब वर्गों के शोषण को समाप्त करने के लिए निर्णायक है।

नीति:

2. भूमि सुधार नीति के अन्तर्गत जो कदम उठाए जाएंगे, वे हैं: (1) मध्यस्थ पट्टा व्यवस्था को समाप्त करना (2) काश्तकारी सुधार–जिससे पट्टे की सुरक्षा हो, किराये को नियंत्रित किया जा सके तथा काश्तकार को स्वामित्व अधिकार दिए जा सकें (3) कृषि-भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जाएगी तथा अतिरिक्त भूमि को आवंटित किया जाएगा (4) कृषि-भूमि के टुकड़ों को व्यवस्थित किया जाएगा तथा (5) भूमि संबंधी अभिलेखों को संकलित और सही किया जाएगा। भूमि सुधार के महान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए वर्तमान कानूनों के दृढ़तापूर्वक और निष्ठापूर्वक कार्यान्वयन में उनकी कमियों को दूर किया जाएगा।

कार्यक्रम:

भूमि संबंधी रिकार्ड रखना:

3. भूमि संबंधी रिकार्ड (अभिलेख) भूमि सुधार के लिए उठाए जाने वाले किसी भी कदम के लिए अत्यावश्यक है। अत: भूमि संबंधी अभिलेखों का संकलन करना और उन्हें वर्तमान तक सही-सही भरना भूमि-सुधार के लिए उठाए जाने वाले प्रत्येक कदम को सफलता के लिए आवश्यक है। इसके अलावा ये अभिलेख अन्य विकास कार्यों, जैसे कम कृषि-भूमि वाले किसानों को ऋण उपलब्ध कराने, के लिए भी आवश्यक हैं। राजस्व तंत्र को सुदृढ़ करने तथा भूमि संबंधी अभिलेखों (रिकार्डों) को पूरा करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना कार्यान्वित की जाएगी। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे राज्यों को पहली बार भूमि संबंधी अभिलेखों के संकलन के लिए सहायता प्रदान की जाएगी जिनमें अब तक वे अभिलेख संकलित ही नहीं किए जाते थे। ये राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेश हैं: मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, गोवा, दमन और दीव तथा अण्डमान निकोबार द्वीप समूह। अन्य राज्यों में अभिलेखों को वर्तमान तक सही और पूरा करने के लिए सहायता प्रदान की जाएगी। एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया जाएगा ताकि यह कार्य शीघ्रातिशीघ्र पूरा किया जा सके।

4. कृषि भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करने संबंधी कानून कई राज्यों में 1950 और 1960 के दशकों में लागू किए गए थे। अधिकतम सीमा कानून कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों तथा कुछ केन्द्र शासित प्रदेशों को छोड़कर बाकी सारे देश में लागू हैं। नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, ओड़िसा, केरल और पश्चिम बंगाल में ये इसलिए लागू नहीं हैं क्योंकि इन राज्यों में आमतौर पर भूमि समुदाय के स्वामित्व में होती है। गोवा, दमन और दीव, चण्डीगढ़, अण्डमान-निकोबार द्वीप समूहों तथा लक्षद्वीप में भी ये कानून नहीं हैं। विभिन्न राज्यों में इन कानूनों के कारगर कार्यान्वयन का स्तर एक सा नहीं रहा—कहीं अधिक सफलता मिली तो कहीं कम। सिक्किम में इस कानून को लागू ही नहीं किया जा रहा है। कई मामलों में इन कानूनों द्वारा निर्धारित सीमा अत्यधिक थी और उस सीमा से छूट भी अत्यधिक मामलों में दी गई थी। साथ ही इन कानूनों में खामियां भी बहुत थीं जिससे उनके कारगर कार्यान्वयन में बाधाएं उत्पन्न होती रहीं। देश के विभिन्न हिस्सों में लगाई जाने वाली अधिकतम सीमाओं को काफी हद तक समान करने तथा संबद्ध कानूनों की खामियों को दूर करने के लिए सन् 1972 में राज्यों के मुख्य मंत्रियों के एक सम्मेलन के पश्चात भूमि की अधिकतम सीमा पर राष्ट्रीय दिशा-निर्देश निर्धारित किए गए। इन दिशा निर्देशों की सिफारिशों के अनुसार प्रति परिवार पर लागू होने वाली अधिकतम सीमा ऐसी सर्वश्रेष्ठ श्रेणी वाली भूमि के लिए 10-18 एकड़ थी जो प्रति वर्ष दो फसल दे सके, तथा शुष्क भूमि तथा अन्य विशेष प्रकार की भूमि के मामले में यह सीमा 54 एकड़ तक थी। इसी के अनुरूप अब सारे देश में कानून बनाए गए हैं।

5. चूंकि, निर्धारित कानूनी प्रक्रियाएं अधिकतम सीमा कानूनों के कार्यान्वयन के रास्ते में बाधा प्रस्तुत करती हैं अतः इन कानूनी खामियों को दूर करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, साथ ही उच्च न्यायालयों की विशेष पीठों के गठन अथवा संविधान के अनुच्छेद 322 "बी" के अन्तर्गत ट्राइब्यूनलों की स्थापना से कानूनी मामलों को शीघ्रातिशीघ्र निपटाया जाएगा। कानून का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध तथा सार्वजनिक निवेश से हाल में सिंचित क्षेत्रों को यथोचित सीमा के अन्दर लाने के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। जब अतिरिक्त भूमि आवंटित की जाएगी तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि भूमि संबंधी अभिलेखों में भी इसे दर्शाया जाए, उक्त भूमि को भौतिक रूप से चिह्नित किया जाए, तथा उसको वास्तविक रूप से लाभार्थी को सौंप दिया जाए। ऐसे लाभार्थियों को बेदखल होने से बचाने के लिए कानूनी प्रावधान बनाए जाएंगे तथा उन्हें लागू किया जाएगा। जहां इस प्रकार की भूमि पर दूसरों द्वारा कब्जा कर लिया जाता है वहां ऐसे अतिक्रमण करने वालों अथवा गैर-कानूनी रूप से कब्जा करने वालों के खिलाफ तुरन्त कार्यवाही की जाएगी तथा वास्तविक हकदार को भूमि वापस दिलाई जाएगी, खासकर ऐसे मामलों में जहां भूमि अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य कमजोर वर्ग के लोगों की हो। इस क्षेत्र में लगी स्वयं सेवी एजेंसियों को कार्यक्रम की प्रगति पर नजर रखने के लिए तथा लाभ पाने वालों की समस्याओं की अधिकारियों के समक्ष रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि ये समस्याएं हल की जा सकें। अतिरिक्त भूमि के आवंटन में मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों को प्राथमिकता दी जाएगी।

6. अधिकतम सीमा से अधिक की भूमि का वितरण भूमि सुधार कार्यक्रमों में प्रमुख कार्यक्रम रहा है। कार्यक्रम को शुरूआत से अब तक 30 लाख 18 हजार हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त भूमि घोषित किया गया है, 23.43 लाख हेक्टेयर भूमि को कब्जे में से लिया गया है तथा लगभग 17.56 लाख हेक्टेयर भूमि को 34.98 लाख लोगों में वितरित कर दिया गया है। वितरित भूमि का 36.4 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को दिया गया है, ये लोग कुल लाभार्थियों का 55 प्रतिशत हैं। जिस 12.62 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त घोषित किया गया है किन्तु वितरित नहीं किया जा सका है उसमें से 5.88 लाख हेक्टेयर कानूनी मामलों में फंसी पड़ी है तथा 5.32 लाख हेक्टेयर भूमि या तो कृषि के उपयुक्त नहीं है अथवा वनरोपण या किसी अन्य सार्वजनिक कार्य के लिए आरक्षित है या फिर किन्हीं अन्य कारणों से वितरण के लिए उपलब्ध नहीं है। कानूनी पचड़ों में फंसी हुई भूमि को सार्थक कानूनी कार्यवाही अथवा ऊपर बताए गए अन्य कदमों से छुड़ाया जाएगा।

निगरानी :

7. अतिरिक्त भूमि के वितरण पर निर्धारित लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर, निगरानी रखी जाएगी भूमि संबंधी अभिलेखों के संकलन, अधिकतम भूमि कानूनों का कार्यान्वयन तथा होने वाले खर्चे पर निगरानी तिमाही आधार पर रखी जाएगी।

इस सूत्र के लिए ग्रामीण विकास विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

6. ग्रामीण श्रमिकों के लिए विशेष कार्यक्रम

हम :

* *कृषि और उद्योग में असंगठित मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू करेंगे*
* *बंधुआ मजदूरी समाप्त करने वाले कानूनों को पूरी तरह कार्यान्वित करेंगे*
* *बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के कार्यक्रम में स्वयंसेवी एजेंसियों को शामिल करेंगे*

उद्देश्य :

ग्रामीण इलाकों में श्रमिक असंगठित होते हैं अत: उनके वास्तविक और कानूनी हित तथा अधिकारों की आमतौर पर रक्षा नहीं हो पाती है। जमींदार, ठेकेदार तथा मालिक इन मजदूरों का व्यापक रूप से शोषण करते हैं। कृषि सहित सभी क्षेत्रों में असंगठित मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए ही न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 बनाया गया है, परन्तु ग्रामीण इलाकों में इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावकारी ढंग से लागू नहीं किया जा सका है। स्वयं ग्रामीण मजदूरों की आर्थिक कमजोरी और अज्ञानता के अलावा राज्य सरकार द्वारा स्थापित निरीक्षण व्यवस्था भी ग्रामीण इलाकों में ठीक तरह से नहीं पहुंच पाई है। इन खाइयों को पाटने की आवश्यकता है।

नीति और कार्यक्रम :

2. राज्यों में कानूनी प्रावधानों को लागू करने से संबद्ध व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आर्थिक सहायता देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित एक मार्गदर्शक (पायलट) योजना शुरू की गई है। प्रारम्भ में यह योजना चार राज्यों : मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओड़िसा तथा मणिपुर में ही शुरू की गई है। इसके अन्तर्गत ऐसे खण्डों (ब्लाकों) में, जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि मजदूरों की जनसंख्या 70 प्रतिशत या उससे अधिक है, दो सौ ग्रामीण मजदूर निरीक्षकों की नियुक्ति का प्रावधान है। यह योजना अन्य राज्यों में तथा ग्रामीण इलाकों के असंगठित औद्योगिक मजदूरों के लिए विभिन्न चरणों में शुरु की जाएगी।

न्यूनतम मजदूरी :

3. उपयुक्त सरकार अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले 42 रोजगारों के मामले में केन्द्र सरकार, तथा 210 अन्य रोजगारों के मामले में राज्य सरकारों को प्रत्येक दो वर्षों में अथवा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में 50 अंकों की वृद्धि पर न्यूनतम मजदूरी में संशोधन करना होता है। किन्तु संशोधन के इस कार्यक्रम का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि न्यूनतम मजदूरी में संशोधन समयसमय पर हो ताकि—न्यूनतम मजदूरी के संशोधन में देरी के कारण असंगठित ग्रामीण मजदूरों को उनके न्यायोचित अधिकारों से वंचित न किया जा सके। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का जनसंचार माध्यमों के जरिए व्यापक प्रचार किया जाएगा जिससे असंगठित ग्रामीण मजदूरों के कानूनी अधिकारों के बारे में जागरुकता लाई जा सके और उनको न्यूनतम मजदूरी दिलाने के प्रावधानों को लागू करने के लिए दबाव पैदा किया जा सके।

बंधुआ मजदूर :

4. बंधुआ मजदूर प्रथा (समाप्ति) अधिनियम, 1976 के प्रभावशाली कार्यान्वयन का अर्थ बंधुआ मजदूरों का पता लगाना और उन्हें मुक्त कराना तथा कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्यवाही करना है। इस अभिशाप को समाप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण कदम जोरदार तरीके से लागू किए जाएंगे, वे हैं : जिला और सब-डिवीजन स्तरों पर सतर्कता समितियों के गठन और उनकी नियमित बैठकें; अधिनियम की धारा 21 के अन्तर्गत अधिशासी मजिस्ट्रेटों को न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्ति प्रदान करना तथा संबद्ध नियमों के नियम सात के तहत बताए गए रजिस्टरों आदि का रखा जाना। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने के लिए व्यापक स्तर पर सर्वेक्षण किया जाएगा। सन् 1978-79 में शुरु की गई केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कुल लागत की 50 प्रतिशत तक की राशि केन्द्र उसी अनुसार सहायता के रूप में देगा। हाल ही में कुल सहायता राशि की 4,000 रुपये से बढ़ाकर 6,250 रुपये कर दिया गया है जिसमें 500 रुपये का प्रारम्भिक नकद अनुदान भी शामिल है। बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास की 20 सूत्री कार्यक्रम, 1986 के अन्तर्गत आने वाले अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वित किया जाएगा। खासकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम तथा भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के साथ, ताकि बंधन से मुक्त किए गए मजदूरों को अपने परिवारों के भरणपोषण के लिए तत्काल रोजगार मिल सके और वे फिर से बंधुआ मजदूर न बन जाएं।

5. बंधुआ मजदूरों का पता लगाने में स्वयंसेवी एजेंसियां पहले ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। इन एजेंसियों को कार्यक्रम के अन्य अंगों, अर्थात बंधुआ मजदूरों को छुड़वाना और उनके पुनर्वास में भी लाभप्रद रूप से शामिल किया जाएगा। देश के उन कुछ जिलों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना मार्ग-दर्शक योजना के रूप में शुरू की जाएगी जहां बंधुआ मजदूरी की समस्या काफी बड़े पैमाने पर व्याप्त है ताकि चुनींदा स्वयंसेवी एजेंसियों को इस कार्यक्रम के तीनों ही उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में कार्य करने के लिए सहायता दी जा सके।

निगरानी :

6. बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास कार्य पर, लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए मासिक आधार पर निगरानी रखी जाएगी। बंधुआ मजदूरों का पता लगाने और उन्हें मुक्त करने के बारे में सूचना प्रत्येक तिमाही पेश की जाएगी। कृषि और उद्योग में असंगठित ग्रामीण मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का परिपालन, समीक्षा रिपोर्ट के अन्तर्गत तिमाही आधार पर आंका जाएगा। तिमाही जानकारी में खर्च का भी जिक्र होगा।

इस सूत्र के लिए श्रम मंत्रालय मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

7. पीने का साफ पानी

हम

* *सभी गांवों को पीने का साफ पानी उपलब्ध कराएंगे*
* *स्थानीय समुदायों को जन-आपूर्ति के ऐसे स्रोतों को अच्छी हालत में रखने के लिए सहायता देंगे*
* *अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जल-आपूर्ति व्यवस्था पर विशेष ध्यान देंगे*

उद्देश्य :

ग्रामीण जनसंख्या को पीने का पानी उपलब्ध कराने को सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। समस्या वाले गांवों का सर्वेक्षण, जिन पर तुरन्त ध्यान दिए जाने की आवश्यकता थी, सबसे पहले छठे दशक के दौरान किया गया। तब से लेकर सितम्बर, 1986 तक 3.48 लाख समस्या वाले गांवों में जल आपूर्ति का कम से कम एक सुनिश्चित स्रोत उपलब्ध करा दिया गया है जिनमें पानी की भयंकर कमी थी तथा पीने के साफ पानी का स्रोत नहीं था। अब, न केवल बकाया समस्या वाले गांवों को जल आपूर्ति का कम से कम एक स्रोत उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण जनसंख्या को पर्याप्त जल आपूर्ति किए जाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखे जाने का भी प्रस्ताव है। यह उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रीय पेयजल आपूर्ति और स्वच्छता दशक (1981-91) के उद्देश्यों के अनुरूप है।

2. कार्य की व्यापकता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि 1985 में ग्रामीण जनसंख्या के 46 प्रतिशत को पेय जल उपलब्ध कराया जाना बाकी था। इसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापक भिन्नता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, मेघालय और असम में 60 प्रतिशत तक ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाना बाकी है; केरल, सिक्किम और तमिलनाडु में 50 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनसंख्या को यह उपलब्ध कराना बाकी है। अन्य राज्यों में भले ही स्थिति कुछ बेहतर है किन्तु गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों में जब-तब पड़ने वाले सूखों के दौरान वर्तमान पेय जल आपूर्ति व्यवस्था की कमजोरी खुल कर सामने आ जाती है ।

नीति :

3. प्रति व्यक्ति को प्रति दिन 1.6 किलोमीटर के दायरे के भीतर ही 40 लिटर पानी उपलब्ध कराना, सबको पीने का पानी उपलब्ध कराने की नीति का आधारस्तम्भ है। इस उद्देश्य की प्रभावशाली और शीघ्रता से प्राप्ति के लिए अगस्त 1986 में गांवों में पीने के पानी पर टेक्नोलाजिकल मिशन तथा संबद्ध गांवों में जल प्रबंध रूप किया गया। इस टेक्नोलाजिकल मिशन का उद्देश्य ग्रामीण पेय जल आपूर्ति के क्षेत्र में वर्तमान में चल रहे कार्यक्रमों की कुशलता और प्रभावशीलता में वृद्धि करना है ताकि उपयुक्त गुणवत्ता के पेयजल की समुचित मात्रा में उपलब्धता की सुनिश्चित किया जा सके तथा इस प्रकार के पेयजल की उपलब्धता की दीर्घावधि आधार भी पर सुनिश्चित किया जा सके। इस अभियान के अन्तर्गत खारापन, समुद्रीपन, लौह, फ्लोराइड और कीटाणु स्तर, जैसी पानी की विशिष्ट समस्याओं को हाथ में लिया जाएगा। यह कहने की आवश्यकता नहीं होगी कि केवल तात्कालिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए स्थापित जल आपूर्ति स्रोत ही काफी नहीं है, बल्कि समुचित मात्रा में स्थायी आधार पर साफ पानी सुनिश्चित करने के तरीकों को अपनाए जाने की आवश्यकता है।

कार्यक्रम :

4. सातवीं योजना के अन्तर्गत 34 अरब 54 करोड़ रुपये का प्रावधान है—केन्द्रीय गतिशील ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 अरब एक करोड़ रुपये, तथा राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 22 अरब 53 करोड़ रुपये। इस प्रावधान के प्रभावशाली इस्तेमाल और टेक्नोलाजिकल मिशन के मार्ग निर्देशन की सहायता से अगले कुछ वर्षों में इस प्रमुख समस्या पर काफी हद तक सफलता प्राप्त किए जाने की आशा है। पारम्परिक स्रोतों से जल उपलब्ध कराए जाने, तथा उपयुक्त तकनीक और सामग्री के उपयोग से जल संग्रह करने वाले ढांचों की बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। ऐसे स्रोतों से प्राप्त पानी को पीने योग्य बनाए रखने के लिए कम लागत की उपयुक्त तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा क्योंकि मौसम और सतही तथा भूमिगत जल के स्रोतों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापक अंतर होता है अतः भिन्न-भिन्न स्रोत्रों के लिए अलग-अलग प्रकार की उपयुक्त तकनीक अपनानी पड़ेगी। जहां भी संभव हों सकेगा, हैण्ड पम्प सहित ट्यूबवैलों की स्थापना का काम सर्वप्रथम हाथ में लिया जाएगा।

रख-रखाव :

5. गांव में एक बार जल-आपूर्ति योजना कार्यान्वित कर दिए जाने के बाद उसका समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किए जाने के पर्याप्त उपायों की नितांत आवश्यकता है, ताकि उस योजना के अंतर्गत गांव के लोगों को लगातार पानी मिलता रहे और स्रोत न तो सूखने पाए और न ही उसमें कोई और खामी आने पाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पंचायतों, सहकारी समितियों अथवा अन्य संस्थाओं के माध्यम से स्थानीय समुदायों का शामिल होना अत्यावश्यक होगा। स्थानीय समुदायों को जल आपूर्ति को बढ़िया स्थिति में बनाए रखने के लिए वित्तीय सहायता तथा तकनीकी प्रशिक्षण देने की आवश्यकता होगी। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के ग्रामीण जल आपूर्ति घटक के अन्तर्गत रखी गई राशि के 10 प्रतिशत तक को जल आपूर्ति को शुरु करने और उसकी रख-रखाव के लिए खर्च करने का प्रावधान सातवीं योजना में रखा गया है। धन का यह स्रोत स्थानीय समुदायों को जल आपूर्ति योजनाओं के रख-रखाव में सहायता पर खर्च किया जाना होगा। पंचायत स्तर पर रख-रखाव कार्य की देखभाल करने के लिए नियुक्त किए गए कारिन्दे (केयरटेकर) से कुछ क्षेत्रों में इस कार्य में सफलता मिली है, अतः इसे दूसरे क्षेत्रों से भी अपनाया जाएगा। इन कारिन्दों (केयरटेकरों) की "स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण योजना" (ट्राइसेम) तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें आवश्यक औजार और कलपुर्जे उपलब्ध कराए जाएंगे।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जल आपूर्ति :

6. इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में कहीं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनदेखा न कर दिया जाए इसके लिए यह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि यह आधारभूत सुविधा इन लोगों को प्रत्येक गांव में उपलब्ध कराई जाए। दिशा-निर्देशों के अनुसार पहले ही यह व्यवस्था है कि किसी भी गांव में पीने के पानी का प्रथम स्रोत उस इलाके में हो जिसमें मुख्यतः अनुसूचित जाति के लोग रहते हों। साथ ही ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत न्यूनतम राशि रखे जाने, जो कि विशेष घटक योजना के तहत अनुसूचित जातियों और "ट्राइबल सब-प्लान" के अन्तर्गत अनुसूचित जनजातियों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के तहत किए गए प्रावधानों की प्रतिशत के बराबर होगा और केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की जल आपूर्ति पर ही खर्च किया जाएगा। इस बात को सख्ती से लागू किया जाएगा। इस प्रकार रखी गई राशि की किसी और काम के लिए खर्च नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही लाभान्वित होने वाली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या को भी लगातार ध्यान में रखना होगा।

निगरानी :

7. ऊपर दिए गए निर्देशों से अनुसार जल आपूर्ति योजनाओं से लाभान्वित होने वाले गांवों की संख्या और जनसंख्या पर मासिक रूप से निगरानी रखी जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को पहुंचाए गए लाभों पर अलग से निगरानी रखी जाएगी। अन्य बातों और खर्च पर तिमाही जानकारी पेश की जाएगी।

इस सूत्र के लिए ग्रामीण विकास विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

8. सभी के लिए स्वास्थ्य

हम:

* *प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के स्तर को बेहतर बनाएंगे*
* *कुष्ठ रोग, टी०बी०, मलेरिया, घेघा, अंधापन तथा अन्य बड़ी बीमारियों से लड़ेंगे*
* *सभी शिशुओं और बच्चों को रोगों से प्रतिरक्षा उपलब्ध कराएंगे*
* *ग्रामीण इलाकों में, विशेषकर महिलाओं के लिए, सफाई सुविधाओं को बेहतर करेंगे*
* *विकलांगों के पुनर्वास के कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान देंगे*

उद्देश्य :

राष्ट्र सन् 2000 तक "सबके लिए स्वास्थ्य" का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध है। भले ही स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने में भारी सफलताएं प्राप्त की गई हैं, जिनके फलस्वरूप जन्म के समय आयु की संभावना 32.1 वर्ष (1951 में) से बढ़ कर 54.4 वर्ष (1980 में) हो गई तथा चौथे दशक के दौरान व्याप्त शिशु मृत्यु दर (146 प्रति हजार जीवित जन्म) को 1985 में कम करके 95 तक ला दिया गया, किन्तु फिर भी बीमारियों और मृत्यु-दर के विरूद्ध लड़ाई निरन्तर रूप से जारी रहनी चाहिए। विशेष रूप से मलेरिया, टी०बी०, कुष्ठ रोग, घेघा, अंधापन, हाथी पांव, पेचिश, आदि बीमारियों के विरूद्ध लड़ाई और तेज करनी होगी। सन् 2000 तक प्राप्त किए जाने वाले दीर्घावधि लक्ष्य के अन्तर्गत जन्म के समय आयु की संभावना को बढ़ा कर 64 वर्ष करना तथा शिशु मृत्यु-दर को 60 प्रति हजार तक कम करना शामिल है।

नीति :

2. देश के विशाल मानव संसाधनों के विकास तथा बेहतर जीवन-स्तर प्राप्त करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल को कार्य नीति के मुख्य अंग के रूप में स्वीकार किया गया है।

3. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल में और वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले पहलुओं तथा ऐसी प्रभावशाली और कुशल स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना पर जोर दिया जाएगा जो व्यापक हों, आसानी से उपलब्ध हों तथा आम लोगों की आर्थिक पहुंच के भीतर हों। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य उपायों की बढ़ावा देने के लिए आधार स्तम्भ की भूमिका निभाता रहेगा, तथा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के स्तर में बढ़ोतरी तथा उनके विस्तार पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। साथ ही आधारभूत सुविधाओं को भी सुदृढ़ किया जाएगा तथा जहां उपलब्ध नहीं हैं वहां अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना की जाएगी।

4. ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने की इस नीति और दृष्टिकोण को जबर्दस्त तरीके से लागू किया जाएगा। पहले से ही विकसित स्वास्थ्य देखरेख के आधारभूत ढांचे को प्रशिक्षित कर्मचारियों, उपकरणों तथा वस्तुओं की अन्य सुविधाओं की कमी को पूरा करके मजबूत किया जाएगा। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा उपकेन्द्रों की तीन स्तर की व्यवस्था को, वर्तमान मां-शिशु स्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में तथा उप-जिला

अस्पतालों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करके और सुदृढ़ किया जाएगा तथा साथ ही जहां कहीं भी आवश्यक होगा, नई कार्यरत इकाइयां स्थापित को जाएंगी।

कार्यक्रम :

5. एक अप्रैल 1986 को आधारभूत ढांचे की स्थिति, तथा सातवीं योजना के लिए रखे गए लक्ष्य इस प्रकार हैं :

	कुल आवश्यकता	1.4.85 को विद्यमान	सातवीं योजना के लिए लक्ष्य	31.3.90 तक स्थापित होने वाले प्रतिशत
1. ग्राम स्वास्थ्य गाइड (लाख में)	4.5	3.5	1.0	100 प्रतिशत
2. दाइयां (लाख में)	4.5	3.5	1.0	सभी दाइयों के प्रशिक्षण को पूरा करना ।
3. उप-केन्द्र (संख्या)	1,37,000	83,000	54,000	100 प्रतिशत
4. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	23,000	11,000	12,000	100 प्रतिशत
5. सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र संख्या	5,417	649	1,533	40 प्रतिशत

6. इस बात का लक्ष्य रखा गया है कि वर्ष 1990 तक, जब सम्पूर्ण आधारभूत ढांचा स्थापित हो जाएगा और पूरी तरह सुसज्जित उप-केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य करना शुरू कर देंगे तो देश में 100 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी।

7. संक्रामक बीमारियां कुल बीमारियों और मौतों के दो तिहाई भाग के लिये जिम्मेदार हैं। इनकी रोकथाम और उन्मूलन के कार्यक्रमों को और तेज किया जाएगा। वर्तमान में चल रहे नियंत्रण/उन्मूलन कार्यक्रमों को नये तरीकों और उपयुक्त प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से सदृढ़ किया जा सके। इनमें लोगों के सक्रिय सहयोग से रोगों को फैलाने वाले जीवों के नियंत्रण का समन्वित कार्यक्रम शामिल है। व्यापक उच्चस्तरीय देखरेख तथा बेहतरीन तरीके से बीमारियों पर नजर तथा नियंत्रण रखने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था का सर्वोपयुक्त ढंग से इस्तेमाल किया जायेगा

कुष्ठ रोग :

राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम के अन्तर्गत, जहां एक ओर पहले से स्थापित आधारभूत सुविधाओं के प्रभावकारी उपयोग से और अधिक लाभ उठाया जाएगा, वहीं रोग को फैलने से रोकने के लिए उपलब्ध आधुनिक प्रौद्यौगिकी के प्रयोग पर जोर दिया जाएगा और साथ ही स्वास्थ्य शिक्षा और कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे। कार्यक्रम मे समुदाय को शामिल करने तथा स्वयंसेवी संगठनों का सहयोग प्राप्त करने को भी प्राथमिकता दी

जाएगी। भारत में कुष्ठ रोग के मामलों की अनुमानित संख्या 40 लाख है। 31 अगस्त 1986 तक 33 लाख मामले दर्ज किए गए जिनमें से 30 लाख का (91.80 प्रतिशत) इलाज चल रहा है। सातवीं योजना के दौरान कुष्ठ रोग के ज्ञात 60 प्रतिशत मामलों में रोग को समाप्त करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कार्य-योजना बनाई गई है। उन्मूलन कार्यक्रम नीति के अन्तर्गत जो कदम उठाये जाएंगे, उनमें हैं : (1) मामलों का समय रहते पता लगाना – जनसंख्या और स्कूलों के सर्वेक्षण से तथा संपर्क स्थापित कर परीक्षणों द्वारा, (2) शीघ्र, नियमित तथा पूरा इलाज और (3) रोग के साथ जो सामाजिक कलंक जुड़ा है, उसे मिटाना।

क्षय रोग (टी.बी)

जिला टी.बी. केन्द्रों के जाल के सहयोग, तथा टी.बी. मरीजों के लिए उपलब्ध बिस्तरों के सही उपयोग से वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं का उपयुक्त इस्तेमाल, साथ ही जहां और विस्तार की आवश्यकता होगी वहां पूरी तरह उपकरणों और प्रशिक्षित कार्मिकों से सुसज्जित नये जिला क्षय रोग केन्द्रों और अतिरिक्त इकाइयों की स्थापना, राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के आधार स्तम्भ होंगे। और अधिक मामलों का पता लगाने की दिशा में इस कार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यक एक्स-रे और प्रयोगशाला उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा देने के लिए कदम उठाए जाएंगे और कार्यक्रम में समुदाय तथा सभी स्वास्थ्य संस्थानों के चिकित्सा और अर्द्ध चिकित्सा कार्मिकों को शामिल किया जायेगा। अनुमान है कि संपूर्ण जनसंख्या का डेढ़ प्रतिशत फेफड़ों की टी.बी. से ग्रसित है और इनमें से 0.4 प्रतिशत के थूक में रोगाणु हैं अर्थात संक्रामक हैं। अब तक देश के 366 प्रमुख जिलों को जिला क्षय रोग कार्यक्रम के अंतर्गत लाया जा चुका है। साथ ही 300 से अधिक टी.बी. क्लीनिक (औषधालय) क्षय रोग के मामलों का पता लगाने और उनके इलाज से लगे हुए है। और अधिक टी.बी. क्लीनिकों की स्थापना की जाएगी तथा और अधिक टी.बी. मरीजों को बिस्तर उपलब्ध कराए जाएंगे।

मलेरिया :

सन् 1976 में शुरू की गयी मलेरिया नियंत्रण कार्य की संशोधित योजना की पूरी तरह समीक्षा की जाएगी ताकि तकनीक और कार्यप्रणाली में आवश्यक परिवर्तन किए जा सकें, साथ ही शहरी इलाकों में मलेरिया नियंत्रण को और तेज किया जाएगा। पहले से ही उठाए जा रहे कदमों को और तेजी से उठाया जाएगा ताकि 1981 में व्याप्त 4.5 वार्षिक-परजीवी-आक्रमण को 1985 में 2.7 तथा 1992 में केवल 1.9 तक कर दिया जाए। वर्ष 2,000 के लिए लक्ष्य 0.5 से भी कम का वार्षिक परजीवी आक्रमण रखा गया है। वार्षिक खून परीक्षण दर का न्यूनतम लक्ष्य 10 पर निर्धारित किया गया है। अन्ततः लक्ष्य बीमारी से होने वाली मौतों की पूरी तरह समाप्त करना है।

घेघा

"आयोडीन कमी रोग नियंत्रण कार्यक्रम" की सभी संबद्ध एजेंसियों की गतिविधियों के समन्वयन से व्यापक स्तर पर शुरू किया जायेगा। देश के ऐसे इलाकों में, जहां घेघे की बीमारी आमतौर पर व्याप्त है, लगभग साढ़े चौदह करोड़ लोग रहते हैं। कार्यक्रम का मुख्य काम एक समयबद्ध आधार पर भोजन में प्रयुक्त होने वाले सारे नमक को आयोडीन-युक्त करना होगा ताकि 1992 तक सारे देश में लोगों को आयोडीनयुक्त नमक सुनिश्चित किया जा सके। आयोडीनयुक्त नमक की वार्षिक आवश्यकता 50 लाख टन आंकी गई है। इसे 1992 तक हासिल कर लिया जाएगा।

अंधापन नियंत्रण :

अंधेपन को व्यापकता को 1990 तक 10 प्रति हजार करने तथा सन् 2000 तक और कम करके 3 प्रति हजार तक लाने के उद्देश्य का पालन किया जाएगा। भारत में अंधेपन की व्यापकता 14 प्रति हजार व्यक्ति है। कार्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी एजेंसियों द्वारा विटामिन "ए" उपलब्ध कराए जाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। विभिन्न स्तरों पर स्वास्थ्य

देखरेख संस्थानों को सुदृढ़ बना कर आंखों को देखरेख के आधारभूत ढांचे को विकसित किया जाएगा तथा लोगों में स्वयं अपने प्रयास से आंखों की देखभाल कर सकने और उसे स्वस्थ रख सकने के प्रति जागरुकता लाने के लिए स्वास्थ्य शिक्षा संबंधी कार्य किए जाएंगे।

असंक्रामक रोग

8. देश में व्याप्त बीमारियों और होने वाली मौतों के लिए असंक्रामक रोग भी काफी हद तक जिम्मेदार हैं और जैसे-तैसे आयु की संभावनाएं बढ़ेगी, इन रोगों की भूमिका भी बढ़ जाएगी। इन रोगों की रोकथाम कर सकने के लिए इनकी व्यापकता का पता लगा सकने की दिशा में अब तक कोई सुनिश्चित प्रयास नहीं किए गए। सामान्य स्वास्थ्य देखरेख विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ही कुछ योजनाएं हैं जिनसे इन रोगों का पता लगाया जाता है तथा इनका इलाज और नियंत्रण किया जाता है। अब प्रयास किए जाएंगे कि इनकी व्यापकता और आकार को सही मायने में आंका जाये और इनसे निपटने के उपायों को भी शुरू किया जाएगा।

रोगों से प्रतिरक्षा

9. बच्चों में भी संक्रामक रोग मौतों और बीमारी का प्रमुख कारण हैं। इन रोगों में मुख्य हैं – डिपथीरिया, काली खांसी, टिटनैस, लकवा, टी.बी., टाइफाइड और खसरा। बच्चों में अपंगता, खासकर लंगड़ेपन के लिए लकवा मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अनुमान के अनुसार इन बीमारियों से तीन करोड़ से अधिक बच्चे पीड़ित हैं जिसके कारण 10 लाख से अधिक बच्चे काल के गाल में समा जाते हैं। इनमें से अधिकांश मौतों को रोका जा सकता है। बच्चों के स्वास्थ्य में उत्पन्न इन खतरों से निपटने के लिए 1978 में विस्तृत प्रतिरक्षा कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 1990 तक योग्य बच्चों और गर्भवती महिलाओं को टीके लगाने की सेवाएं उपलब्ध कराना है। गर्भवती महिलाओं और बच्चों को अधिकतर सामान्य, और टीका लगा कर दूर की जा सकने वाली, बीमारियों से बचाने के लिए, वर्ष 1985-86 से टीके लगाने और रोगों से प्रतिरक्षा, पर एक प्रौद्यौगिकीय अभियान (टेक्नॉलॉजिकल मिशन) शुरू किया गया है। इस अभियान के अन्तर्गत "सबके लिए प्रतिरक्षा कार्यक्रम" का उद्देश्य डी.पी.टी., पोलियो, बी.सी.जी. और खसरे के टीकों से 85 प्रतिशत शिशुओं, और टी.टी. की दो खुराकों से 100 प्रतिशत गर्भवती महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करना होगा। कार्यक्रम 1985-86 में शुरू किया गया और उस समय 30 जिलों को शामिल किया गया। वर्ष 1986-87 के दौरान 62 और जिलों की शामिल किया गया। आने वाले वर्ष में 90 और जिलों को शामिल किया जायेगा। वर्ष 1988-89 में 120 और जिले शामिल किए जाएंगे तथा बाकी बचे जिले सातवीं योजना के अंतिम वर्ष में इसके अंतर्गत लाए जाएंगे। इस प्रकार समूचा देश 1990 तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा। यह भी लक्ष्य है कि सातवीं योजना के अन्त तक टीका उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त कर ली जाएगी। इसे उप-अभियान के रूप में माना गया है।

ग्रामीण स्वच्छता

10. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम को स्वच्छता पाखानों के निर्माण के जरिये, स्वच्छता सुविधाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, कार्योन्वित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे गांवों में व्यापक स्तर पर स्वच्छता पाखानों का निर्माण किया जाएगा जो पहले ही अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत हैं, खासकर वे जिनमें ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम चल रहा है या चलाये जाने का प्रस्ताव है इनमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्वच्छता पाखानों का निर्माण किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों में जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से प्रत्येक घर में स्वच्छता पाखानों के निर्माण से ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत किए जा रहे प्रयासों को सुदृढ़ करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य है

विकलांगों का पुनर्वास :

11. विकलांगों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित योजनाएं जारी रहेंगी – (1) सहायक उपकरण और वस्तुएं प्राप्त करने के लिए अपंग लोगों को सहायता, (2) अपंग लोगों की शिक्षा, प्रशिक्षण और पुनर्वास को बढ़ावा देने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को सहायता, (3) शिक्षा जारी रखने के लिए अपंग लोगों की छात्रवृत्तियां तथा (4) सार्वजनिक क्षेत्र में विकलांगों के लिए नौकरी में आरक्षण। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सुझाई गई दो योजनाओं: (1) सामान्य विद्यालयों में विकलांगों की शिक्षा तथा (2) अत्यधिक विकलांगों के लिए विशेष विद्यालयों की स्थापना को कार्यान्वित किया जाएगा।

निगरानी :

12. प्रत्येक मास शुरू किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों , उप-केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर, वर्तमान लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, निगरानी रखी जाएगी। प्रतिरक्षा कार्यक्रमों के परिपालन पर भी पूर्व-निर्धारित भौतिक लक्ष्यों की तुलना में मासिक आधार पर निगरानी रखी जाएगी। बीमारियों के खिलाफ उठाये गए कदमों पर तिमाही रूप से नजर रखी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में स्वच्छता सुविधाओं के लिए प्रावधानों और विकलांगों के पुनर्वास के कार्यक्रमों की तिमाही रूप से आंक कर निगरानी रखी जाएगी।

इस सूत्र के लिए स्वास्थ्य विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

9. दो बच्चों का आदर्श परिवार

हम :

* *स्वेच्छा से केवल दो बच्चे पैदा करने के लिए लोगों को तैयार करेंगे*
* *जिम्मेदार माता-पिता बनने को बढ़ावा देंगे*
* *शिशु मृत्यु दर कम करेंगे*
* *जच्चा-बच्चा देखरेख सुविधाओं का विस्तार करेंगे*

उद्देश्य

"परिवार कल्याण कार्यक्रम" की हमारी विकास नीति में महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव संसाधन विकास और हमारे लोगों के जीवन स्तर में सुधार में यह निर्णायक भूमिका निभाता है। जनसंख्या की स्थायित्व प्रदान करने के अलावा शिशु मृत्यु दर में भी भारी कमी और ज्यादा जच्चा-बच्चा देखरेख सुविधाओं का विस्तार करना भी परिवार कल्याण कार्यक्रम के उतने ही महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं। कहने की आवश्यकता नहीं कि विस्तृत परिप्रेक्ष्य में जिम्मेदार माता-पिता बनने को बढ़ावा देना इस कार्यक्रम की सफलता के लिए नितान्त आवश्यक है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य स्वैच्छिक रूप से केवल दो बच्चे पैदा करना स्वीकार कराना है।

2. सन् 1981 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या साढ़े अड़सठ करोड़ थी जो की 1947 की जनसंख्या से दुगुनी है। भारत की जनसंख्या विश्व जनसंख्या का 15 प्रतिशत है जबकि भूमि कुल क्षेत्रफल का मात्र 2.4 प्रतिशत है । इस समय जन्म दर 32.7 और मृत्यु दर 11.7 प्रति हजार जनसंख्या है तथा शिशु मृत्यु दर 95 प्रति हजार जीवित जन्म है। देश की जनसंख्या प्रति डेढ़ करोड़ की दर से बढ़ रही है तथा इस समय देश की अनुमानित जनसंख्या 76 करोड़ है। देश के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास पर इस तेजी से बढ़ रही जनसंख्या के कुप्रभाव को देखते हुए यह बात स्वीकार कर ली गई है कि जनसंख्या पर काबू पाना समग्र राष्ट्रीय विकास और गरीबी दूर करने के प्रयासों की सफलता के लिए निर्णायक है।

3. संसद द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने सन् 2000 तक कुल प्रजनन दर प्राप्त करने का दीर्घावधि जनसंख्या लक्ष्य रखा है जिसमें जन्म-दर 21, मृत्यु दर 9 और शिशु मृत्यु दर 60 प्रति हजार जीवित जन्म होगी। सातवीं योजना के अन्त तक प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्य है : जन्म दर 29.1 मृत्यु दर 10.4 तथा शिशु मृत्यु दर 90.

नीति और कार्यक्रम

4. जिम्मेदाराना ढंग से नियोजित माता-पिता बनने को बढ़ावा देते हुए परिवार कल्याण कार्यक्रम को पूरी तरह स्वैच्छिक आधार पर कार्यान्वित किया जाएगा, जिसमें योग्य दम्पतियों द्वारा सबसे उपयुक्त परिवार नियोजन विधि की स्वतंत्रता पूर्वक मांग के जरिये दो ही बच्चे– लड़का, लड़की या दोनों – पैदा करने की बात स्वीकार की जाए। छोटे परिवार की आवश्यकता का संदेश लोगों

तक पहुंचाने में प्रेरणा, शिक्षा और मनवाने के प्रयासों का सहारा लिया जाएगा। परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए संशोधित नीति के अंतर्गत बताए गए नए उपायों को धीरे-धीरे सरकार के कार्यक्रम में शामिल करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। इस संशोधित नीति के अन्तर्गत अन्य बातों के अलावा ये बातें हैं: (1) परिवार कल्याण कार्यक्रम का अन्य सामाजिक, आर्थिक विकास कार्यक्रमों के साथ प्रभावकारी सम्पर्क स्थापित करना (2) विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा अभियान के जरिये परिवार कल्याण सेवाओं की मांग बढ़ाना, इस अभियान में दो बच्चों के परिवार, शिशु की देखभाल सें संबद्ध कार्यक्रम, विवाह के समय औसत आयु सें वृद्धि, लड़के के जन्म को प्राथमिकता देने की प्रवृत्ति आदि पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला जायेगा, (3) युवा दम्पत्तियों में दो बच्चों के जन्म के बीच अन्तर रखने वाली विधियां अपनाए जाने में भारी वृद्धि करना, (4) धीरे-धीरे गैर सरकारी ढांचे को बढ़ावा देना ताकि समुदाय को व्यापक और प्रभावकारी रूप से शामिल किया जा सके, तथा (5) संगठन और प्रबंध में सुधार करके आधारभूत सुविधाओं के प्रभावकारी इस्तेमाल और उपयुक्त रूप से उनमें वृद्धि करके परिवार कल्याण सेवाओं को पूरी तरह उपलब्ध कराना।

5. परिवार कल्याण कार्यक्रमों का सम्पर्क न केवल स्वास्थ्य-शिक्षा और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के साथ स्थापित किया जायेगा बल्कि अन्य विकास गतिविधियों के साथ भी जैसे शिशु देखभाल, महिला कल्याण, युवा कल्याण, सहकारी शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ग्रामीण विकास, तथा समाज से सम्बद्ध क्षेत्रों में लगी स्वयंसेवी एजेंसियों की भी इसमें शामिल किया जायेगा। जनसंख्या शिक्षा को पहले ही मजदूरों की शिक्षा का अभिन्न अंग बना दिया गया है। सातवीं योजना के दौरान इसे ग्रामीण मजदूरों की शिक्षा में भी शामिल किया जाएगा।

6. "केवल दो बच्चों के परिवार के लक्ष्य" की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि देश में शिशु के जीवित रहनेकी दर को बढ़ाया जाए। 95 प्रति हजार की शिशु मृत्यु दर अत्याधिक है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है.क्योंकि आधे से अधिक शिशु – मौतें जन्म के तुरंत बाद की अवधि में होती हैं, अतः जच्चा-बच्चा स्वास्थ्य कार्यक्रम को काफी हद तक सुदृढ़ किया जायेगा। इस कार्यक्रम के भाग के रूप में चिकित्सा और अर्द्धचिकित्सा कार्मिकों के प्रशिक्षण को ध्यान पूर्वक नियोजित और कार्यान्वित किया जायेगा। बच्चों की प्रतिरक्षा, पोषण और शिशुओं में संक्रामक रोगों के नियंत्रण जैसे संबद्ध क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और उन्हें मजबूत बनाया जाएगा। पेचिश अभी भी शिशुओं में बड़ी संख्या में मौतों का कारण है, इससे निपटने के लिए मुंह से दिये जाने वाले घोल का और अधिक प्रभावकारी ढंग से इस्तेमाल किया जाएगा। सांस से संबद्ध रोगाणु आक्रमण भी भारी खतरा है और इससे निपटने के लिए आवश्यक कदम उठाए जायेंगे।

7. मानव संसाधनों के विकास के लिए नींव तो प्रारंभिक शैशव काल में ही रख दी जाती है। अतः यह आवश्यक है कि स्वास्थ्य, पोषण और शैक्षणिक सेवाओं के समन्वित प्रयास से शिशुओं और विद्यालय-पूर्व को आयु वाले बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास सुनिश्चित किया जाए। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए समन्वित बाल विकास सेवाओं के कार्यक्रम को और विस्तृत किया जाएगा, विशेषकर आदिवासी विकास खण्डों, अनुसूचित जाति की जनसंख्या वाले इलाकों में, तथा शहरी झोपड़-पट्टियों में। सातवीं योजना के अंत तक 2,200 समन्वित बाल विकास सेवा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी जो छः साल से कम उम्र के 1.32 करोड़ बच्चों को, गर्भवती महिलाओं और दूध पिला रही माताओं की पूरक आहार उपलब्ध कराएंगी तथा 2.20 लाख आंगनवाड़ियों के माध्यम से 66 लाख बच्चों (3-5 वर्ष) को विद्यालय-पूर्व की शिक्षा देंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य आधारभूत ढांचा, आंगनवाड़ियों के जाल का उपयोग माताओं तथा समन्वित बाल विकास सेवा परियोजना इलाकों में छः वर्ष से कम आयु के बच्चों को स्वास्थ्यसेवाएं (प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य की जांच, जन्म-पूर्व की देखभाल, खून की कमी और विटामिन "ए" की कमी से होने वाले अंधेपन की रोकथाम करना) उपलब्ध कराने में करेगा।

निगरानी

8. (1) बंध्याकरण (2) आई.यू.डी. लगाने (3) गर्भनिरोधक गोलियों का प्रयोग करने वालों तथा (4) पारम्परिक गर्भ निरोधकों का प्रयोग करने वालों, के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जायेंगे। राज्य/के.शा.प्र. प्रति माह प्रगति की सीधे सूचना देंगे। अन्य तीन विधियों के मामले में उनकी बंध्याकरण से समानता, मासिक आधार पर निकाली जाएगी तथा उपलब्ध कराई जायेगी।

इस सूत्र के लिए परिवार कल्याण विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

10. शिक्षा का विस्तार

हम:

- *प्रारम्भिक शिक्षा का लोक व्यापीकरण करेंगे, खास तौर पर लड़कियों की शिक्षा पर जोर देंगे*
- *हर स्तर पर शिक्षा को उन्नत बनायेंगे*
- *औपचारिकेतर शिक्षा और कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रमों को व्यावसायिक दक्षता सहित बढ़ावा देंगे*
- *प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देंगे और इसके लिए छात्रों और स्वैच्छिक संगठनों की मदद लेंगे; और*
- *राष्ट्रीय अखण्डता, सामाजिक और नैतिक आदर्शों पर जोर देंगे और अपनी विरासत के प्रति लोगों में गौरव की भावना उत्पन्न करेंगे*

उद्देश्य :

शिक्षा सम्पूर्ण विकास का आधार है। शिक्षा द्वारा ही एकता, वैज्ञानिक प्रवृत्ति और विचारों की स्वतंत्रता विकसित होती है, सामाजिक और नैतिक मूल्यों की विकसित करने में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। शिक्षा के द्वारा ही विभिन्न कौशलों के लिए आवश्यक मानवशक्ति का विकास होता है और देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी विशेषज्ञ प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना पर बल देती है, जिसमें सभी विद्यार्थियों, भले ही वे किसी भी जाति, धर्म, स्थान के हों, बालक या बालिका हों, को समान रूप से शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त हों। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय यह है कि 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को व्यापक रूप से प्रारम्भिक शिक्षा दी जाए जैसा कि संविधान के नीति निर्देशक सिद्धान्तों में विनिर्दिष्ट है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से देश में प्रारम्भिक शिक्षा में महत्वपूर्ण विस्तार हुआ है। लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। पढ़ाई बीच में ही छोड़ देने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत अधिक है, विशेष रूप से बालिकाओं की। इस समस्या को निश्चयपूर्वक सुलझना होगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति को अधिक वरीयता देनी चाहिये ताकि यह निश्चित किया जा सके कि 1990 तक, 11 वर्ष की आयु समूह के सभी बच्चे पाठशाला में पांच वर्ष शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे या अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत इसके समकक्ष शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे। 1995 तक सभी बच्चे जो 14 वर्ष की आयु के हो जायेंगे, आठ वर्षीय शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे। समाज के विकास के लिए बालिकाओं की शिक्षित करना अति आवश्यक है। अतः इस दिशा में विशेष ध्यान दिया जाएगा।

2. एक अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है – सभी स्तरों पर शिक्षा के पाठ्यक्रम और प्रक्रिया में सुधार लाना ताकि इसके स्तर में सुधार लाया जा सके ताकि शिक्षा सामाजिक परिवर्तन, आधुनिकीकरण, आर्थिक विकास और सामाजिक, नैतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों को विकसित करने वाला महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हो सके। नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों, राष्ट्रीय मूल्यों की पालना, धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की अधिपालना और भारत की सम्पूर्ण संस्कृति की आत्मसात् करने एवं इसमें निहित विविधता में एकता को भावना विकसित करने पर बल दिया गया है। पूरे देश के साथ नई शिक्षा नीति विशेष रूप से 15 से 35 वर्ष के आयु समूह में अशिक्षा

दूर करने के अपने संकल्प पर दृढ़ है। साथ ही, व्यावसायिक सूचना तथा प्रशिक्षुओं की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के कौशल को शिक्षा के कार्यक्रमों में जोड़ कर शिक्षा को सार्थक बनाना इस नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

नीति

3. इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कुछ नीतियां तैयार करनी होंगी जैसे शिक्षा के औपचारिक और अनौपचारिक उपायों का मेल, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, शिक्षण, प्रशिक्षण, भौतिक संसाधनों में सुधार और समुदाय की भागीदारी।

4. व्यापक प्रारंभिक शिक्षा की उद्देश्य पूर्ति का अर्थ पाठशाला में बच्चों के पंजीकरण अथवा उन्हें वहां रोके रहना नहीं है। उचित संसाधनों, तकनीकी सहायक योजना, शिक्षा देने और ग्रहण करने वाले समान अध्यापकों की व्यावसायिक क्षमता की विकसित करने के कार्यक्रमों पर भी बल दिये जाने की आवश्यकता है। बालिकाओं और अन्य कमजोर वर्गों के लिए प्रोत्साहन और विशेष कार्यक्रम लागू करना इस नीति का महत्वपूर्ण अंश होगा।

5. शैक्षिक पाठ्यक्रम में परिवर्तन, मूल्यों की अधिपालना, शिक्षकों के शिक्षा कार्यक्रम का पुनरावलोकन, सीखने पर अधिक बल, परीक्षा-पद्धति में सुधार, विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों और उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में फेर-बदल और पुनः स्थापना द्वारा शिक्षा के मूलभूत तत्वों का विकास किया जाएगा। शिक्षा कार्यक्रम से इस प्रकार का सुधार लाया जायेगा कि राष्ट्रीयता, एकता और समन्वयता को बल मिले तथा रूढ़िवाद, धार्मिक अंधता, हिंसा और अंधविश्वास का सफाया हो। देश को सांस्कृतिक विरासत, राष्ट्रीय उद्देश्यों से संबंधित सूचनाओं को आदान-प्रदान करने के लिए जन-संचार माध्यमों का सशक्त रूप से प्रयोग किया जाएगा।

6. अशिक्षा दूर करने के लिए एक प्रौद्यौगिकीय अभियान पुनः शुरू किया जायेगा। अध्यापन–अध्ययन प्रक्रिया की प्रभावशाली, गतिशील और आसान बनाने और अध्ययन प्राप्त करने के लिए अच्छा वातावरण बनाने हेतु उपलब्ध प्रौद्योगिकी और विकसित शैक्षिक निवेशों का सहारा लिया जाएगा। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उचित प्रबंधकीय व्यवस्था स्थापित की जायेगी। विद्यार्थियों, युवकों, शैक्षिक संस्थानों, स्वैच्छिक अभिकरणों और जन-संस्थानों के माध्यम से वृत्तिमूलक शिक्षा का एक विशाल कार्यक्रम शुरू किया जायेगा। स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता योजनाओं पर और अधिक बल दिया जाएगा। मौजूदा ग्रामीण वृत्तिमूलक शिक्षा कार्यक्रम की दुबारा से संगठित किया जाएगा। **जन-शिक्षण-निलयमों** द्वारा साक्षरता उत्तरो-कार्यक्रमों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।

कार्यक्रम :

7. निम्नलिखित कार्यक्रम पहले से ही शुरू कर दिए गए हैं:–

(अ) 300 या अधिक की जनसंख्या (पर्वतीय, रेगिस्तानी और जनजातीय प्रदेशों में 200) वाले हर क्षेत्र में एक प्राइमरी पाठशाला होगी ताकि बच्चे पैदल पाठशाला पहुंच सकें।

(ब) बालक तथा बालिकाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति के वास्ते विद्यार्थियों के पंजीकरण हेतु प्रयास शुरू किए जाएंगे।

(स) बालिकाओं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए सहायता सेवाओं और प्रोत्साहन की विस्तृत योजना शुरू की जाएगी। अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त इसमें मुफ्त वर्दी, मुफ्त पाठ्य-पुस्तकें, कापियाँ तथा उपस्थिति प्रोत्साहन शामिल हैं।

(द) शिक्षा अधूरी छोड़ देने वाले विद्यार्थियों, गैर-पंजीकृत और कामकाजी बच्चों के लिए अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया जाएगा जिसके अन्तर्गत आवश्यक विविध पाठ्यक्रम और अलग-अलग तरह के कौशल सीखने की व्यवस्था होगी।

शैक्षिक रूप से पिछड़े नौ राज्यों–आन्ध्रप्रदेश, असम, बिहार, जम्मू और कश्मीर, मध्य

प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल को सहायता देने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत अनौपचारिक शिक्षा व्यवस्था, विशेषरूप से बालिकाओं के लिए स्थापित की जा सके। महिला-शिक्षकों की नियुक्ति के लिए भी सहायता प्रदान की जा रही है।

(इ) "आपरेशन ब्लैक बोर्ड" योजना आरंभ की जा रही है ताकि न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं, अध्ययन करने के साधन और आवश्यक स्थान तथा प्रत्येक पाठशाला केलिए दो अध्यापकों की व्यवस्था की जा सके।

(फ) सेवा के दौरान शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे अपनी क्षमताओं का विकास कर सकें और पढ़ाने की नई तकनीकों के बारे में जानकारी हासिल कर सकें, के उद्देश्य से इस कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

8. निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा के मूल तत्वों में सुधार किया जाएगा:-

(1) नए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे पर आधारित पाठ्य पुस्तकों सहित संशोधित अनुदेशकीय पैकेज का विकास।

(2) जिले में शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों पर अधिक बल।

(3) विज्ञान अध्ययन और प्रयोगशाला सुविधाओं में सुधार पर जोर।

(4) शिक्षा स्तर में सुधार लाने के लिए देशभर में कार्यक्रम तथा आदर्श-स्थापक विद्यालयों (नवोदय विद्यालयों) की स्थापना।

(5) महाविद्यालयों, तकनीकी और शैक्षिक संस्थानों को, जो अपने पाठ्यक्रम का नवीकरण और पुनर्गठन कर रहे हैं, सहायता।

9. राष्ट्रीय पहचान को बल देने वाले आवश्यक तत्वों को विद्यालय स्तर के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अनुदेशकीय पैकेज, अच्छे कार्यक्रमों सहित, विकसित किए जाएंगे तथा भारत के संविधान में निहित मूल्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। पाठ्यपुस्तकों का पुनरावलोकन किया जाएगा तथा उनमें से उन अंशों को निकाला जाएगा जो राष्ट्रीय एकता की भावना की क्षति पहुंचाते हैं। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक मान को प्रोत्साहन दिया जाएगा। राष्ट्रीय एकता और मूल्य-निर्धारण कार्यक्रमों में स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल किया जाएगा।

10. राष्ट्रीय सेवा योजना तथा राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेहरू युवा केन्द्रों में विद्यार्थियों की सम्मिलित करके वृत्तिमूलक-साक्षरता का व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। निःशुल्क साक्षरता किट प्रदान की जाएगी और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा। विशेष क्षेत्रों में स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता प्रदान की जाएगी। प्रौढ़ शिक्षा एवं जन-जागृति का उचित वातादरण तैयार करने के लिए जन-संचार तथा संचार की अन्य प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाएगा। मौजूदा वृत्तिमूलक साक्षरता कार्यक्रम का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि उसमें आम बातचीत की भाषा, प्रशिक्षण के बेहतर तरीके, महिला अनुदेशकों की संख्या में वृद्धि, साक्षरता-उत्तरों और निरंतर शिक्षा में संबंध स्थापित रखा जाए। निरीक्षण व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण किया जाएगा। स्थानीय क्षेत्र से अंशकालिक निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे। जन-शिक्षण-नियम स्थापित किए जाएंगे ताकि नव-साक्षर और शिक्षा अधूरी छोड़ देने वाले विद्यार्थी अपनी पढ़ाई जारी रख सकें तथा शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन-स्तर में सुधार ला सकें। श्रमिक विद्यापीठों की क्षमता का विकास किया जाएगा ताकि श्रमिक अपने व्यवसाय, कौशल और तकनीकी ज्ञान में वृद्धि कर सकें। शिक्षण के बेहतर प्रबंध, प्रशिक्षण स्तर में सुधार, प्रशिक्षण सामान में वृद्धि, रेडियो और दूरदर्शन कार्यक्रमों द्वारा सीखना, शैक्षणिक अनुसंधान स्थापना जैसे उपाय द्वारा, प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों के वातावरण में सुधार लाया जाएगा।

निगरानी :

11. 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में पंजीकरण, प्रौढ़-शिक्षा विस्तार के लिए, बालिकाओं, अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए अलग-अलग लक्ष्य पहले से स्थापित किए जाएंगे तथा समय-समय पर इनका अवलोकन किया जाएगा। अन्य विषयों, पाठशाला बीच में छोड़ने वालों, खर्च आदि की निगरानी हर तिमाही होगी।

12. इस सूत्र के लिए शिक्षा विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B,SriAurbindo Marg,NewDelhi-110016
DOC. No....9714.........
Date....30.6.89.........

11. अनुसूचित जातियों/जनजातियों को न्याय

हम :

- *अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये संविधान की व्यवस्थाओं और कानूनों का पालन सुनिश्चित करेंगे*
- *अनुसूचित जातियों और जनजातियों को बांटी गयी भूमि पर उनका स्वामित्व सुनिश्चित करेंगे*
- *भू-आवंटन कार्यक्रम को नयी दिशा देंगे*
- *शिक्षा स्तर में सुधार के लिये विशेष कार्यक्रमों में सहायता करेंगे और उनका आयोजन करेंगे*
- *मैला ढोने की प्रथा समाप्त करके सफाई कर्मचारियों के पुनर्वास के लिये विशेष कार्यक्रम चलायेंगे*
- *विशेष कम्पोनेंट कार्यक्रमों के लिए पर्याप्त धन और बेहतर दिशा निर्देश उपलब्ध करायेंगे*
- *अनुसूचित जातियों और जनजातियों को समाज की मुख्यधारा में पूरी तरह मिलाने के लिये कार्यक्रम चलायेंगे*
- *अपने मूल आवास क्षेत्र से हटे जनजातियों का पुनर्वास सुनिश्चित करेंगे*

उद्देश्य :

हमारे देश की कुल जनसंख्या के एक चौथाई भाग से थोड़ी कम संख्या अनुसूचित जातियों और जनजातियों की है। अनुसूचित जातियां कुल जनसंख्या का करीब 16 प्रतिशत है तथा इन्हें सामाजिक असमानता और आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करना पड़ता है। अनुसूचित जनजातियां कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत हैं जिनकी सामाजिक और आर्थिक प्रगति अलग-अलग स्तर पर है। दूर-दराज के क्षेत्रों में बसे होने के कारण इन्हें कई अड़चनों का सामना करना पड़ता है। परिणामस्वरूप हमारे समाज में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में असमर्थ रहे हैं और राष्ट्रीय धारा में पूरी तरह से घुलमिल नहीं पाए हैं। इनके दुर्बल सामाजिक-आर्थिक स्तर तथा तेजी से हो रहे परिवर्तनों के परिणामस्वरूप इनके पिछड़ेपन पर हमारे संविधान-निर्माताओं का ध्यान था। इसीलिए इनके हितों की रक्षा और इन्हें सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने के लिए संविधान में विशेष प्रावधान रखे गए हैं। इसलिए, विकास और वृद्धि की राह पर हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य यही है कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की तरक्की में आने वाली सभी बाधाओं की दूर किया जाए और उन्हें समाज में समान दर्जा दिया जाए।

नीति :

2. अनुसूचित जातियों और जनजातियों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से जो महत्वपूर्ण नीतियां तैयार को गई हैं, वे इस प्रकार हैं–

(1) इनकी सुरक्षा और तरक्की के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों को जोरदार तरीके से लागू करना।

(2) अनुसूचित जातियों के लिए "स्पैशल कम्पोनेंट प्लान" (एस.सी.पी.) और अनुसूचित जनजातियों के लिए "ट्राइबल सब-प्लान" (टी.सी.पी.) तैयार किया गया है ताकि सामाजिक, शैक्षिक और अन्य सामुदायिक मेवाओं तक उनकी पहुंच हो, वे अपनी आमदनी

बढ़ा सकें तथा अपने जीवन स्तर में सुधार ला सकें। एस.सी.पी. और टी.सी.पी. का उद्देश्य लाभ की धारा को उन तक पहुंचाना है। राज्यों और केन्द्रीय मंत्रालयों की योजनाओं में उनके लिए विशेष प्रावधान रखवाना तथा उनके हितों का ध्यान रखना इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य है।

(3) एस.सी.पी. और टी.सी.पी. के अंतर्गत परिवार की आय बढ़ाने के कार्यक्रमों के अतिरिक्त विशेष केन्द्रीय सहायता का प्रावधान।

(4) सामाजिक-आर्थिक प्रगति के कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली इन लोगों की संस्थाओं एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को शामिल करना, प्रोत्साहित करना, सुदृढ़ करना तथा उनकी सहायता करना।

कार्यक्रम :

संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपाय

3. केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बनाए गए संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की लागू किया जा रहा है। इनके प्रभावशाली कार्यान्वयन पर अधिक जोर दिया जा रहा है। संस्थान जैसे (क) आयुक्त और (ख) अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग, सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन की जांच करते हैं तथा अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करते हैं। नागरिक अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955 (पी.सी.आर. एक्ट) जो कि पहले "अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम 1955" के नाम से जाना जाता था, के अंतर्गत छुआछूत करने तथा इसके प्रचार के लिए दण्ड दिया जाता है। इसके अतिरिक्त, नौकरियों में आरक्षण, शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण, अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को अपनी भूमि से वंचित करने पर रोक, विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दी गई सुविधाओं के बारे में राज्यों द्वारा पारित अध्यादेशों/कार्यपालिका के अनुदेशों को लागू किया जा रहा है। संबंधित विभागों द्वारा इस विषय में हुई प्रगति और अनुसूचित जाति/जनजाति को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में आई अड़चनों और हनन की रिपोर्ट तैयार करके संसद में पेश की जाती हैं। इन प्रतिवेदनों की समीक्षा करके कार्य-योजनाएं बनाई जाती हैं तथा उन्हें सख्ती से अमल में लाया जाता है ताकि लिखित और भावनात्मक रूप में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए बने प्रावधान सुचारू रूप में लागू हो सकें।

भूमि आबंटन और स्वामित्व

4. भूमि सीमा अधिनियम तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और जन-जातियों को भूमि आबटित की जाती है। लेकिन वास्तव में उन्हें जमीन का कब्जा नहीं दिया जाता है। बलपूर्वक उन्हें जमीन के कब्जे से हटा दिया जाता हैं। इसलिए सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि सही मायनों में उन्हें जमीन का कब्जा मिले और उन्हें कभी भी अपनी जमीन से बेदखल न किया जाए।

मार्गदर्शन योजना

5. नई शिक्षा नीति 1986 में इस बात के लिए विशेष प्रावधान हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति के विद्यार्थियों की स्कूल के सभी स्तरों, विशेष रूप से कक्षा 11 और 12 तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए उनका मार्गदर्शन किया जाए। सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए भी देश में 60 से ऊपर केन्द्र हैं, को इनका मार्गदर्शन करते हैं ताकि उन्हें उनकी आरक्षित सीटें मिल सकें। यह मार्गदर्शन कार्यक्रम और प्रभावशाली ढंग से लागू किया जाएगा। इनके स्तर में सुधार लाया जाएगा तथा इनका विस्तार किया जाएगा

सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन

6. सिर पर मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन तथा सफाई कर्मचारियों के विस्थापन कार्यक्रम को तेजी से

लागू किया जाएगा। सातवीं योजना में 39 करोड़ रुपये का प्रावधान इसलिए किया गया है कि शुष्क शौचलयों को इस प्रकार की व्यवस्था में बदला जाएगा कि मल पानी के साथ बह जाए। यह व्यवस्था पूरे शहरों में लागू की जाएगी ताकि सफाई कर्मचारियों को मैला ढोने की कलंकित प्रथा से छुटकारा मिल सके। इस प्रथा के उन्मूलन में सीवेज. सीवेज टीटमेंट और कम कीमत पर सफाई व्यवस्था की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। राज्यों में सातवीं योजना के अन्तर्गत इस कार्य के लिए 423 करोड़ और 100 रू० करोड़ की व्यवस्था की गई है। केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे और मध्यम कस्बों के समन्वित विकास (आई.डी.एस.एम.टी) कार्यक्रम में कम कीमत पर सफाई व्यवस्था के लिए केन्द्रीय सहायता में वृद्धि की जा रही है। आवास और शहरी विकास कारपोरेशन (हुडको) कम कीमत पर शौचालय परियोजनाओं के लिए 50 प्रतिशत तक को आर्थिक सहायता देगी। इन कार्यक्रमों को सख्ती से लागू किया जाएगा तथा इस कार्यक्रम में स्थानीय संस्थाओ, स्वैच्छिक अभिकरणों और परोपकारी संस्थानों की भी सहायता ली जाएगी।

केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रायोजित अन्य कार्यक्रम

7. अनुसूचित जाति और जनजाति के परिवारों की आमदनी बढ़ाने की योजनाओं के लिए विशेष रूप से केन्द्रीय सहायता दी जा रही है। सातवीं योजना में अनुसूचित जनजातियों के लिए 756 करोड़ रु. का प्रावधान है। यह कार्यक्रम दो मुख्य श्रेणियों में बंटा हुआ है। (क) ऐसे रोजगार में रत जो भूमि से जुड़े हुए है। (ख) अन्य रोजगार में रत। इन योजनाओं को लाभप्रद ढंग से लागू करने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं। अतिरिक्त सातवीं योजना में 281 करोड़ रुपये की लागत की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं भी हैं। दो मुख्य योजनाएं हैं। (क)मैट्रिक के बाद अनुसूचित जाति और जन जातियों के छात्र को छात्रवृत्ति (ख)राज्यों की अनुसूचित जाति विकास कारपोरेशन को आर्थिक सहायता। समाज के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति बराबरी के अहसास प्राप्त कर सकें इसके लिए उन्हें अन्य सुविधाएं, जैसे पीने के पानी की व्यवस्था, आवास कालोनियों का निर्माण, दुकानों/मार्किट/होस्टल आदि के निर्माण की सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी।

आदिवासी क्षेत्रों में परियोजना अधिकारियों की भूमिका

8. जब आदिवासी क्षेत्रों में परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं तो उस परियोजना क्षेत्र में वर्षों से बसे निवासियों को वहां से हटना पड़ता है। अतः विस्थापित आदिवासियों को बसाने का कार्यक्रम परियोजना का महत्वपूर्ण अंग माना जाना चाहिए। यह देखने के लिए परियोजना अधिकारी अपने इस कर्त्तव्य का मुस्तैदी से पालन कर रहे हैं, इसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है। इनको पुनः बसाने के कार्य को सुचारु रूप से, प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा रहा है या नहीं, इसकी समीक्षा समिति द्वारा की जाएगी।

निगरानी :

9. पहले से निर्धारित लक्ष्यों की निगरानी इस प्रकार की जाएगी।

क्रमांक	कार्यक्रम	लक्ष्य इकाइयां	समयावधि
1.	एस.सी.पी. और टी.सी.पी. से लाभ प्राप्त करने वाले	परिवारों की संख्या	मासिक
2.	फालतू खेती योग्य भूमि का वितरण	एकड़ एवं लाभ प्राप्त करने वालों की संख्या	मासिक
3.	केन्द्रीय प्रायोजित कार्यक्रमों में केन्द्रीय अंश	रु. लाखों में	त्रैमासिक

अन्य कार्यक्रम जैसे – विशेष मार्गदर्शन द्वारा लाभान्वित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों/उम्मीदवारों की संख्या, सफाई कर्मचारियों की पुनर्वास (1) आयुक्त और (2) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त के प्रतिवेदन के अनुसार कार्य, पी.सी.आर. अधिनियम की अधिपालना, जिन अनुसूचित जनजाति परिवारों को मकान के लिए स्थान/मकान/परियोजना द्वारा रोजगार प्राप्त हुआ है, उनकी संख्या आदि की हर तिमाही निगरानी की जाएगी। त्रैमासिक प्रतिवेदन में खर्च की प्रगति की भी समीक्षा की जाएगी।

इस सूत्र के लिए कल्याण मंत्रालय मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

12. महिलाओं के लिए समानता

हम:

* *महिलाओं का स्तर ऊंचा उठायेंगे*
* *महिलाओं की समस्याओं के प्रति जनजागृति बढ़ायेंगे*
* *महिलाओं के अधिकारों के प्रति जनजागृति उत्पन्न करेंगे*
* *महिलाओं के प्रशिक्षण और रोज़गार के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू करेंगे*
* *राष्ट्र निर्माण और सामाजिक, आर्थिक विकास में समानता के साथ महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे*
* *दहेज के विरूद्ध जनमत तैयार करेंगे और दहेज विरोधी कानूनों को कारगर ढंग से लागू करेंगे*

उद्देश्य:

भारतीय संविधान को धारा 16 के अंतर्गत महिलाओं को समानता का अधिकार दिया गया है। फिर भी वर्षों से चले आ रही सामाजिक-सांस्कृतिक असमानता, आर्थिक पिछड़ेपन की वजह से महिलाएं पुरूषों के समान देश के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सकी हैं। भारत में 36 करोड़ 80 लाख महिलाओं में से 27 करोड़ 80 लाख महिलाएं गांवों में रहती हैं और उनमें से 40 प्रतिशत 15 वर्ष की आयु से कम हैं। उनमें से तीन चौथाई महिलाएं अशिक्षित हैं। कामकाज में महिलाओं की भागीदारी 14% से भी कम है। खेतों, फैक्ट्रियों और दफ्तरों में काम कर रही महिलाओं को सामाजिक सहायता नहीं दी जाती है। समानता के अधिकार, संसाधनों तक पहुंच और देश में उपलब्ध अवसरों के बारे में उनकी जानकारी बहुत कम हैं। सभी क्षेत्रों में वे पिछड़ी हुई है। अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनके पास न के बराबर साधन हैं इसी कारण जीवन के हर क्षेत्र में वे पीछे हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महिलाओं का स्तर ऊंचा उठाना हमारा उद्देश्य है ताकि वे पुरूषों के बराबर समानता प्राप्त कर सकें। यह उद्देश्य हमें निकट भविष्य में प्राप्त करना है।

नीति:

2. महिलाओं के समानता प्राप्त करने के कार्यक्रम के अन्तर्गत यह आवश्यक हैं कि महिलाओं में उनके अधिकारों, समाज में उनकी भूमिका और स्तर के प्रति जागृति उत्पन्न की जाए। साथ ही समाज में यह जन-जागरण भी पैदा हो कि महिलाएं भी समाज में बराबर की भागीदार हैं और हर क्षेत्र में उनका योगदान हैं। इसलिए उनकी शिक्षा और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाये जाने चाहिए। हमारी इस नीति के महत्वपूर्ण अंग हैं कि महिलाओं को स्वास्थ्य, रोजगार एवं शिक्षा के अवसर प्राप्त हों। महिलाओं की औसत आयु, जच्चा की मृत्यु-दर, जच्चा-बच्चा की मृत्यु-दर, महिलाओं में शिक्षा, शिक्षा व्यवस्था में महिलाओं का पंजीकरण और शिक्षा जारी रखना, तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों और रोजगार के अवसरों तक महिलाओं की पहुंच, जैसे मापदंडों से महिलाओं के विकास के लिए बनी नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव का अनुमान लगाया

जा सकता है। सरकारी और गैर-सरकारी एजेंसियों के कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि हर क्षेत्र में इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

कार्यक्रम

3. शिक्षा और प्रचार

महिलाओं की समस्याओं और अधिकारों के प्रति जन-चेतना और जागरूकता पैदा करने तथा स्वैच्छिक संस्थानों द्वारा महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए एक शिक्षा पर प्रचार कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रामीण महिलाओं को अपनी स्थिति समस्याओं और समाधानों के बारे में गहन जागरूकता पैदा करने के लिए केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल द्वारा जनजागरण शिविर आयोजित किये गये है। सेमिनार, कार्यशालाओं, वाद-विवाद, नाटकों, प्रदर्शनियों, फिल्मों और जन-संचार, के सभी माध्यमों द्वारा जन-जागरण और चेतना पैदा की जाएगी। महिलाओं के प्रति हिंसा, सामाजिक बुराईयां, जैसे दहेज, कम उम्र में शादी, वेश्या वृत्ति, संवेदनशील क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों पर रोशनी डाली जाएगी। जन-संचार के माध्यम द्वारा महिलाओं की नकारात्मक भूमिका दर्शाने को हतोत्साहित किया जाएगा। जन-संचार के माध्यमों द्वारा महिलाओं को अश्लील रूप में प्रदर्शित करनेपर रोक लगाने के लिए कानून पारित किया गया है ताकि महिलाओं की गरिमा को ठेस न पहुंचे।

प्रशिक्षण :

4. महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसमें मौजूदा योजनाओं के साथ-साथ नई योजनाएं भी शामिल की जा रही है। इस दिशा में तेजी से विकास हो इस लिए विशेष प्रावधान रखे जा रहे हैं। फिलहाल महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए एन.ओ.आर.ए.डी. "नारेड" द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम, जो रोजगार की दिशा में नये आयाम खोलेगा, लागू किया जा रहा है इसी तरह केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल महिलाओं के सामाजिक-आर्थिक विकास के मुख्य कार्यक्रम लागू कर रहा है। ताकि महिलाएं इसकी मदद से प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र स्थापित कर सकें। वयस्क महिलाओं के लिए संक्षिप्त पाठ्यक्रम और व्यावसायिक प्रशिक्षण महिलाओं को वेतन और स्व-रोजगार में मदद करेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास कार्यक्रम ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य निम्नतम स्तर पर सक्रिय महिलाओं के समूह को संगठित करना है तथा सामाजिक सहायता सेवाओं की मदद से आर्थिक कार्यक्रम शुरू करना हैं। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लागू कार्यक्रम-स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवकों को प्रशिक्षण (ट्राइसेम) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी.) ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम (आर.एल.ई.जी.पी), महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान करते हैं। रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय के कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है। देश की विभिन्न पॉलीटैक्नीक में भी उन्हें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है।

शिक्षा :

5. नई शिक्षा नीति में महिलाओं की निरंतर शिक्षा वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया है। संविधान में निर्देशित व्यापक प्रारंभिक शिक्षा के उद्देश्य-पूर्ति में बालिकाओं की संख्या की वरीयता दी जायेगी। 6 से 14 वर्ष के आयु-समूह में बालिकाओं के लाभ के लिए अनौपचारिक प्रारंभिक शिक्षा व्यवस्था का विस्तार किया जा रहा है। प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम समाज में नये मूल्यों के निर्माण का प्रयास करेगा। समाज और परिवार में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देगा।

मातृत्व और शिशु कल्याण :

6. जच्चा और बच्चा के उच्च मृत्यु-दर इसका प्रमाण हैं कि महिलाओं को सामाजिक और

आर्थिक न्याय नहीं मिलता है। विस्तृत मातृत्व और शिशु कल्याण योजना और समन्वित बाल विकास सेवाओं द्वारा इस दर में कमी लाई जाएगी। महिला विकास कार्यक्रम का यह एक महत्वपूर्ण पहलू है।

होस्टल मकान और शिशु गृह :

7. महिलाओं की दशा सुधारने, उनकी मौजूदा अड़चनों को दूर करने के लिए वैधानिक उपायों की अधिपालना और मौजूदा कानून में संशोधन महत्वपूर्ण कार्य हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए समाज सहायता सेवाएं जैसे होस्टल, शिश-गृह सुविधाका मख्य कार्यक्रम है। कम समय के लिए अस्थायी आवास मसीबत के क्षेत्रों में महिलाओं की मदद के कार्यक्रमों पर भी गौर किया जा रहा है।

निगरानी :

8. महिलाओ की सेहत, शिक्षा, रोजगार और स्तर में सुधार लाने के कार्यक्रमों और योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन कार्यक्रमों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास, बालिकाओं के लिए अनौपचारिक शिक्षा, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण, तकनीकी संस्थाओं में महिलाओं का पंजीकरण, महिलाओं को रोजगार आदि शामिल हो। हर तिमाही इन कार्यक्रमों के लक्ष्यों और आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन किया जायेगा।

इस सूत्र के लिए महिला और बाल विकास विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

13. युवा वर्ग के लिए नए अवसर

हम :

* *युवाओं के लिए खेलों, साहसिक कार्यों और सांस्कृतिक गतिविधियों के अवसरों का विस्तार करेंगे*
* *शारीरिक स्वस्थता को बढ़ावा देंगे*
* *युवाओं को बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल करेंगे*

जैसे:–

- *– गंगा की सफाई*
- *– पर्यावरण संरक्षण*
- *– जन शिक्षा*

* *सभी क्षेत्रों में विशिष्ट योग्यता वाले युवाओं को अपनी प्रतिभा का विकास करने का अवसर देने के लिए उनका पता लगाएंगे।*
* *युवाओं को राष्ट्रीय एकता, सांस्कृतिक मूल्यों, धर्म निरपेक्षता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढावा देने के काम में शामिल करेंगे*
* *नेहरू युवक केन्द्रों का विस्तार करेंगे*
* *राष्ट्रीय सेवा योजना और नेशनल कैडेट कोर को मजबूत बनाएंगे*
* *ग्रामीण युवाओं के कल्याण के लिए कार्यरत स्वयं सेवी एजेंसियों को बढ़ावा देंगे*

उद्देश्य

देश में, कुल जनसंख्या का 32 प्रतिशत 15 से 35 वर्ष के आयु वर्ष के युवाओं का है। युवा देश के महत्वपूर्ण और स्फूर्तिवान् मानवीय संसाधन हैं। 1981 की जन-गणना के अनुसार, हमारी 22 करोड़ युवा जनसंख्या का 73 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। ये युवा, खास तौर पर ग्रामीण युवा, राष्ट्र की मुख्य संपत्ति हैं। किंतु रोजगार के अवसरों का अभाव, शिक्षा और सामाजिक सेवाओं तक सीमित पहुंच के अभाव के कारण इस संपत्ति का बड़ा हिस्सा समाज के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक ढांचे की परिधि के लगभग बाहर है। अतः यह जरूरी है कि हम अपने युवाओं को अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध करायें ताकि वे अपने पूर्ण व्यक्तित्व का विकास और अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करके अपनी आर्थिक उत्पादकता और सामाजिक उपयोगिता दिखा सकें। शारीरिक सबलता, अच्छा स्वास्थ्य, साहस की भावना, राष्ट्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति में भागीदारी और सांस्कृतिक तथा तकनीकी जागरूकता जैसे कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्यों की युवाओं के लिए प्राप्त किया जाना है।

नीति

2. विकास एक संपूर्ण प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य मानव अस्तित्व के सभी पहलुओं में सुधार करना है। अतः युवा कार्यक्रमों की समन्वित नीति का व्यापक होना लाजिमी है। सभी युवाओं के विकास पर

ध्यान दिया जायेगा, लेकिन ग्रामीण और कम सुविधा संपन्न युवाओं के विकास पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

इस बात के प्रयास किये जायेंगे कि युवाओं में, अपनी क्षमता और सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति जागृति उत्पन्न को जाए। बुनियादी स्तर पर विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के उपयुक्त परिस्थितियां तैयार की जायें, सामुदायिक प्रक्रिया में, युवतियों को भागीदारी और उनकी भूमिका पर जोर दिया जायेगा तथा विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं की उल्लेखनीय प्रतिभा को मान्यता प्रदान की जाएगी।

कार्यक्रम

3. चरित्र निर्माण और शारीरिक स्वास्थ्य का विकास सभी युवा कार्यक्रमों का अभिन्न अंग होगा। युवाओं में साहस, जोखिम उठाने और हिम्मत की भावना का विकास करने के लिए पर्वतारोहण, ट्रैकिग,, हाईकिग, नौकायन, और साईकिल चलाने जैसी गतिविधियों को बढावा दिया जायेगा। इसके लिए युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों के सामूहिक क्लबों को बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा।

4. सांस्कृतिक गतिविधियों की बढ़ावा देने के लिए (क) विद्यार्थियों और गैर विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं के लिए क्षेत्रीय/प्रादेशिक समारोह आयोजित किये जायेंगे, तथा (ख) राष्ट्रीय एकता शिविरों में, विभिन्न राज्यों/केन्द्रशाासत प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये जायेंगे। विश्व विद्यालयों को आर्किस्ट्रा और सामूहिक गायन जैसी गतिविधियों के लिए सहायता दी जायेगी।

5. राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं में बड़े पैमाने पर उनकी भागीदारी सुनिश्चित करके युवाओं को विकास प्रक्रिया में शामिल किया जायेगा। युवाओं को केन्द्रीय गंगा प्राधिकरण के साथ गंगा सफाई से सम्बद्ध कार्यक्रमों और राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड के साथ पर्यावरण के संरक्षण कार्यक्रम में शामिल किया जायेगा। प्रतिवर्ष नेहरू युवा केन्द्रों और राष्ट्रीयसेवा योजना के अंतर्गत शिविर आयोजित किये जायेंगे और इन संस्थानों के माध्यम से व्यापक जन-शिक्षण कार्यक्रमों में युवाओं को शामिल किया जायेगा।

6. राष्ट्रीय युवा पुरस्कार योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय विकास और/अथवा सामाजिक सेवा के विभिन्न क्षेत्रों में, उल्लेखनीय कार्यों के लिए युवाओं और स्वयंसेवी संगठनों को मान्यता दी जाएगी।

7. युवाओं को, राष्ट्रीय एकता शिविरों, राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत विषयों पर आयोजित विचार विमर्शों/गोष्ठियों, अंतर राज्यीय यात्राओं, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर के युवा समारोहों, लोक उत्सवों, वैज्ञानिक प्रदर्शनियों, और क्षेत्रीयता, भाषाई संकीर्णता, साम्प्रदायिकता, तथा अन्य विघटनकारी प्रवृत्तियों से संघर्ष की अन्य गतिविधियों में बड़े पैमाने पर शामिल किया जायेगा।

8. नेहरू युवा केन्द्रों का उद्देश्य जिला स्तर पर गैर विद्यार्थी ग्रामीण युवाओं को गतिविधियों की बढ़ावा देना और उनमें तालमेल रखना है ताकि ग्रामीण युवाओं की प्रतिभा और शक्ति का उपयोग उनके निजी और पूरे समुदाय के लाभ के लिये किया जा सके। रचनात्मक दिशा निर्देश, कारगर निरीक्षण, प्रशिक्षण, व्यावसायिक सहायता, सूचना का मूल्यांकन और निगरानी संबंधी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक स्वायत्त संगठन बनाया जायेगा जो इस कार्यक्रम का संचालन करेगा। 7वीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम का विस्तार कर सभी जिलों में लागू कर दिया जायेगा।

9. राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य छुट्टियों के दौरान सामुदायिक सेवा के जरिये कालेजों और विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास करना है। इस योजना को आकार तथा प्रकार दोनों ही तरह से मजबूत बनाया जायेगा। इस योजना के अंतर्गत गतिविधियों का दायरा और बढ़ाया जायेगा।

इस योजना के अंतर्गत वर्तमान में 7 लाख 70 हजार विद्यार्थी हैं, इसे बढाकर 7वीं योजना के अंत तक

दस लाख विद्यार्थी कर दिया जाएगा।

10. राष्ट्रीय केडेट कोर (यानी एन.सी.सी.) का उद्देश्य युवाओं में नेतृत्व और चरित्र का विकास करना और जरूरत पड़नेपर मदद के लिये अनुशासित और प्रशिक्षित जन शक्ति तैयार करना है। इसकी वर्तमान संख्या 11 लाख बीस हजार कैडेट की है जिसे 1990 तक बढ़ा कर 11 लाख 70 हजार कर दिया जायेगा और अधिक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किये जायेंगे तथा पैरासेलिंग, पैरा जंपिग, और हैंग ग्लाइडिग जैसी साहसिक गतिविधियों का और अधिक विस्तार किया जायेगा। इसे और मजबूत बनाने के लिये एन.सी.सी. के काम-काज की समीक्षा की जायेगी।

11. स्वयं सेवी एजेंसियों को बड़ी संख्या में युवा नेतृत्व प्रशिक्षण, स्वरोजगार के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण, गोष्ठियों और सामाजिक सेवा गतिविधियों के लिये युवा शिविर आयोजित करने तथा ग्रामीण इलाकों में युवाओं के लाभ के लिये अनुसंधान सर्वेक्षण जैसी अन्य गतिविधियां चलाने के कार्यक्रम शुरू करने के लिये प्रोत्साहन दिया जायेगा। स्काउट और गाइड आंदोलन में और अधिक छात्रों और ग्रामीण युवाओं को शामिल किया जायेगा ताकि इस कार्यक्रम में सुधार किया जा सकें।

12. बुनियादी स्तर पर खेलों की सुविधाओं और बुनियादी ढांचे के विकास तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में युवाओं की खेल क्षमता के विकास को उच्च प्राथमिकता देकर राष्ट्रीय खेल नीति पर अमल किया जायेगा। खेलों और अन्य गतिविधियों में राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयास किये जायेंगे। कोचिंग, प्रशिक्षण और पोषण संबंधी कार्यक्रमों के जरिये खेल प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्हें बढ़ावा देने के कार्यक्रमों को जारी रखा जायेगा ताकि प्रतिभाशाली युवा श्रेष्ठतम स्तर प्राप्त कर सकें।

क्षेत्रीय कोचिंग केन्द्रों, विश्वविद्यालयों में "स्नाइप्स" के केन्द्रों,प्रतिभा का पता लगाकर उसे बढ़ावा देने, स्कूलों को अपनाने, पुरस्कार राशि के जरिये स्कूलों को प्रोत्साहन देने, ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं, महिला खेल समारोहों राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय परिसंघों और राज्य स्तरीय खेल परिषदों को सहायता देने जैसी वर्तमान में चल रही योजनाओं का और विस्तार किया जायेगा। स्वास्थ्य और शारीरिक सबलता के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने को योजनाओं को लागू किया जायेगा जिसमें बड़े पैमाने पर शारीरिक व्यायाम और प्रदर्शन के कार्यक्रम भी चलाये जायेंगे।

निगरानी

13. खेल विभाग, खेलों और युवा गतिविधियों के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में, सम्बद्ध एजेंसियों से वार्षिक समीक्षा रिपोर्ट प्राप्त करेगा। इसमें जहां कहीं संभव होगा पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को तुलना में उपलब्धि और खर्च को प्रगति की समीक्षा की जायेगी।

इस सूत्र के लिए युवा मामलों और खेल विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

14.लोगों के लिए आवास सुविधाएं

हम:

* *गांव के गरीब लोगों को मकान बनाने के लिए भूमि उपलब्ध कराएंगे*
* *मकान निर्माण कार्यक्रमों का विस्तार करेंगे*
* *अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मकान के निर्माण पर विशेष जोर देंगे*
* *मकान बनाने के लिए कम लागत वाली सामग्री का विकास करेंगे*

उद्देश्य

मानव के अस्तित्व के लिए भोजन और कपड़े के बाद एक अन्य बुनियादी अवश्यकता है – मकान। हमारे जैसे गरीब समाज में जहां अधिकांश लोगों के लिए न्यूनतम मान्कों से भी बहुत निचले स्तर के आवास मौजूद हैं, वहां राष्ट्र को बड़े पैमाने पर ये कोशिश करनी होगी कि लोगों की बुनियादी आवश्यकता को संतोषजनक स्तर पर शीघ्रातीशीघ्र पूरा किया जाय। सातवीं योजना के शुरू में ये अंदाज लगाया गया था कि 2 करोड़ 47 लाख परिवारों को आवास की जरूरत हैं। इनमें से 1 करोड़ 88 लाख आवास ग्रामीण इलाकों में और 59 लाख शहरी क्षेत्रों में वांछित थे। 1985 से 1990 के दौरान देश में एक करोड़ 62 लाख नये आवास उपलब्ध कराये जायेंगे जिसमें से 1 करोड़ 24 लाख आवास ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और 38 लाख शहरी क्षेत्रों में। इसके बावजूद 2 करोड़ 93 लाख आवासों की उस समय तक और आवश्यकता पड़ेगी जिनमें 2 करोड़ 22 लाख ग्रामीण क्षेत्रों में बनाये जाने को जरूरत रहेगी।

नीति

2.भूमिहीन परिवारों को मकानों के लिए जमीन उपलब्ध कराने और उन्हें मकान निर्माण को सहायता में पहले से ही जारी कार्यक्रम में तेजी लाना, गरीब वर्ग और कम आय वर्ग के लोगों के लिए मकान बनाने की गति में तीव्रता लाना, हुडको और दूसरे व्यावसायिक बैंकों के लिए मकान बनाने के उद्देश्यों से वित्तीय सहायता देना, एक राष्ट्रीय आवासीय बैंक की स्थापना करना, मकान बनाने के संबंध में आने वाली कानूनी और औपचारिक बाधाओं को दूर करना, आवास निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए सामग्री के रूप में सहायता देना, कम लागत के मकान बनाने के सामान और तकनीक संबंधी अनुसंधान कार्यों का विस्तार करना – देश की इस विकराल आवासीय समस्या को दूर करने के लिए उठाये जाने वाले कदमों में से कुछ प्रमुख कदम हैं जिससे कि लोगों को न्यूनतम आवासीय सुविधायें प्राप्त हो सकें।

कार्यक्रम

3. सातवीं योजना में शुरू में एक करोड़ 31 लाख परिवारों को ये सुविधायें दी जायेंगी जिनके अनुसार मकान बनाने के लिए जगह और आर्थिक सहायता दी जायेगी। इसके बाद भी 40 लाख परिवार आवास सुविधाओं से वंचित रह जायेंगे। सातवीं योजना में 7 लाख 20 हजार भूमिहीन परिवारों को 5-5 सौ रुपये की दर में जमीन खरीदने के लिये 36 करोड़ रुपये उपलब्ध कराये जायेंगे। पहले यह दर 250 रुपये थी। इससे वे एक सौ वर्ग गज भूखण्ड का विकास कर सकेंगे। 27 लाख 10

हजार परिवारों को प्रति परिवार 2 हजार रुपये के हिसाब से 540 करोड़ रुपये की गृह निर्माण सहायता दी जायेगी जबकि इससे पहले यह धनराशि केवल 5 सौ रुपये प्रति परिवार थी। सातवीं योजना में हुडको जैसे संगठनों और आम बीमा निगमों के माध्यम सें 240 करोड़ रुपये गांवों में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्माण के लिए दिये जायेंगे।

गरीब और कम आय वर्ग के लिए मकान

4. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना के अधीन प्रति लाभान्वित होने वाले व्यक्ति को 5 हजार रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है जो 20 से 25 वर्षों की अवधि सें आसान ब्याज दरों पर लौटाया जायेगा। सातवीं योजना में आवास और शहरी विकास निगमों के लिए राज्यों में ये व्यवस्था की गयी है कि कुल स्वीकृत धनराशि में से 30 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मकान बनाने पर खर्च किया जाय। कम आय वर्ग के लिए प्रति लाभान्वित परिवार के वास्ते साढ़े 23 हजार रुपये की अधिकतम सहायता दी जायेगी और कम आय वाले लोगों के लिए हुडको जैसी संस्थाएं धन उपलब्ध करायेंगी जो यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके लिये निर्धारित धनराशि में से 25 प्रतिशत इस मद पर खर्च किया जायेगा।

अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए आवास

5. समाज के निर्धनतम वर्गों की जरूरत के लिए जो अधिकांशतः अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों से संबंधित हैं, 1985-86 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गयी है। यह कार्यक्रम भूमिहीन लोगों को रोजगार गारण्टी कार्यक्रम के अधीन लागू किया जा रहा है जिससे कि उन्हें लघु आवास प्राप्त हो सकें। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में 6 हजार रुपये तक की सहायता दी जाती है। सातवीं योजना में 10 लाख मकान बनाये जाने का साल दर साल कार्यक्रम बनाया गया है। यह कार्यक्रम न्यूनतम आवश्यकता के अन्तर्गत आवासीय कम्पोनेंन्ट के साथ सम्बद्ध होगी।

निगरानी

6. पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हर महीने ये देखा जायेगा कि कितने लोगों को मकान बनाने के लिए जमीन दी गयी और आर्थिक रूप से कमजोर तथा कम आय वर्गों को मकान बनाने में कितनी सहायता दी गयी। यह भी विशेष ध्यान दिया जायेगा कि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या कार्य किये गये। दूसरे सूत्रों के बारे में तिमाही समीक्षा की जायेगी इसमें खर्च की प्रगति पर भी ध्यान रखा जायेगा।

इस सूत्र के लिए शहरी विकास मंत्रालय मुख्य एजेन्सी के रूप में कार्य करेगा।

15. तंग बस्तियों का सुधार

हम:

* *हम झुग्गी झोपड़ी की वृद्धि को रोकेंगे*
* *मौजूदा झुग्गी-झोपड़ी में आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे*
* *शहरी इलाकों में सुनियोजित मकान–निर्माण कार्य को प्रोत्साहित करेंगे*

उद्देश्य

जैसे-जैसे भारत के शहरों में औद्योगिक विकास हो रहा है वैसे ही उन क्षेत्रों में देहात से बहुत बड़ी संख्या में लोग रोजी-रोटी कमाने के लिए अंधाधुंध चले आ रहे हैं। गांव से शहरों की ओर इस पलायन ने शहरी अधिकारियों के लिए बहुत बड़ी परेशानी पैदा कर दी है कि वे इतनी बड़ी जनसंख्या को उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं, रहने की जगह और बुनियादी सुविधाएं जुटाने के लिए धन कहां से लायें। इसीलिए ये नवआगंतुक जहां देखते हैं, वहीं डेरा डाल देते हैं और इस तरह अनाप-शनाप बस्तियां जहां शहरों में भीड़ बढ़ाती हैं वहीं सफाई और दूसरी बुनियादी नागरिक सहूलियतों के लिए कठिनाईयां पैदा करती हैं। अच्छे-खासे शहरों में ये बदनुमा दाग-धब्बे बढ़ते चले जा रहे हैं। हरी पत्तियों, फूलों, अस्पतालों, सामुदायिक केन्द्रों जैसी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए निर्धारित बेशकीमती शहरी जमीन इस तरह हथिया ली जाती है और शहरों के नियोजित विकास में बाधायें खड़ी हो जाती हैं। इस तरह मलिन या तंग बस्तियों के प्रसार पर रोक लगाना शहरी विकास के लिए बहुत आवश्यक है। जो गन्दी बस्तियां पहले ही बस चुकी हैं और जिन्होंने अपने पांव पसार लिए हैं, उनमें 3 करोड़ 30 लाख के करीब लोग रह रहे हैं (मार्च 1985) अब इन्हें हटाना मुश्किल है। इस तरह की नारकीय परिस्थितियों का निवारण तभी हो सकता है कि इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं देकर पर्यावरण में सुधार किया जाये। दीर्घकालिक उपाय के रूप में यह नीति अपनायी जा रही है कि समाज के गरीब वर्ग के लोगों की आवश्यकताएं पूरी करने पर बल देते हुए नियोजित ढंग से मकान बनाये जायें ताकि गन्दी बस्तियों की स्थापना रोकी जा सके।

नीति

2. महानगरों के आस-पास छोटे और मध्यम बल्कि बड़े नगरों की स्थापना कर दी जाय तो इससे महानगरों में आव्रजन कम हो सकता है। औद्योगिक स्थापना नीति भी इस प्रकार तैयार की जाये कि सम्पूर्ण क्षेत्र के संतुलित विकास को प्रोत्साहन दिया जाये। नगर नियोजित के समय ऐसे प्रयत्न किये जायें कि आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों, खास तौर से अकुशल और अर्धकुशल लोगों की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। स्थान और सेवा तथा अनिवार्य आवास की नीति को ध्यान में रखते हुए वाजिब कीमत पर आवास सुविधा जुटाने के लिए काफी मात्रा में जमीन सुरक्षित रखी जाये। प्रवर्तन संस्थाएं तुरंत और कारगर कदम उठाएंगी ताकि सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण न हो और मलिन बस्तियों के दादाओं तथा दूसरे समाज विरोधी तत्वों पर अंकुश लगाया जा सके।

कार्यक्रम

छोटे और मध्यम शहरों का विकास

3. छोटे और मध्यम शहरों के समन्वित विकास की योजना का उद्देश्य ये है कि छोटे और मध्यम

दर्जे के शहर सक्षमता प्राप्त हों जहां छोटे उद्योग लगें, मण्डियों की सुविधा हो और आस-पास के गांव के आने वाले लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध हो सकें। यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा शुरु किया गया है इसके अनुसार राज्यों/केन्द्र शासित क्षेत्रों को चुनींदा छोटे और मध्यम शहरों में नागरिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए मूलभूत संरचना की मजबूत बनाने के वास्ते बराबर की सहायता दी जाती है। मार्च 1985 तक इस कार्यक्रम के तहत 235 शहरों की लिया गया जिसके अनुसार केन्द्र से 63.57 करोड़ रुपए की सहायता दी गई। सातवीं योजना के अंतर्गत 102 और नगरो में काम शुरु किया जाएगा।

सामाजिक आवास

4. सामाजिक आवास योजना के अधीन राज्य सरकारों द्वारा आवास निर्माण कार्य बड़े पैमाने पर लागू किया जाएगा। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य यह है कि समाज के पिछड़े वर्गों विशेष रुप से आर्थिक दृष्टि से कमजोर और कम आय वर्ग के लोगों को वाजिब लागत पर मकान बना कर दिए जाएं। हुडको और दूसरे स्थानीय प्राधिकरण भी अपना योगदान कर रहे हैं। स्थान और सेवा कार्यक्रम के अधीन आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को विकसित भूखण्ड दिए जाते रहेंगे। प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम 5 प्रतिशत स्थान आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित होंगे।

नियोजित गृह निर्माण

5. शहरों में नियोजित ढंग से भवन निर्माण के लिए सरकारी प्रतिष्ठान त्रिकोणीय भूमिका अदा करेंगे: (I) संसाधन जुटाने के लिए कदम उठाए जाएंगे। (II) ग्रामीण निर्धनों और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अन्य वर्गों के लिए गृह निर्माण पर सहायता दी जाएगी, (III) शहरी क्षेत्रों में भूखण्डों का विकास किया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूखण्ड दिए जाएंगे।

मलिन बस्ती सुधार

6. शहरों की मलिन बस्तियों सें पर्यावरण सुधार के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है। इसमें बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने का एक मिला-जुला कार्यक्रम रखा गया है जिसके अनुसार मलिन बस्तियों सें स्वास्थ्य पर्यावरण प्रदूषण को रोका जाएगा और मलिन बस्तियों में रहने वालों की न्यूनतम नागरिक सुविधाएं दी जाएंगी जैसे पीने का पानी, सार्वजनिक स्नानागार और शौचालय सड़कों पर रोशनी, खुली नालियां, बरसाती नाले और गलियारों का निर्माण। ये सुविधाएं निम्नांकित मानकों सें जुटाई जा रही हैं:-

(1) जल आपूर्ति – 150 लोगों के लिए एक नल,
(2) नाली–पानी की रुकावट से बचते हुए खुली नालियां।
(3) बरसाती नाले–बरसाती पानी का शीघ्रतम निकास
(4) सार्वजनिक स्नानागार–20-50 व्यक्तियों के लिए एक स्नानागार
(5) सार्वजनिक शौचालय–20-50 व्यक्तियों के लिए एक शौचालय
(6) मौजूदा गालियारों का विस्तार–पैदल और साइकिल चलाने वालों तथा विकलांगों की सुविधा के लिए अलग पट्टी और कीचड़-कचरे में मुक्ति।
(7) सड़कों की रोशनी – 30 मीटर पर एक खम्बा।

उपरोक्त सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रति व्यक्ति 300 रु० की व्यवस्था की गई है। सातवीं योजना में इसके लिए 270 करोड़ रुपए रखे गए हैं।

निगरानी

7. शहरी मलिन क्षेत्र पर्यावरण सुधार कार्यक्रम की एक निगरानी पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार हर महीने की जाएगी। अन्य उप सूत्रों जैसे खर्च में प्रगति की समीक्षा हर तिमाही ली जाएगी। इस सूत्र के लिए शहरी विकास मंत्रालय मुख्य एजेंसी के रूप में काम करेगा।

16. वानिकी के लिए नई नीति

* हम लोगों को पूरी तरह शामिल कर और अधिक पेड़ लगाएंगे तथा वनों का विस्तार करेंगे
* आदिवासियों तथा स्थानीय समुदायों के ईंधन की लकड़ी और वन-उत्पाद इकट्ठा करने के पारम्परिक अधिकारों की रक्षा करेंगे
* बंजर भूमि की खेती योग्य बनाएंगे
* पर्वतीय, रेगिस्तानी और तटीय इलाकों के अनुरूप पेड़ पौधे लाएंगे

उद्देश्य

देश से हरियाली के खात्मे का रवैया और वन-प्रदेश की सिकुड़न ने हमारे सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। इससे हमारे विशाल वनारोपण कार्यक्रम का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। राष्ट्रीय वन नीति के जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं उसके अनुसार देश के कुल भूभाग का तिहाई वनाच्छादित होना चाहिये; परंतु आंकड़ों के अनुसार कुल 23 प्रतिशत क्षेत्रफल पर वृक्ष हैं अर्थात् साढ़े सात करोड़ हैक्टेयर क्षेत्रफल पर वृक्ष लगे हैं। वास्तविक स्थिति यह है कि घोषित वृक्षाधीन क्षेत्रफल में भी सही ढंग से पेड़ नहीं लगाए गये हैं वनाच्छादित वास्तविक क्षेत्र बहुत ही कम हैं। राष्ट्रीय दूरस्थ संवेदन संस्था ने 1980-82 के दौरान ऐसे क्षेत्रों का क्षेत्रफल केवल 4 करोड़ 60 लाख हेक्टेयर बताया था। जहां वृक्षारोपण चक्र जारी है और कहा था कि हर साल 15 लाख हैक्टेयर क्षेत्र से वन काटे जा रहे हैं।

2. इस तरह क्षेत्र की पारिस्थितिकी प्रणाली को उत्पन्न होने वाले खतरे का कारगर और सही ढंग से मुकाबला किया जाये। इसलिये वनारोपण कार्यक्रम पर इस बात पर बल दिया जाना चाहिये कि उसके अनुसार ठोस रूप से आच्छादित क्षेत्रफल बढ़े। इसके लिये बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाये, देश की नाजुक परिस्थितिकी प्रणाली को संरक्षित किया जाये और पेड़-पौधों में जैविक विविधता का संरक्षण किया जाये तथा लोगों की ईंधन चारे या इमारती लकड़ी की बुनियादी आवश्यकतायें पूरी की जा सकें।

नीति

3. व्यापक वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत लोगों का पूरा सहयोग लिया जायेगा और इस तरह वृक्षारोपण कार्यक्रम को एक-जन आंदोलन बनाया जायेगा। सामाजिक वानिकी, व्यावसायिक वानिकी, खाली जमीन का सुधार, पहाड़ों, रेगिस्तान और समुद्रतट के किनारे वहां की जलवायु के अनुसार वृक्ष लगाये जायेंगे जिसके लिये एक सुनियोजित कार्य योजना तैयार की जायेगी। इस कार्यक्रम के नियोजन और कार्यान्वयन के समय जनजातियों और उन समुदायों के कल्याण का ध्यान रखा जायेगा जिनकी जीविका वृक्षों पर आधारित है।

कार्यक्रम

4. राज्य क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम के अधीन बाहर से सामाजिक वानिकी कार्यक्रमों को कई राज्यों में सहायता दी जा रही है। इसके साथ ही केन्द्र में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड के सहयोग से सहायता दी जा रही है। इसके अधीन गांवों में ईंधन की लकड़ी के वृक्ष लगाना, गैर हिमालय क्षेत्रों के पारिस्थिति की संवेदन कार्यक्रम का विस्तार करना, भूमि परिरक्षण और चारागाह कार्यक्रम रखे गए हैं। इस बोर्ड ने एक अनुदान सहायता भी शुरु की है। इसके अनुसार प्रसार, चेतना प्रशिक्षण, पौधघर निर्माण और खाली जमीन पर वनारोपण का काम करने वाली स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता दी जाती है। वे कार्यक्रम और तेजी से शुरु किये जायेंगे तथा लोगों का और अधिक सहयोग प्राप्त किया जायेगा। जगह-जगह पौधघर स्थापित किये जायेंगे और उन्हें इस उददेश्य से प्रोत्साहन दिया जायेगा कि स्थानीय लोगों के प्रयत्न के आधार पर उनकी संख्या बढ़े और लोग अपनी आवश्यकताओं के लिये वृक्ष काटने तथा दूसरे विभागीय पौधघरों पर निर्भरता कम हो और उन्हें तुरन्त आवश्यक पौध मिल जाये। देश भर के स्कूलों से भी इस संबंध में सहयोग लिया जा रहा है, वे भी अपने-अपने पौध घर बना रहे हैं। पौध रोपण कर रहे हैं और यह जन आंदोलन को प्रोत्साहन देने का एक अंग हैं। महिला मंगल दलों, युवक मंगलदलों और नेहरू युवक केन्द्रों का भी सहयोग लिया जायेगा। राज्यों के सहकारी बैंकों, भूमिविकास बैंकों आदि से पौध विकास सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता दी जायेगी। वनारोपण के लिये कई स्रोतों सें धन उपलब्ध होता है। जैसे कि ग्रामीण विकास, वन, कृषि, रोगिस्तान विकास, डी पी ए पी जनजाति विकास और पर्वतीय विभाग आदि इन सब के कार्यों में समन्वय किया जायेगा।

5. जनजाति और अन्य स्थानीय समुदाय परम्परागत रुप से देश के कई राज्यों में वनोत्पादन पर अधिकार रखते हैं। ऐसे अधिकार अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग तरह के हैं। उनके अनुसार (क) जलाने की लकड़ी काटना, दातुन, बांस, और छोटी-मोटी इमारती लकड़ी के अधिकार (ख) पत्तियों, फूलों, फलों, कंदमूल, घास और गोंद प्राप्त करने के अधिकार (ग) चरागाह और चारे के अधिकार (घ) लाख, टसर आदि पैदा करने के लिये वनों के वृक्षों का इस्तेमाल शामिल हैं। जनजातियों और दूसरे लोगों के अधिकारों की रक्षा की जायेगी। विभिन्न राज्यों में वनग्राम बनाये जायेंगे। और उनकी प्रगति का ध्यान रखा जायेगा। विश्वस्त आंकड़ों की रखने के लिये गौण वन उपज की उपलब्धता का सर्वेक्षण किया जायेगा। गौण वन उत्पादों का पता लगाने की कोशिश की जायेगी और उनकी उपलब्धता, परिशोधन तथा विपणन के संबंध में भी सर्वेक्षण होगा। जनजातियों तथा अन्य लोगों को गौण वनोत्पादन के लिये वाजिब कीमत चुकाई जायेगी। कई राज्यों ने विशाल कृषि बहुउद्देशीय समितियां गठित की हैं। जनजाति विकास निगम बनाये हैं ताकि इन उत्पादों का विपणन हाथ में लिया जा सके। गौण वन उत्पाद के लिये ये संगठन जो कीमत चुकायेंगे उस पर राज्य सरकारें नजर रखेंगी।

6. राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड ने खेती योग्य परती भूमि को ग्यारह श्रेणियों सें बांटा है वे हैं:— (क) बीहड़ (ख) उबड़-खाबड़ टीले (ग) झील वाली भूमि (घ) रेहयुक्त जमीन (ड) अदला-बदली खेती वाले क्षेत्र (च) घटिया वन क्षेत्र (छ) घटिया चरागाह (ज) घटिया वृक्षारोपण की जमीन (झ) खाली जमीन (त) रेतीली जमीन (थ) खदान के पास/औद्योगिक परती जमीन।

7. राज्यों के राजस्व विभागों से कहा गया है कि वे परती जमीन का पता लगाने के लिये शीघ्रगामी कार्यक्रम तैयार करें जो उपरोक्त श्रेणियों के अनुसार हों। राज्यों में परती भूमि का पता लगाने के साथ साथ यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि गांव के गरीब लोगों की वृक्ष लगाने के लिये किस प्रकार आसान किस्तों पर जमीन पट्टे पर दी जा सकती है।

8. इसका एक चरण पूरा हो गया है। एन आर ई पी/आर एल ई सी पी के कोष में सामाजिक वानिकी के लिये धन रखा गया है जिससे कि पट्टेदारों की सहायता की जा सके। इसी तरह ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता इन पट्टेदारों की भी मिलेगी। स्वेच्छिक संस्थाओं,

सहकारी समितियों और ग्रामीण स्तर के संगठनों को परती भूमि पर वनारोपण के काम में सहयोग दिया जायेगा।

9. यदि देश में पर्वतीय पारिस्थितिकी और रेगिस्तानी तथा समुद्र के तटवर्ती क्षेत्रों की पारिस्थितिकी का क्षय इसी प्रकार होता रहा तो इसके नतीजे बड़े खतरनाक निकलेगें। जहां स्थानीय दृष्टि से अनुकूल वृक्ष लगाये जायेंगे वहां अब से केवल युक्तिसंगत वनस्पति का रोपण होगा बल्कि टैक्नालोजी और अनुसंधान के भी लाभ प्राप्त किये जायेंगे।

निगरानी

10. लक्ष्य निर्धारित किये जायेंगे और निम्नलिखित आधार पर निगरानी का काम किया जायेगा।

क्र०सं०	कार्यक्रम	लक्ष्य एकांक	अवधि
1.	वृक्षारोपण	लाख	मासिक
2.	परती भूमि परिष्कार	लाख हे०	मासिक
3.	पहाड़ी रेगिस्तानों और तटीय क्षेत्रों में वृक्षारोपण	हजार हे०	तिमाही

तिमाही रिपोर्टों में खर्च की प्रगति पर भी निगरानी रखी जायेगी।

इस सूत्र के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड मुख्य एजेन्सी के रुप में काम करेगा।

17. पर्यावरण की रक्षा

हमारा कर्तव्य :

* पर्यावरण असंतुलन के प्रति जनचेतना जगाना
* पर्यावरण संरक्षण के प्रति लोगों का समर्थन प्राप्त करना
* इस बात पर बल देना कि विकास की शर्त है पारिस्थितिकी संरक्षण
* परियोजनाओं के लिये सूझबूझ से स्थान चयन करना और टैक्नोलोजी अपनाना

उद्देश्य :

भारत में पर्यावरण समस्या के मुख्य रुप से तीन कारण हैं—गरीबी, पिछड़ापन तथा विकास कार्यक्रमों के नकारात्मक प्रभाव जो वातावरण और पर्यावरण की होने वाले खतरों की ओर ध्यान दिए बिना शुरु किए गए विकास कार्यक्रमों के कारण होते हैं। इन सबका परिणाम होता है-प्राकतिक ससाधनों का कुप्रबंध, बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई, बिना सोचे समझे गैर-नियोजित ढंग से कूड़ा-करकट बहाना, जहरीले रसायनों का रिसाव। जहां-तहां उद्योग लगाना। आवासी योजनाओं का विस्तार, आदि। अगर अब पर्यावरण की ओर जरा भी असावधानी बरती गई तो मानव अस्तित्व के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा, उस समाज के लिए खतरा पैदा हो जाएगा जिसकी प्रगति और आर्थिक विकास के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं। अतः पर्यावरण की रक्षा और समृद्धि के लिए तुरन्त कदम उठाए जाने चाहिए। आखिर पर्यावरण समाज की महत्वपूर्ण सम्पदा है।

नीति:

2. पर्यावरण व्यापक है, अतः इसकी रक्षा के लिए हर स्तर पर लोगों की शामिल होना पड़ेगा। पर्यावरण को हो रहे खतरों के प्रति लोगों में चेतना जगाना आज की तात्कालिक आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण रक्षा की नीति में इन मुद्दों की ओर भी ध्यान देना होगा – जल और वायु प्रदूषण की निगरानी तथा नियंत्रण, पर्यावरण—प्रभाव का मूल्यांकन, प्राकृतिक प्राणी संसाधन संरक्षण, वन्य जीवन पर विशेष परियोजनाएं, भारतीय वनस्पति और प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण द्वारा पर्यावरण अध्ययन पर्यावरण-विकास कार्यक्रम, पर्यावरण अनुसंधान को प्रोत्साहन और पर्यावरण के संबंध में सूचनाएं, शिक्षा, प्रशिक्षण और जागरुकता।

कार्यक्रम :

3. कार्यक्रमों, गोष्ठियों/कार्यशालाओं, पुरस्कार आदि के माध्यम से जन-जागरूकता पैदा की जाएगी। इसमें ये कार्यक्रम शामिल हैं:—

(1) राष्ट्रीय पर्यावरण जागरुकता अभियान
(2) स्कूल के बच्चों के लिए पर्यावरण पर अखिल भारतीय निबंध प्रतियोगिता
(3) पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं पर सेमिनार संगोष्ठी कार्यशालाएं
(4) पीताम्बर पंत राष्ट्रीय शिक्षावृत्ति परितोषिक
(5) पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद

(6) व्यावसायिक संगठनों की आर्थिक सहायता
(7) पर्यावरण सूचना व्यवस्था।

4. राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता अभियान के अंग के रूप में, सभी जिलों और खण्ड मुख्यालयों में, स्कूलों, जन-स्वास्थ्य केन्द्रों, सार्वजनिक क्षेत्र इकाइयों को शामिल कर एक राष्ट्रीय पर्यावरण मास मनाया जाएगा। इसी तरह हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण शिक्षा केन्द्र, अहमदाबाद द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों पर तैयार की गई पाठ्य सामग्री में मार्गदर्शक पुस्तकें और सोदाहरण दस्तावेज शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह केन्द्र कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश, और राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, दिल्ली के लिए व्याख्यात्मक कार्यक्रम भी तैयार कर रहा है।

5. दिसम्बर 1982 में स्थापित पर्यावरण सूचना व्यवस्था (एनविस) के अंतर्गत पूरे देश में 10 पर्यावरण सूचना व्यवस्था केन्द्र, पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों—जैसे प्रदूषण नियंत्रण, जहरीले रसायन, पारिस्थितिकी विष विज्ञान, कूड़ा-करकट में जैविक सड़न, पर्यावरण की जानकारी रखने वाले प्रौद्योगिकीविद्, तटीय और अपतटीय पारिस्थितिकी आदि, में खोले गए हैं। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के विश्व सूचना नेटवर्क इनफोटेरा में पर्यावरण विभाग के पर्यावरण सूचना व्यवस्था केन्द्र बिन्दु को राष्ट्रीय बिन्दु के रूप में माना गया हैं।

6. पर्यावरण की रक्षा विकास के दौरान पारिस्थितिकीय खतरों को नजरअंदाज करके नहीं की जा सकती है। साथ ही पर्यावरण को जो क्षति पहुंची है, उसकी पूर्ति भी आवश्यक है। और यह जन-सहयोग द्वारा ही सम्भव है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बहुत से कार्यक्रम शुरु किए गए हैं, उदाहरण के लिए पर्यावरण के लिए रक्षा-दल, लोगों की भागीदारी आदि। इसमें बहुत सी संस्थाओं की भी सहायता ली जा रही है। प्रादेशिक सेना इकाइयों के अनुरूप ही पर्यावरण कार्य दल संगठित किए गए हैं जिसके दो उद्देश्य हैं-(1) अपने ही क्षेत्रों में भूतपूर्व सैनिकों की सहायता से पर्यावरण पुनरूद्धार कार्यक्रम और (2) दुर्गम क्षेत्रों में इनकी मदद लेना। विद्यार्थियों और स्वयं सेवी एजेंसियों को शामिल करने के उद्देश्य से पर्यावरण विकास शिविर कार्यक्रम 1981 में शुरू किया गया। अभी तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 80 हजार से भी अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं और लगभग 55 स्वयं सेवी संगठनों ने सक्रिय रूप से भाग लिया है। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य लोगों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता पैदा करना तथा काम करते हुए सीखना है। देश के विभिन्न भागों में पर्यावरण से संबंधित प्रदर्शनों पर वृत्त चित्र भी तैयार किए गए हैं।

7. भारतीय समाज की बेहतरी के लिए आधारभूत ढांचे की स्थापना, कार्यक्रमों और अन्य परियोजनाओं की मदद ली जा रही है। इसके साथ ही इस सच्चाई को फैलाना भी जरूरी है कि जो विकास कार्यक्रम पर्यावरण को नष्ट करते हैं, वे मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के बीच सुखद संबंधों को नष्ट करने के बीज पैदा करते हैं। योजना-निर्माताओं, विकास प्रशासकों, राजनीतिज्ञों और जो इससे सम्बद्ध हैं, उन्हें सामाजिक आर्थिक विकास के दीर्घावधि कार्यक्रम बनाते समय पर्यावरण का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इस सन्दर्भ में यह जरूरी है कि विकास परियोजनाओं के स्थान पर चुनाव करने से पहले पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अवश्य कर लिया जाए। पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन इन क्षेत्रों में किया जाता है:—

—नदी घाटी परियोजनाएं
—खदान परियोजनाएं
—उद्योग परियोजनाएं
—ताप बिजली परियोजनाएं
—आणविक विद्युत परियोजनाएं और
—बंदरगाह, पत्तन और समुद्र तट आराम स्थल, आदि।

8. निम्नलिखित मदों को समावेश करके मार्ग-निर्देशन तैयार किए गए हैं:–

–पर्यावरण संगत जगह का चुनाव

–अपनाई गई प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के आधार पर प्रदूषण नियंत्रक प्रौद्योगिकी मूल्यांकन।

–पर्यावरण के विरुद्ध प्रभावों से बचने के लिए सुरक्षा उपायों के सुझाव।

(क) स्थान चयन का मापदण्ड 20 प्रदूषणकारी उद्योगों के लिए बनाया गया है और इसे लागू भी कर दिया गया है।

(ख) पर्यावरण के आधार पर "कोई उद्योग नहीं–जिलों" में श्रेणियां बना दी गई है ताकि वहां के संवेदनशील, दूरदराज के इलाके में सिर्फ ऐसे उद्योग खोले जाएं तो प्रदूषण न फैलाएं।

(ग) तटीय राज्यों को सुझाव दिए गए हैं कि वे तटीय क्षेत्र का सर्वेक्षण कराएं और पर्यावरण संगत विकास कार्यक्रम तैयार करें। इन्हीं कार्यक्रमों के आधार पर विकास कार्यक्रम शुरू किये जायेंगे।

9. पर्यावरण (रक्षा) अधिनियम 1986 के अंतर्गत पर्यावरण की रक्षा और इसके स्तर में सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाएंगे।

10. निगरानी

जन-जागरूकता उत्पन्न करने, जन-सहयोग प्राप्त करने, पर्यावरण की रक्षा करते हुए विकास कार्यक्रम तैयार करने के बारे में कार्यक्रमों की प्रगति की निगरानी हर तिमाही की जाएगी। विकास कार्यक्रमों की उपलब्धियों की निगरानी मासिक रुप से की जाएगी।

इस सूत्र के लिए पर्यावरण और वन-मंत्रालय मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

18. उपभोक्ता कल्याण

हम :

* *आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं को गरीब आदमी की पहुंच के भीतर लाएंगे;*
* *उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन शुरु करेंगे;*
* *वितरण व्यवस्था को नया रुप प्रदान करेंगे ताकि सबसे अधिक जरुरतमंद को लाभ पहुंच सके;*
* *सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करेंगे।*

उद्देश्य :

व्यापारियों की अनैतिक रुप से मुनाफा कमाने और अन्य हथकण्डे अपनाने की प्रवृत्ति से उपभोक्ता की प्रभावशाली रुप से सुरक्षा कर पाने में उपभोक्ता सुरक्षा आन्दोलन को कोई खास सफलता नहीं मिल पाई है। वस्तुओं की उपलब्धता, स्तर, वजन और दाम के मामले में उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन को सक्रिय भूमिका निभाने की आवश्यकता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में, खासकर समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए, वाजिब दामों और विश्वसनीय तथा स्थायी आधार पर आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। रोजमर्रा को अधिक से अधिक वस्तुओं को मानदण्ड और क्वालिटी नियंत्रण के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए। उपभोक्ता आन्दोलन चलाने से लगी संस्थाओं और संगठनों की समर्थन दिया जाना चाहिए तथा अनैतिक व्यापार गतिविधियों को समाप्त करने से संबद्ध कानूनों को जबर्दस्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए।

नीति :

2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली और उपभोक्ता सहकारी समितियों के कार्य करने की प्रणाली में कमियों और कमजोरियों का पता लगाया जाएगा। आवश्यक आधारभूत ढांचे की स्थापना करने तथा उसे सुदृढ़ करने के प्रयास किए जाएंगे। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है उन्हें ये कार्ड जारी करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा तथा जिन इलाकों में उचित दर की दुकानें नहीं हैं या कम हैं, खासकर ग्रामीण, दूर-दराज, पहाड़ी, जनजातीय, भीतरी तथा दुर्गम इलाकों में, वहां इन्हें खोला जाएगा। जहां कहीं भी न चल पाने के कारण निजी तौर पर उचित दर की दुकानों को चलाने के प्रति उत्साह नहीं दिखाई देगा वहां सरकार सहकारी समितियों, राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों, या राज्य सरकार एजेंसियों द्वारा चलाई जा रही राशन की चलती-फिरती दुकानों के जरिये वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। उचित दर की दुकानें चलाने के लिए संस्थागत ऋण की सुविधा का विस्तार किया जाएगा। सभी स्तरों पर उपभोक्त सलाहकार/सतर्कता समितियों के गठन में लोगों को शमिल किया जाएगा। उपभोक्ता सहकारी समितियों के जाल को ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में और फैलाया जाएगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम तथा काला बाजारी और आवश्यक आपूर्ति बनाए रखने से सम्बद्ध अधिनियम को और असरदार ढंग से लागू किया जाएगा।

3. उपभोक्ताओं के हितों से संबद्ध महत्वपूर्ण-सुरक्षा कानूनों को संशोधित किया जाएगा ताकि उपभोक्ता या उनके मान्यताप्राप्त संघों को कानूनों के उल्लंघन का पता लगा कर न्यायालयों में

शिकायत दर्ज करा सकने के अधिकार प्राप्त हो सकें। उपभोक्ता शिकायतों को शीघ्रता तथा बिना खर्चे के दूर करने के लिए व्यापक उपभोक्ता सुरक्षा कानून बनाए जाएंगे। उपभोक्ता शिक्षा और देश में उपभोक्ता आंदोलन के विकास के लिए केन्द्र तथा राज्यों में उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों का गठन किया जाएगा। मानक और क्वालिटी नियंत्रण की बढ़ावा देने के लिए भारतीय मानक ब्यूरों (कार्यालय) की स्थापना को गई है। उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाली तथा अधिक मांग वाली और अधिक चीजों को इस ब्यूरो के अनिवार्य क्वालिटी नियंत्रण के अंतर्गत लाया जाएगा।

कार्यक्रम :

4. ऊपर दिए गए उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे/तेज किए जाएंगे:

(1) सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मजबूत बनाने के लिए उत्तर-पूर्वी राज्यों, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, सिक्किम तथा अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

(2) ग्रामीण, दूर-दराज, भीतरी, पहाड़ी, आदिवासी तथा दुर्गम इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए और अधिक चलती-फिरती दुकानों की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

(3) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने के लिए प्रशिक्षण अत्यन्त महत्वपूर्ण है। अतः राज्यों/के० शा० प्र० के सचिवों तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों और राज्य सहकारी संगठनों के प्रबंध निदेशकों/प्रशासकों के लिए "ओरियन्टेशन" कार्यक्रम चलाए जाएंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से संबद्ध कनिष्ठ तथा मध्यम स्तर के अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि उनमें नई चेतना जगाकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बुनियादी स्तर पर गरीबी दूर करने की दिशा में मोड़ा जा सकें।

(4) शहरी और ग्रामीण इलाकों में उपभोक्ता आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपभोक्ता सहकारी समितियों के जाल को सुदृढ़ और विस्तृत किया जाएगा।

(5) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चलाने और उसके उद्देश्यों को प्राप्ति के लिए राज्यों को सहायता और मार्गदर्शन देने के लिए दल/वरिष्ठ अधिकारी विभिन्न राज्यों/के०शा०प्र० का दौरा करेंगे।

(6) केन्द्र में उपभोक्ता सुरक्षा परिषदों की बैठकें वर्ष में तीन बार होंगी। उपभोक्ता जागरुकता बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय और राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां आयोजित की जाएंगी। जहां कहीं भी आवश्यक होगा स्वयंसेवी उपभोक्ता संगठनों को वित्तीय सहायता दिए जाने के सवाल पर भी विचार किया जाएगा। उपभोक्ताओं को शिक्षित करने के लिए पुस्तिकाएं और पैम्फलेट प्रकाशित तथा वितरित किए जाएंगे।

(7) क्वालिटी नियंत्रण के लिए भारतीय मानक ब्यूरों की परीक्षण सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा।

5. निगरानी :

(1) आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता पर मासिक आधार पर, तथा जहां आवश्यक होगा इससे भी पहले, निगरानी रखी जाएगी।

(2) राशन कार्ड जारी करने, उचित दर की दुकानों/चलती-फिरती दुकानों को खोलने, उपलब्ध वस्तुओं, उपभोक्ता सलाहकार/सतर्कता समितियों के गठन पर तिमाही आधार पर निगरानी रखी जाएगी।

(3) राज्यों और के०शा०प्र० में उपभोक्ता सुरक्षा की प्रगति पर तिमाही रूप से निगरानी रखी जाएगी।

(4) आवश्यक वस्तु अधिनियम, खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम, तोल और माप मानक अधिनियम, आदि महत्वपूर्ण उपभोक्ता सुरक्षा कानूनों के परिपालन पर तिमाही आधार पर निगरानी रखी जाएगी।

(5) मानक स्थापित करने और क्वालिटी नियंत्रण के मामले में भारतीय मानक ब्यूरों की गतिविधियों पर मासिक आधार पर निगरानी रखी जाएगी।

इस सूत्र के लिए नागरिक आपूर्ति विभाग मुख्य एजेंसी के रुप में कार्य करेगा।

19. गांवों के लिए ऊर्जा

हम :

* *गांवों में उत्पादक कार्यों के लिए बिजली आपूर्ति की व्यवस्था का विस्तार करेंगे*
* *ऊर्जा के वैकल्पिक साधनों का विकास करेंगे, विशेषरूप से बायोगैस का*
* *ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा आपूर्ति के लिए समन्वित क्षेत्र विशेष कार्यक्रमों को बढ़ावा देंगे*

उद्देश्य और नीति :

आर्थिक विकास में ऊर्जा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारे गांवों के पिछड़ेपन की विशेषता यह है कि वहां उत्पादक गतिविधियों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता का स्तर बहुत ही कम है। खाना पकाने, गर्म करने और उजाला जैसी जीने की आवश्यक गतिविधियों को पूरा करने के अलावा ग्रामीण जनसंख्या को ऊर्जा की आवश्यकता रोजगार पैदा करने वाली अन्य उत्पादक गतिविधियों, तथा उत्पादकता को बढ़ाने के लिए भी होती है। ग्रामीण लोगों को ईंधन की लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए बड़े पैमाने पर जो वनों को काटा जाता है उसे रोकने के लिए बिजली, बायोगैस, तथा अन्य गैर परंम्परागत स्रोतों के रूप में ऊर्जा की आपूर्ति अत्यावश्यक हो गई है।

2. अतः गांवों को ऊर्जा उपलब्ध कराने के कार्यक्रमों के तीन उद्देश्य होंगे :
(क) जीवन को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना, (ख) कृषि और गैर-कृषि दोनों ही प्रकार के उत्पादक कार्यों के लिए ऊर्जा उपलब्ध कराना, तथा (ग) पर्यावरण का संरक्षण। अंत में क्षेत्रीय आधार पर समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाएगा, जिसका उद्देश्य विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के आदर्श मिश्रण से ऊर्जा की आपूर्ति में वृद्धि करना होगा।

कार्यक्रम :

3. ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाएं, जिसमें गलियों में रोशनी करना तथा घर, कृषि और औद्योगिक कार्यों के लिए कनेक्शन शामिल हैं, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही हैं। इन योजनाओं को शीघ्रतापूर्ण तथा समयबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाएगा। सातवीं योजना में 1.18 लाख गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य है जबकि छठी योजना के दौरान 3.7 लाख गांवों (सभी स्रोतों का 64 प्रतिशत) को पहले ही विद्युतीकृत किया जा चुका था। पम्प सैटों को बिजली प्रदान करने का लक्ष्य 239 लाख हैं जो छठी योजना के अन्त तक विद्युतीकृत किए गए 57 लाख सैटों के अलावा होगा। 188 मेगावाट की कुल स्थापित समता वाले 74 अति छोटे/लघु हाइडल परियोजनाओं के माध्यम से विकेन्द्रीकृत पद्धतियों के जरिए बिजली प्राप्त करने का काम शुरु किया जा रहा है, 171 मेगावाट की स्थापित क्षमता की इस प्रकार की 89 परियोजनाएं पहले ही देश में काम कर रही हैं।

4. बायोगैस विकास पर राष्ट्रीय परियोजना ने पिछले दो सालों में प्रशिक्षण निगरानी, मूल्यांकन और स्थापित करने के बाद की देखभाल सेवा, जैसे कदमों के फलस्वरूप संतोषजनक प्रगति की है। अनुसंधान और विकास प्रयोगों के फलस्वरूप, पांच नए और सस्ते माडल विकसित किए गए हैं, और इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह परियोजना परिवार की आवश्यकताओं के लिए

बायोगैस संयंत्र उपलब्ध कराती है। वर्तमान में देश में 6.15 लाख परिवार के आकार के बायोगैस संयंत्र है। पंचवर्षीय योजना की बची हुई अवधि में पाखानों पर आधारित 60,000 बायोगैस संयंत्रों की स्थापना का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। पाखानों पर आधारित बायोगैस संयंत्रों में काम आने वाली प्रौद्योगिकी व सामाजिक प्रथाओं की विचित्रता की देखते हुए, ऊर्जा के अतिरिक्त संसाधनों पर आयोग ने 150 रुपये प्रति पाखाना आधारित बायोगैस संयंत्र के अतिरिक्त खर्चे को स्वीकृति दे दी है।

5. उन्नत चूल्हों पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का उद्देश्य लकड़ी का संरक्षण, पर्यावरण को बेहतर करना और महिलाओं को कार्य करने को बेहतर सुविधाएं देना है। इस कार्यक्रम की शुरूआत जनवरी 1984 में की गई। कार्यक्रम की शुरूआत से अब तक लगभग 21 लाख उन्नत चूल्हें स्थापित किए जा चुके हैं। इसे न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम में शामिल किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में 40 करोड़ रुपये को लागत पर 50 लाख चूल्हे स्थापित करने का लक्ष्य है।

6. "ऊर्जा ग्राम" फिर से प्रयोग की जा सकने वाली ऊर्जा की पद्धतियों और तकनीकों के मिश्रण पर आधारित है तथा इनमें स्थानीय ऊर्जा स्रोतों को भी ध्यान में रखा जाता है। इन्हें इस तरह बनाया गया है कि गांव की सभी ऊर्जा आवश्यकताएं पूरी की जा सकें। इस कार्यक्रम से ग्राम स्तर पर ऊर्जा में आत्म-निर्भरता प्राप्त हो जाएगी, और गांवों का सर्वांगीण विकास होगा तथा जीवन स्तर में वृद्धि होगी। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक 21 "ऊर्जा ग्राम प्रदर्शन योजनाएं" लगाई गई हैं।

7. समन्वित ग्रामीण ऊर्जा योजना कार्यक्रम, क्षेत्र विकास दृष्टिकोण पर आधारित है तथा ब्लाक (खण्ड) को योजना इकाई के रुप में लेकर कार्य करता है। इसका उद्देश्य विभिन्न ऊर्जा स्रोतों के उचित मिश्रण के जरिये गांवों की घरेलू और उत्पादक कार्यों की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करना है। सातवीं योजना में इस कार्यक्रम के जो घटक दिए गए हैं, वे हैं : (1) प्रत्येक राज्य/के०शा०प्र० के चुनींदा ब्लाकों (खण्डों) में समुचित ग्रामीण ऊर्जा योजनाओं और परियोजनाओं को योजना बनाने और कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/के०शा०प्र० में संस्थागत पद्धतियों का विकास; (2) कर्मचारियों का प्रशिक्षण; (3) परियोजना बनाना; (4) परियोजना कार्यान्वयन; (5) वित्तीय प्रोत्साहनों का प्रावधान; तथा (6) कार्यक्रम पर निगरानी रखना। मद (1), (2) और (6) की केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत कार्यान्वित किया जाएगा। इसके लिए सातवीं योजना के दौरान 200 ब्लाकों को लाभ पहुंचाने के लिए 5.91 करोड़ रुपये का प्रावधान है। योजना के अंतर्गत केन्द्र से अनुदान के रुप में 100 प्रतिशत सहायता दी जाती है। मद संख्या (3), (4) और (5) अर्थात् परियोजना बनाने, परियोजना कार्यान्वयन और वित्तीय प्रोत्साहन के लिए राज्य क्षेत्र में 41.85 करोड़ रुपये का प्रावधान है। वर्तमान में कार्यक्रम 88 ब्लाकों (खण्डों) में कार्यान्वित किया जा रहा है, योजना अवधि की समाप्ति तक इसके अंतर्गत 200 ब्लाक लाए जाएंगे।

निगरानी :

8. (1) उत्पादक कार्यों के लिए जिन गांवों में बिजली को आपूर्ति की जाएगी, (2) पम्प सैटों को विद्युतीकृत करने, (3) स्थापित किए जाने वाले बायोगैस संयंत्र, और (4) स्थापित किए जाने वाले उन्नत चूल्हों के मामले में लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। इनकी प्रगति पर मासिक आधार पर निगरानी रखी जाएगी। अन्य मदों पर तथा खर्चे पर तिमाही रूप में निगरानी रखी जाएगी।

इस सूत्र के लिए ऊर्जा मंत्रालय का विद्युत विभाग मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

20. उत्तरदायी प्रशासन

हम :

* *प्रक्रियाओं को आसान बनाएंगे;*
* *शक्ति का प्रत्यायोजन करेंगे;*
* *जिम्मेदारी निर्धारित करेंगे;*
* *खण्ड से राष्ट्रीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था स्थापित करेंगे;*
* *जनता की शिकायतों पर शीघ्रता और सहानुभूतिपूर्वक कार्यवाही करेंगे।*

उद्देश्य :

यह आवश्यक है कि सरकारी कार्य इस प्रकार नियंत्रित हों कि विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्य की आदर्श उत्पादकता प्राप्त की जा सके। लोगों के सम्पर्क में आने वाला सरकारी पक्ष उदार और सहृदयतापूर्ण हो। देरी और तंगी के लिए जिम्मेदार लालफीताशाही को समाप्त करने की आवश्यकता है, प्रक्रियाओं से अधिक महत्व परिणामों को दिया जाए तथा सरकार के विकास वाली और नियंत्रण वाली कार्यवाहियों को प्रभावी ढंग से किया जाए। चूंकि भारत की अधिकांश जनता अशिक्षित है तथा नियमों और प्रक्रियाओं को समझ पाने में असमर्थ है इसलिए संवेदनशील, सहायतापूर्ण और समझदार प्रशासन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

नीति :

2. केन्द्रीय और राज्य सरकारें लालफीताशाही खत्म करने, देरी कम करने, तंगी कम करने और परिणामों को प्रभावकारी व कुशल तरीके से प्राप्त करने के उद्देश्य से बनाई गई योजनाओं/कार्यक्रमों या अन्य नियंत्रण कदमों को कार्यान्वित करने पर विशेष ध्यान देंगी। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर कार्य योजनाएं बनाई जाएंगी जिनमें प्रशासन को संवेदनशील और परिणामोन्मुखी बनाने के लिए उठाए जाने वाले कदमों की साफ-साफ तरीके से पेश किया जाएगा। लोगों की शिकायतों की तत्काल दूर करने की व्यवस्था को विभिन्न स्तरों पर सुदृढ़/स्थापित किया जाएगा।

कार्यक्रम :

3. (1) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग हर तिमाही, विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में अब से निर्दिष्ट प्रक्रियाओं (फार्मों सहित) की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की एक स्थायी समिति का गठन करेगा और जहां भी आवश्यक होगा सरलीकरण करेगा।

(2) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग हर साल अप्रैल के महीने में मामलों के निपटान से संबद्ध आदेशों की समीक्षा करेगा और निर्णय लेने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए परिवर्तन करेगा। समीक्षा का प्रयास होगा कि ऊपर से नीचे की ओर अधिकतम सीमा तक संभव अधिकारों का प्रत्यायोजन किया जाए। इसी तरह का निर्णय अधीनस्थ कार्यालयों में भी लिया जाएगा।

(3) प्रत्येक मंत्रालय/विभाग अपनी कार्य योजनाओं में वर्ष के दौरान लिए जाने वाले कार्यों को साफ-साफ तरीके से दर्शाएंगे ताकि स्थायी आदेशों की पुस्तिकाओं, मेन्युअलों आदि की समीक्षा की जा सके। प्रयास होगा कि कार्य की समयबद्ध तरीके से किया जाए ताकि इस प्रकार के प्रत्येक

महत्वपूर्ण संग्रह की तीन से पांच वर्षों के भीतर ही पूरी तरह से समीक्षा कर ली जाए। इसी प्रकार प्रत्येक मंत्रालय कार्यान्वित की जाने वाली प्रत्येक योजना के लिए पूर्ण विवरणों वाली सहायता पुस्तिका तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के अलावा योजना के पूरे विवरण, उसके कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक ढांचा, जिम्मेदारी के स्तर, निगरानी व्यवस्था, आदि होंगी।

(4) विभिन्न कार्यों को देखने के संबंध में प्रत्येक मंत्रालय/विभाग विभिन्न स्तरों पर लगाए जाने वाले समय के बारे में नियम तय करेगा। ऐसे मामलों का मूल्यांकन भी साथ ही साथ किया जाएगा जिनमें निर्धारित समय सीमा के भीतर काम पूरा नहीं किया गया है तथा जहां भी आवश्यक होगा कार्य को सुचारू बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाया जाएगा। इस पहलू को विभिन्न स्तरों पर किए जाने वाले निरीक्षणों के दौरान विशेष रूप से ध्यान में रखा जाएगा। किए गए निरीक्षणों को खुले तौर पर लिखा जाएगा।

(5) कार्य के लिए मुख्य रुप से जिम्मेदार मंत्रालय/विभाग अन्य मंत्रालयों से शक्तियों के और हस्तांतरण/तर्कपूर्ण बनाने से संबद्ध सुझाव आमंत्रित करेगा। यह कार्य साल में कम से कम दो बार किया जाएगा। इसी प्रकार, दूसरे मंत्रालयों से संबद्ध नीति के क्षेत्र में संबंधित मंत्रालय समय-समय पर उपयुक्त मार्ग निर्देश जारी करेगा ताकि अन्य मंत्रालयों को प्रत्येक मामले में संदर्भ देने की आवश्यकता न पड़े।

(6) विभागीय कार्यवाही को जल्दी पूरा करने के लिए मंत्रालय/विभाग नियमित रूप से समीक्षा करेंगे।

(7) सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने के लिए प्रशासनिक तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा और कुशलता को समय-समय पर आंका जाएगा। मंत्रालय शिकायतों को बहुलता वाले क्षेत्रों से निपटने के लिए विशेष ध्यान देंगे और जहां भी आवश्यक होगा उन्हें बेहतर बनाया जाएगा।

(8) विकास के फल गरीब लोगों तक पहुंच सके इसके लिए प्रभावशाली निगरानी और कार्यान्वयन की प्रगति की जानकारी बहुत आवश्यक है। समय पर कमियों को दूर करने के लिए भी यह आवश्यक है।

4. अच्छी निगरानी व्यवस्था की विशेषता मुख्य क्षेत्रों से संबद्ध भरोसेमंद सूचना का संचार, इस सूचना को सही-सही पढ़ना, तथा सही प्रकार के हस्तक्षेप करना होता है। निगरानी को रिपोर्टों, समीक्षा बैठकों और सीधे लक्ष्य क्षेत्रों में जाने के द्वारा जारी रखा जाएगा। सूचना, संचार के माध्यम, उनकी गति, उनका प्रस्तुतीकरण प्रारूप (चार्ट, ग्राफों आदि द्वारा प्रस्तुतीकरण शामिल हैं), आदि को कार्यक्रमों तथा निगरानी के स्तरों (अर्थात ब्लाक, जिला और राज्य स्तर) के अनुसार ही फिर से बनाया जाएगा। यह प्रारूप राज्यों, जो कार्यक्रम को कार्यान्वित करते हैं, तथा संबद्ध मंत्रालयों, से विचार-विमर्श करके अब तक प्राप्त अनुभव के आधार पर बनाया जाएगा।

निगरानी :

5. प्रक्रियाओं को सरल बनाने, अधिकारों के हस्तांतरण, परिपालन, जिम्मेदारी, सार्वजनिक शिकायतों को दूर करने आदि, मामलों में मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए कदमों पर तिमाही रूप से निगरानी रखी जाएगी।

इस सूत्र के लिए कार्मिक, पेंशन आदि लोक शिकायत मंत्रालय मुख्य एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Aministration
17-B, Sri Aurbindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4714
Date 30.6.89
NIEPA DC
D04714